लोक सभा

वाद-विवाद

शनिवार,
१९ मार्च, १९५५

(भाग २--प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

(खंड २, १९५५)

(१४ मार्च से ३१ मार्च १९५५)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

नवम सत्र, १९५५

(खंड २ में अंक १६ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली ।

विषय-सूची

(खण्ड २, अंक १६ से ३०--१४ मार्च से ३१ मार्च, १९५५)

अंक १६--सोमवार, १४ मार्च, १९५५

	स्तम्भ
राजा त्रिभुवन का निधन	१४८१--८४
संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव असमाप्त . . .	१४८४--१५७८
श्री जवाहरलाल नेहरू	१४८४--९८
श्री एन० सी० चटर्जी	१४९९--१५०५
श्री एच० एन० मुकर्जी	१५०६--१२
श्री अशोक मेहता .	१५१२--१८
श्री पाटस्कर . .	१५१८--४७
श्री फ्रैंक एन्थनी	१५४७--५२
डा० कृष्णस्वामी . .	१५५२--५९
श्री सी० सी० शाह . . .	१५५९--६७
श्री वी० जी० देशपांडे . .	१५६७--७८

अंक १७--मंगलवार, १५ मार्च, १९५५

राज्य-सभा से संदेश . .	१५७९--८०
पटल पर रखा गया पत्र--	
लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (डाक व तार), १९५५, भाग १ .	१५८०
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति--आठवां प्रतिवेदन----उपस्थापित	१५८०
संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक संयुक्त समिति को सौंप गया	१५८०--१६८२
श्री वी० जी० देशपांडे . .	१५८१--८४
श्री गाडगील .	१५८४--८९
श्री तुलसीदास	१५८९--९६
श्री यू० एम० त्रिवेदी	१५९६--९९
श्री वेंकटरामन	१५९९--१६०५
पण्डित ठाकुर दास भार्गव .	१६०५--१८
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	१६१८--२२
श्री पुन्नूस	१६२२--२६

स्तम्भ

श्री बी० एस० मूर्ति . . . . . १६२६—२८
श्री पी० एन० राजभोज . . . . . १६२८—३५
श्री टी० टी० कृष्णमाचारी . . . . . १६३५—५३
श्री बर्मन . . . . . १६५३—५५
श्री एस० एन० दास . . . . . १६५५—६१
श्री राघवाचारी . . . . . १६६१—६३
श्री जवाहरलाल नेहरू . . . . . १६६३—७९

अत्यावश्यक पण्य विधेयक—

प्रवर समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . १६८२

अंक १८—बुधवार, १६ मार्च, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—

कलकत्ता बन्दरगाह में काम बन्द हो जाना १६८३

पटल पर रखे गये पत्र—

जापान के रेशम उद्योग के बारे में समाचार पत्रिका . . १६८४

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम के अधीन अधिसूचना १६८४

राज्य सभा से सन्देश . . १६८४-८५

हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षता विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पटल पर रखा गया . . . १६८५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—तेईसवां प्रतिवेदन

—उपस्थापित १६८५

गेहूं के लाने ले जाने पर से प्रतिबन्धों को हटाने के बारे में वक्तव्य . . १६८५—८७

१९५५-५६ का सधारण आय-व्ययक—

सामान्य चर्चा—असमाप्त . . . . १६८७—१७७०

अंक १९—गुरुवार, १७ मार्च, १९५५

राज्य सभा से सन्देश . १७७१—७२

अनुपस्थिति की अनुमति . . १७७२—७३

१९५५-५६ का साधारण आय-व्ययक—

सामान्य चर्चा—असमाप्त १७७३—१८५६

अंक २०—शुक्रवार, १८ मार्च, १९५५ । स्तम्भ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
पांडिचेरी में हड़ताल . . . . . १८५७—६३
१९५५-५६ का साधारण आय-व्ययक—
सामान्य चर्चा—असमाप्त . . . . १८६३—१९०१
गैर-सरकारी विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
तेईसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . . . . . १९०१—०२
भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) विधेयक—
(नई धारा १५क का रखा जाना)—विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत १९०२—३३
श्री टी० बी० विट्ठल राव . . . १९०२—०५
श्री डी० सी० शर्मा . . . . १९०५—०९
श्री केशवैयंगार . . . . १९०९—१२
श्री साधन गुप्त . . . . १९१२—१५
श्री आर० आर० शास्त्री . . १९१५—२४
डा० सत्यवादी . १९२५—२७
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती . . १९२७—२८
श्री खंडूभाई देसाई . . . १९२८—३२
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक (धारा ५ का संशोधन)—
परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त १९३३—४६
श्री यू० सी० पटनायक . . . १९३३—३९
श्री बोगावत . . . . . १९३९—४१
श्री शिवमूर्ति स्वामी . . . . १९४१—४६
श्री भागवत झा आज़ाद . १९४६

अंक २१—शनिवार, १९ मार्च, १९५५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
कलकत्ता पत्तन में हड़ताल . . १९४७—४९
पटल पर रखे गये पत्र—
खनिज संरक्षण तथा विकास नियम, १९५५ . . . १९४९
१९५५-५६ का साधारण आय-व्ययक—
सामान्य चर्चा—असमाप्त . . १९५०—२०७५
राज्य सभा से सन्देश . २०७५—७८

अंक २२—सोमवार, २१ मार्च, १९५५ स्तम्भ

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति २०७७

१९५५-५६ के लिये साधारण आय-व्ययक—

सामान्य चर्चा—समाप्त . . . . . २०७७—२१२९

अत्यावश्यक पण्य विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . २१२९—२१७५

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी . . २१२९—३४, ३५

श्री अमजद अली . . २१३४—३५

श्री यू० एम० त्रिवेदी . . २१३५—३९

श्री वेंकटरामन् २१३९—४३

कुमारी एनी मैस्करीन . . . . २१४३—४५

पंडित ठाकुर दास भार्गव . . . २१४५—६२

श्री तुषार चटर्जी . . . . . २१६२—६४

डा० सुरेश चन्द्र . . . . . २१६४—६८

श्री राघवाचारी . . . . . २१६८—७०

श्री नन्द लाल शर्मा . . . . . २१७०—७२

श्री कानूनगो . . . . . २१७३—७५

खण्ड २ से ७क . . . . . २१७५—९०

अंक २३—मंगलवार, २२ मार्च, १९५५

राज्य सभा से सन्देश . . . . . २१९१—९३

फ्रन्टियर मेल की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . . . . २१९३—९४

अत्यावश्यक पण्य विधेयक—संशोधित रूप में पारित . . . २१९४—२२०२

खण्ड १ और ८ से १५ . . . . . २१९४—२२०२

पारित करने का प्रस्ताव २२०२

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी २२०२

१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—

मांग संख्या ९९—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . २२०३—८८

मांग संख्या १००—संभरण . . . २२०३—४६

मांग संख्या १०१—अन्य असैनिक निर्माण-कार्य . . २२०३—४६

मांग संख्या १०२—लेखन-सामग्री तथा मुद्रण . . . २२०३—४६

मांग संख्या १०३—निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय २२०३—४६

	स्तम्भ
मांग संख्या १३६—नई दिल्ली पर पूंजी व्यय .	२२०३—४६
मांग संख्या १३७—भवनों पर पूंजी व्यय . . .	२२०३—४६
मांग संख्या १३८—निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	२२०३—४६
मांग संख्या ६४—श्रम मंत्रालय .	२२४५—८८
मांग संख्या ७०—मुख्य खान निरीक्षक . .	२२४५—८८
मांग संख्या ७१—श्रम मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय .	२२४५—८८
मांग संख्या ७२—काम दिलाऊ दफतर तथा पुनस्संस्थापन .	२२४५—८८
मांग संख्या ७३—अर्सैनिक रक्षा .	२२४५—८८
मांग संख्या १२९—श्रम मंत्रालय का पूंजी व्यय .	२२४५—८८
कोयला खानों में दुर्घटनायें . .	२२८७—९८

अंक २४—बुधवार, २३ मार्च, १९५५

पटल पर रखे गय पत्र—

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ३७वें अधिवेशन में गये हुए भारत सरकार के प्रतिनिधि मण्डल का प्रतिवेदन . . .	२२९९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
चौबीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . .	२२९९
संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	२३००
सभा का कार्य . . .	२३००—०२
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	२३०२—२४२०
मांग संख्या ६९—श्रम मंत्रालय . .	२३०२—३६
मांग संख्या ७०—मुख्य खान निरीक्षक . .	२३०२—३६
मांग संख्या ७१—श्रम मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय .	२३०२—३६
मांग संख्या ७२—काम दिलाऊ दफ्तर तथा पुनस्संथापन.	२३०२—३६
मांग संख्या ७३—अर्सैनिक रक्षा . .	२३०२—३६
मांग संख्या १२९—श्रम मंत्रालय का पूंजी व्यय .	२३०२—३६
मांग संख्या ९०—पुनर्वास मंत्रालय . .	२३०२—३६
मांग संख्या ९१—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	२३३६—२४२०
मांग संख्या ९२—पुनर्वास मंत्रालय के अधीन विविध व्यय .	२३३६—२४२०
मांग संख्या १३२—पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय	२३३६—२४२०

अंक २५—गुरुवार, २४ मार्च, १९५५ ।

	स्तम्भ
तारांकित प्रश्न संख्या २३३ के उत्तर की शुद्धि	२४२१
मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक—	
पुरःस्थापित . .	२४२१—२२
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	२४२२—२५५४
मांग संख्या ९०—पुनर्वास मंत्रालय .	२४२२—४०
मांग संख्या ९१—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय . .	२४२२—४०
मांग संख्या ९२—पुनर्वास मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	२४२२—४०
मांग संख्या १३२—पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय	२४२२—४०
मांग संख्या ४१—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय	२४३९—२५५४
मांग संख्या ४२—वन	२४३९—२५५४
मांग संख्या ४३—कृषि . . .	२४३९—२५५४
मांग संख्या ४४—असैनिक पशु-चिकित्सा सेवायें . . .	२४३९—२५५४
मांग संख्या ४५—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय	२४३९—२५५४
मांग संख्या १२१—वनों पर पूंजी व्यय . .	२४३९—२५५४
मांग संख्या १२२—खाद्यान्नों का क्रय . . .	२४३९—२५५४
मांग संख्या १२३—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	२४३९—२५५४

अंक २६—शुक्रवार, २५ मार्च, १९५५ ।

१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— .	२५५६--९६,२६१०-११,२६५९—६४
मांग संख्या ४१—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय .	२५५६—६८
मांग संख्या ४२—वन . . .	२५५६—६८
मांग संख्या ४३—कृषि	२५५६—६८
मांग संख्या ४४—असैनिक पशु-चिकित्सा सेवायें . . .	२५५६—६८
मांग संख्या ४५—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय .	२५५६—६८
मांग संख्या १२१—वनों पर पूंजी व्यय . .	२५५६—६८
मांग संख्या १२२—खाद्यान्नों का क्रय	२५५६—६८
मांग संख्या १२३—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय .	२५५६—६८
मांग संख्या ११—रक्षा मंत्रालय .	२५६९—९६,२६१०—११,२६५९—६४
मांग संख्या १२—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी सेना .	२५६९--९६,२६१०--११,२६५९—६४

मांग संख्या १३—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी-नौ सेना २५६९—९६,२६१०—११,२६५९—६४
मांग संख्या १४—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी—वायु बल २५६९—९६,२६१०—११,२६५९—६४
मांग संख्या १५—रक्षा सेवायें, अक्रियाकारी व्यय २५६९—९६,२६१०—११,२६५९—६४
मांग संख्या १११—रक्षा पूंजी व्यय . २५६९—९६,२६१०—११,२६५९—६४
संसद्-सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक—पारित २५९७—२६१,०२६११—१६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—चौबीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत २६१६

श्रमिकों द्वारा सामूहिक संपणन के बारे में संकल्प—अवरुद्ध . . २६१६—१९
मूल्यों के असंतुलन के बारे में संकल्प—अवरुद्ध . . २६१९—२५
नदी घाटी योजनाओं के बारे में संकल्प—
वापिस लिया गया . . . २६२५—६०

अंक २७—सोमवार, २८ मार्च, १९५५ ।

पटल पर रखे गये पत्र—
भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् का १९५२-५३ के लिये वार्षिक प्रतिवेदन २६६५
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . . २६६५—६६
राज्य सभा से सन्देश . . . २६६६—६७
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— . . . २६६८—२७७६
मांग संख्या ११—रक्षा मंत्रालय . . २६६८—२७७६
मांग संख्या १२—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी-सेना . . २६६८—२७७६
मांग संख्या १३—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी नौ सेना . २६६८—२७७६
मांग संख्या १४—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी वायुबल . २६६८—२७७६
मांग संख्या १५—रक्षा सेवायें, अक्रियाकारी व्यय २६६८—२७७६
मांग संख्या १११—रक्षा पूंजी व्यय . . २६६८—२७७६

अंक २८—मंगलवार, २९ मार्च, १९५५ ।

पटल पर रखे गये पत्र—
आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण . २७७७-७८
आंध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा . . २७७८
राज्य सभा से सन्देश . . . २७७८-७९
वित्त विधेयक—याचिका उपस्थापित . २७७९

	स्तम्भ
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	२७७९—२८९४
मांग संख्या ११—रक्षा मंत्रालय . . .	२७८१—२८००
मांग संख्या १२—रक्षा सेवायें क्रियाकारी सेना . . .	२७८१—२८००
मांग संख्या १३—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी नौसेना	२७८१—२८००
मांग संख्या १४—रक्षा सेवायें क्रियाकारी—वायु बल	२७८१—२८००
मांग संख्या १५—रक्षा सेवायें अक्रियाकारी व्यय	२७८१—२८००
मांग संख्या १११—रक्षा पूंजी व्यय	२७८१—२८००
मांग संख्या ५—संचार मंत्रालय	२७९९—२८९४
मांग संख्या ६—भारतीय डाक तथा तार विभाग (कार्यवहन व्यय सहित) . .	२७९९—२८९४
मांग संख्या ७—अन्तरिक्ष विज्ञान .	२७९९—२८९४
मांग संख्या ८—समुद्र पार संचार सेवा	२७९९—२८९४
मांग संख्या ९—उड्डयन	२७९९—२८९४
मांग संख्या १०—संचार मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	२७९९—२८९४
मांग संख्या १०८—भारतीय डाक तथा तार घर पूंजी व्यय (राजस्व से न देय) . . .	२७९९—२८९४
मांग संख्या १०९—असैनिक उड्डयन पर पूंजी व्यय	२७९९—२८९४
मांग संख्या ११०—संचार मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	२७९९—२८९४

अंक २९—बुधवार, ३० मार्च, १९५५ ।

राज्य सभा से सन्देश	२८९५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पच्चीसवां प्रतिवेदन —उपस्थापित	२८९५
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	२८९५—२९१८
मांग संख्या ५—संचार मंत्रालय	२८९५—२९१४
मांग संख्या ६—भारतीय डाक तथा तार विभाग (कार्यवहन व्यय सहित) .	२८९५—२९१४
मांग संख्या ७—अन्तरिक्ष विज्ञान .	२८९५—२९१४
मांग संख्या ८—समुद्र पार संचार सेवा	२८९५—२९१४
मांग संख्या ९—उड्डयन	२८९५—२९१४
मांग संख्या १०—संचार मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	२८९५—२९१४
मांग संख्या १०८—भारतीय डाक तथा तार पर पूंजी व्यय (राजस्व से न देय) . .	२८९५—२९१४
मांग संख्या १०९—असैनिक उड्डयन पर पूंजी व्यय	२८९५—२९१४
मांग संख्या ११०—संचार मंत्रालय पर अन्य पूंजी व्यय .	२८९५—२९१४

	स्तम्भ
मांग संख्या ४६—स्वास्थ्य मंत्रालय	२९१४—४७
मांग संख्या ४७—चिकित्सा सेवायें	२९१४—४७
मांग संख्या ४८—लोक स्वास्थ्य	२९१४—४७
मांग संख्या —स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय .	२९१४—४७
मांग संख्या १२४—स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी व्यय . .	२९१४—४७
मांग संख्या ७६—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय .	२९४७—९८
मांग संख्या ७७—भारतीय भू-परिमाप . . .	२९४७—९८
मांग संख्या ७८—वानस्पतिक सर्वेक्षण . .	२९४७—९८
मांग संख्या ७९—प्राणकीय सर्वेक्षण .	२९४७— ९८
मांग संख्या ८०—भूतत्वीय सर्वेक्षण .	२९४७—९८
मांग संख्या ८१—खानें . . .	२९४७—९८
मांग संख्या ८२—वैज्ञानिक गवेषण	२९४७—९८
मांग संख्या ८३—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . .	२९४७—९८
मांग संख्या १३०—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का पूंजी व्यय	२९४७—९८

अंक ३०—गुरुवार, ३१ मार्च, १९५५ ।

पटल पर रखे गये पत्र—	
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . .	२९९१
राज्य सभा से सन्देश	२९९९—३०००
वित्त आयोग (विविध उपबन्ध) संशोधन विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया	३०००
हैदराबाद निर्यात शुल्क (मान्यीकरण) विधेयक—पुरःस्थापित . .	३०००-०१
रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक—	
प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थपित . . .	३००१
सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय में वृद्धि . .	३००१-०२
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	
मांग संख्या २१—आदिम जाति क्षेत्र .	३००१—८२,३०८२—३१००
मांग संख्या २२—वैदेशिक कार्य . .	३००१—८२,३०८२—३१००
मांग संख्या २३—पांडिचेरी राज्य . .	३००१—८२,३०८२—३१००
मांग संख्या २४—वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	३००१—८२,३०८२—३१००
मांग संख्या ११३—वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	३००१—८२,३०८२—३१००
संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . .	३०८२

GIPD—HS—41 LSL—13-8-55—240

लोक-सभा

शनिवार, १९ मार्च, १९५५

लोक-सभा ग्यारह जे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नोत्तर

(प्रश्न नहीं पूछे गये--भाग १ प्रकाशित नहीं हुआ)

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

कलकत्ता पत्तन में हड़ताल

श्री कासलीवाल (कोटा-झालावाड़) : नियम २१६ के अधीन मैं रेलवे का परिवहन मंत्री का ध्यान निम्नलिखित लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :—

"कलकत्ता पत्तन में पोत स्वामियों और जहाज़ का माल ढोने वालों की हाल की हड़ताल।"

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : १४ मार्च, १९५५ से कलकत्ता पत्तन में जहाज़ों को माल ढोने के कार्य पर प्रभाव पड़ा है। डाक कर्मचारी (नियुक्ति विनियमन) योजना के अधीन जहाज़ों पर माल ढोने वालों द्वारा नियुक्त किये गये टैली क्लर्कों के पंजीयन के सम्बन्ध में विवाद पर झगड़ा हो गया था। इस योजना के अधीन केवल जहाज़ों का माल ढोने वालों द्वारा नियुक्त किये गये टेली क्लर्कों को ही पंजीबद्ध होने का अधिकार होता है। डाक श्रम बोर्ड ने यह अनुभव किया कि क्योंकि नौवहन समवाय भी टेली क्लर्कों को नियुक्त करते हैं इसलिये केवल जहाज़ों का माल ढोने वालों द्वारा नियुक्त टेली क्लर्कों के पंजीयन में उलझनें पैदा हो जायेंगी। अतएव बोर्ड ने सरकार से प्रार्थना की कि नौवहन समवायों द्वारा नियुक्त किये गये टेली क्लर्कों को भी इस योजना में ले लिया जाये। इसी प्रयोजन के लिये नियुक्त की गई समिति कलकत्ता और अन्य पत्तनों में इस योजना के प्रवर्त्तन के सारे प्रश्न की जांच कर रही थी। यह निर्णय किया गया था कि इस योजना में कुछ परिवर्तन करने से पूर्व, जिस में प्राप्त अनुभव के अनुसार कई पहलुओं से रूप भेद की आवश्यकता प्रतीत होती है, इस समिति के कार्य निष्पादन की प्रतीक्षा की जाये। परन्तु टेली क्लर्कों ने तुरन्त पंजीयन के लिये अनुरोध किया और अपनी मांग को मनवाने के लिये धीरे धीरे काम करने की चाल अपना ली। इस पर पोत अभिकर्ताओं ने तब तक टेली क्लर्कों से काम न लेने का निश्चय किया जब तक वे धीरे काम करने के ढंग को नहीं छोड़ते। नियोक्ताओं

[श्री एल० बी० शास्त्री]

का यह कहना है कि जहाज़ों पर माल ढोने के कार्य का निरीक्षण करने वाले उन कर्मचारियों को इस कारण काम करना कठिन हो गया था जो पोत समवायों या माल ढोने वालों द्वारा नियुक्त थे, क्योंकि एक विशेष संघ के कर्मचारी, जिस के बहु संख्य टेली क्लर्क सदस्य हैं कर्मचारियों को डराते धमकाते हैं ।

इस सम्बन्ध में जब पत्तन प्राधिकारी विवाद का फैसला करवाने में असफल हुये तो उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री की सहायता मांगी जिन्होंने सब सम्बन्धित दलों की सुनवाई के पश्चात् कलकत्ता पत्तन आयुक्तों के सभापति और केन्द्रीय सरकार के परामर्श से डाक के कार्य में बाधा को रोकने के लिये आवश्यक रक्षा के हेतु अधिक पुलिस लगा दी और टेली क्लर्कों द्वारा बाधा पहुंचाने के विषय की जांच करने का वचन दिया । मुख्य मंत्री के हस्तक्षेप द्वारा स्थिति सुधर गई है और सामान्य ढंग से होने लगा है ।

पटल पर रखे गये पत्र

खनिज संरक्षण तथा विकास नियम

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : मैं खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९४८ की धारा १० के अधीन, प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय की अधिसूचना सं० एम० २–१८५(१)/५५ दिनांक १५ मार्च १९५५ में प्रकाशित खनिज रक्षण तथा विकास नियम १९५५ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई : देखिये सं० एस०८७/५५]** ।

१९५५-५६ का साधारण आय-व्ययक

सामान्य चर्चा

अध्यक्ष महोदय : आय-व्ययक की सामान्य चर्चा के लिये नियत १६ से २१ मार्च के दिनों में से आज १९ दिनांक का प्रायः अन्तिम दिन है । आज की चर्चा के पश्चात् नियत समय से दो घंटे बच जायेंगे और मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री को उत्तर के लिये डेढ़ एक घंटे के समय की आवश्यकता होगी । अतः वे सोमवार को १२-३० बजे उत्तर देंगे ।

सेठ गोविन्द दास (मंडला-जबलपुर-दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रायः जब बजट का साधारण वाद-विवाद होता है, उस में भाग नहीं लिया करता और इसका कारण यह है कि कुछ ऐसी मांगें वाद-विवाद के लिये रक्खी जाती हैं कि जिन के विषय में मैं बोलना चाहता हूं और उन पर बोलता हूं । इस वर्ष जो मांगें रक्खी गयी हैं, उनमें मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि शिक्षा विभाग की मांग हमारे सामने वाद-विवाद के लिये आने वाली नहीं है । हम सदा यह शिकायत किया करते थे कि इस देश में शिक्षा का प्रश्न इतने महत्व का है कि उसके लिये जो समय दिया जाता है विचार करने के लिये वह समय बहुत कम होता है । कुछ अधिक समय देना तो दूर रहा, यह एक नई बात की गई कि शिक्षा विभाग की मांग भी हमारे सामने विचार करने के लिये पेश होने वाली नहीं है और इसीलिये.....

श्री रघुवीर सहाय (ज़िला एटा-उत्तर पूर्व व ज़िला बदायूं-पूर्व) : उसके लिये ज़िम्मेदारी किस की है ?

अध्यक्ष महोदय : सभा के विभिन्न दलों के नेताओं ने संसदीय कार्य मंत्री और मुख्य

सचेतक के परामर्श से यह निश्चय किया था कि कुछ मंत्रालयों सम्बन्धी चर्चा इस वर्ष हो और कुछ के बारे में अगले वर्ष चर्चा की जाये ताकि सभी विषयों पर जल्दी में चर्चा न की जाये । अब गत सायं श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने प्रार्थना की है कि शिक्षा मंत्रालय पर अवश्य चर्चा की जाये । परन्तु उसके लिये समय नहीं है ।

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : मुझे यह कहने की आज्ञा है कि जब मैं ने सरकार की ओर से दल के नेताओं का सम्मेलन बुलाया था तो उन्हें कहा था कि स मंत्रालयों में से वे जिन पर चाहे चर्चा कर सकते हैं । हम तैयार हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट) : मैं केवल यह कहना चाहती हूं कि हमारे दल के नेताओं के आने के पश्चात् हम ने इस मामले पर विचार किया था । हम यह प्रार्थना आप से करते हैं । अन्य सदस्य चाहें तो इस के लिये सहमति दें अथवा न दें ।

अध्यक्ष महोदय: प्रक्रिया के अनुसार यह प्रार्थना कार्य मंत्रणा समिति के पास जानी चाहिये और यह तभी हो सकता था यदि यह कुछ दिन पूर्व प्रस्तुत की गई होती ।

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : मैं दो एक लफ्ज़ कहना चाहता हूं कई वर्षों से एन० आर० एस० आर० मिनिस्ट्री के लिये बहुत से मैम्बरों ने मुझ से इस बात की शिकायत की थी कि अभी तक इसके लिये वक्त नहीं निकाला गया और इस पर बहस करने का मौक़ा पार्लियामेंट के मैम्बरों को नहीं मिला । मेरा भी ख़याल था कि कम से कम इस वर्ष इसके लिये वक्त जरूर निकालना चाहिये लेकिन मुझे मालूम हुआ कि इसके लिये भी वक्त नहीं निकलता । अब मेरे दोस्त मिनिस्टर फार पार्लियामेंटरी अफैयर्स ने मुझे बताया है कि शायद कुछ वक्त निकल आये । फारन अफैयर्स के लिये दस घंटों का वक्त रक्खा गया है इसमें से कुछ वक्त एन० आर० एस० आर० और हैल्थ मिनिस्टीरियों की बहस के लिये निकाला जा सकता है । यह वक्त भी काफी नहीं है । सिर्फ पांच घन्टे निकल सकते हैं, ढाई घन्टे एन० आर० एस० आर० के लिये और ढाई घंटे हैल्थ के लिये । जहां तक एजूकेशन मिनिस्ट्री का ताल्लुक है, मेरी हमेशा यह राय रही है कि यह मामला निहायत अहम है इसके लिये काफी वक्त निकालना चाहिये लेकिन मामला हाउस के हाथ में था और मुझे मालूम हुआ है कि इसे इस वर्ष मुल्तवी कर दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय: मौलाना साहब की यह प्रस्थापना है कि ३० और ३१ मार्च को वैदेशिक कार्य मंत्रालय पर जो चर्चा हो रही है उस में से ५ घंटे का समय ले लिया जाये और तब शिक्षा और प्राकृतिक संसाधन सम्बन्धी चर्चा कर ली जाये ।

मौलाना आज़ाद: एजूकेशन के लिये मैं नहीं कह सकता । वक्त निकले तो मैं तो खुश हूंगा । इसका मतलब यह है कि पांच घंटे का वक्त एन० आर० और हैल्थ मिनिस्टरी के लिये निकाला जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : यह समय का समायोजन फिर कर लिया जायेगा ।

सेठ गोविन्द दास : इस बहस में मैं शिक्षा मंत्रालय पर भी कुछ कहना चाहूंगा और मैं समझता हूं कि मुझे इस की इजाजत होगी ।

अध्यक्ष महोदय: आप जो कहना चाहते हैं जरूर कह सकते हैं लेकिन वह सब बिल्कुल जनरल होगा ।

सेठ गोविन्द दास : मैं ने अभी तक अपने भाषण में सरकार की कोई शिक़ायत नहीं की थी। मैं ने यह नहीं कहा था कि शिक्षा मंत्रालय का वाद-विवाद सरकार ने बन्द किया है। मेरा कहना केवल यह था कि यह इतना आवश्यक विषय है कि इस पर इस वर्ष भी विचार होना आवश्यक था; इतना ही नहीं कि जितना समय हम इस पर देते हैं वही दें, बल्कि वह भी बहुत कम था और इस के लिये कहीं अधिक समय की आवश्यकता थी। अब चूंकि इस वर्ष इस पर विचार नहीं होगा इस लिये इस विषय में और दूसरे विषयों में जो कुछ मुझे कहना है मैं इस अवसर पर ही कहने का प्रयत्न करूंगा।

हम इस समय उस युग में चल रहे हैं जिस में कि हमें इस देश का निर्माण करना है। इस निर्माण में दो प्रकार के निर्माण हैं। एक निर्माण तो पार्थिव वस्तुओं का निर्माण है, ज़रूरियात की चीज़ों का निर्माण है और दूसरा निर्माण व्यक्तियों का निर्माण है। ज तक हम इन दोनों तरह के निर्माणों को ठीक ढंग से नहीं करेंगे तब तक हमारा देश, जिस प्रकार हम उसे उन्नत करना चाहते हैं, उस प्रकार उन्नत नहीं हो सकेगा। जहां तक पार्थिव वस्तुओं का निर्माण है, मैं सरकार को और अपने वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि हम ने इस विषय में काफी उन्नति की है। कुछ समय पहले हमारे यहां अन्न का जो कष्ट था, वस्त्र का जो कष्ट था, तेल और दूसरी ज़रूरियात की चीज़ों का जो कष्ट था आज वह कष्ट नहीं है। परन्तु जहां तक व्यक्तियों का निर्माण है, अभी भी हम उसी स्थान पर हैं जहां कुछ वर्षों पूर्व थे। हमारे यहां जिस प्रकार की भ्रष्टाचार और घूसखोरी इत्यादि की शिक़ायतें हैं क्या यह कोई भी सच्चे हृदय से कह सकता है कि यदि कांग्रेस दल की सरकार के स्थान पर कोई दूसरे दल की सरकार आ जाये तो इस दिशा में कोई उन्नति हो सकती है? कदापि नहीं, क्योंकि दूसरे दल वाले कोई देवताओं को तो इस देश का शासन चलाने के लिये ले नहीं आयेंगे उन के पास भी वही व्यक्ति होंगे इस देश का शासन चलाने के लिये जो कि कांग्रेस के पास हैं। इस लिये जब तक नैतिक चरित्र का निर्माण नहीं होता तब तक यह भ्रष्टाचार और घूसखोरी का अन्त नहीं हो सकता।

जहां तक चरित्र का निर्माण है, वह शिक्षा पर बहुत दूर तक अवलम्बित है। मुख्य आधार भाषा है। f हमने अपने संविधान में हिन्दी को इस देश की राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया है। हम ने यह निर्णय किया था कि १५ वर्ष के भीतर हिन्दी को उस का उचित स्थान मिलना चाहिये, उन १५ वर्षों में से ५ वर्ष बीत गये और हम देखते हैं कि हिन्दी का अभी भी प्रायः वही हाल है जो कि पांच वर्ष पूर्व था। इन दिनों में कुछ उन्नति इस विषय में हुई है, इसे मैं स्वीकार करता हूं। जहां तक लोक-सभा का सम्बन्ध है, हम इस उन्नति में कुछ और भी आगे बढ़े हैं, इस को भी मैं मंजूर करता हूं। इस वर्ष हमारे प्रधान मंत्री जी ने जो अपने सब मंत्रालयों को यह आदेश दिया कि जितने हिन्दी के प्रश्न हों उन का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाना चाहिये, इस को मैं हिन्दी की ओर बढ़ने का एक बड़ा क़दम मानता हूं, और अध्यक्ष महोदय, आप ने भी अब हिन्दी में कुछ बातें कहना शुरू किया है। अब आप हां और नहीं हिन्दी में कह दिया करते हैं। अब यदि आप से कोई बात हिन्दी में कही जाती है तो आप उस का उत्तर हिन्दी में देते हैं। मैं आप को इस के लिये धन्यवाद देता हूं। पर मैं आप की मारफत मौलाना साहब से यह निवेदन करना चाहता

हूं कि उन की यह इच्छा होते हुये भी कि हिन्दी को उस का उचित स्थान मिलना चाहिये, वह ज़रा भी आगे नहीं बढ़ रही है मौलाना साहब की जो शिक़ायत वित्त मंत्री महोदय से है वह शिक़ायत भी सर्वथा उचित है । जब तक मौलाना साह। को यथेष्ट धन नहीं मिलेगा त। तक मौलाना साह। इस दिशा में कुछ नहीं कर सकते । जहां तक धन का सवाल है हम २०, २० अर। रुपयों की योजनायें बनाते हैं, हम दूसरे दूसरे विभागों में करोड़ों रुपये खर्च करने को तैयार रहते हैं लेकिन जहां तक हिन्दी का प्रश्न है न जाने क्यों हमारे देशमुख साह। इतने कंजूस हो जाते हैं और उन के हाथ से रुपया नहीं निकलता ।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): आपको ग़लत ।ताया गया है ।

सेठ गोबिन्द दास : बिल्कुल ग़लत नहीं ।ताया गया । आंकड़े हमारे सामने पेश होते हैं कि किस विषय पर कितना रुपया खर्च होने वाला है । आप की जो पंच वर्षीय योजनायें आती हैं उन में आप जितना रुपया जिस विभाग में खर्च करने का विचार करते हैं वह स। हमारे सामने आता है । फिर आप यह कैसे कह सकते हैं कि सरकार जो अंक पेश करती है वे भी ग़लत हैं । मैं जो कुछ आपसे कह रहा हूं वह सरकारी अंकों के आधार पर ही कह रहा हूं ।

श्री सी० डी० देशमुख: मेरा कहना यह है कि अगर ज्यादा रुपये के लिये मांग हो जाय तो इस विषय में हमने इन्कार नहीं किया है ।

सेठ गोबिन्द दास : बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे वित्त मंत्री यह आश्वासन देते हैं कि यदि अधिक मांग होगी तो वे अधिक रुपया देने के लिये तैयार रहेंगे । और त। में उनकी तरफ़ से मुड़ कर मौलाना साह। की तरफ़ आता हूं और उनसे यह कहना चाहता हूं कि इस आश्वासन के ।द उनको यह शिक़ायत छोड़ देनी चाहिये कि उनको यथेष्ट धन नहीं मिलता । उनको हिन्दी की उन्नति के लिये कम से कम २५ करोड़ रुपया मांगना चाहिये । आप पार्थिव वस्तुओं के ऊपर इतना रुपया खर्च कर रहे हैं । हिन्दी के लिये तो मैं पांच वर्ष में केवल पच्चीस करोड़ रुपया मांगता हूं । हर वर्ष के लिये पांच करोड़ रुपया कोई बड़ी रक़म नहीं है । हिन्दी के लिये अभी हम को हुत काम करना है । अगर हम हिन्दी को ईमानदारी के साथ आगामी दस वर्षों के भीतर उसके उचित स्थान पर लाना चाहते हैं, तो यदि आप ५ करोड़ रुपया प्रति वर्ष खर्च नहीं करेंगे तो जिस तरह से ये पांच वर्ष बीत गये उसी प्रकार अगले दस वर्ष भी बीत जाने वाले हैं । हिन्दी हमें स। सरकारी विभागों में चलानी है । सब मंत्रालयों में हिन्दी के विभाग खोले गये हैं, या खोले जाने वाले हैं, लेकिन मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि उनमें जो कर्मचारी नियुक्त किये जाने हैं वे अस्थायी होंगे । उनका स्थायित्व नहीं होगा । यह आश्चर्य की ।त है ।

जहां तक अहिन्दी भाषा भाषी क्षेत्रों में हिन्दी का प्रचार है इस विषय में बहुत कम रुपया खर्च हो रहा है और आगे भी बहुत कम होने वाला है ।

जहां तक साहित्य का निर्माण है वह बहुत बड़ा विषय है । हम को पारिभाषिक शब्दावलि बनानी है, हमको भिन्न भिन्न विषयों के साहित्य का निर्माण करना है। हमको कोष बनाने हैं । कितनी चीज़ें हमें करनी हैं । तो मैं मौलाना साहब से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब वित्त मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि यदि

[सेठ गोविन्द दास]

अधिक रुपया मांगा जायेगा तो वे देने को तैयार हैं, तो वे आगामी पांच वर्षों में हिन्दी की उन्नति के लिये २५ करोड़ रुपया मांगें, और प्रति वर्ष ५ करोड़ रुपया जो बातें मैं ने बतायी हैं उन के लिये खर्च करें।

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : २५ करोड़ इन से आप लिखवा दीजिये।

सेठ गोविन्द दास : यह मेरे हाथ में नहीं है। उन्होंने जो आश्वासन दिया है उसी के आधार पर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। आप उन से २५ करोड़ रुपये मांगें। एक दूसरे विषय की ओर मैं आपका ध्यान आकर्शित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय। आपका समय पूरा हो गया।

सेठ गोबिन्द दास : मुझे दो मिनट का समय और दें। दूसरी बात मेरी गाय के सम्बन्ध में है। इस विषय में भी मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, पर आपने कह दिया कि मेरा समय हो चुका है। अतः अत्यन्त संक्षेप में ही कहता हूं। यह कृषि प्रधान देश है। जिस प्रकार यहां पर ट्रेक्टरों का उपयोग किया गया और हमारी खेती की ट्रेक्टरों से उन्नति नहीं हो सकी, यह इस बात का प्रमाण है कि जब तक हम गाय की उन्नति की ओर ध्यान नहीं देंगे तब तक हमारी कृषि, हमारे देश की खाद्य स्थिति और हमारी तन्दुरुस्ती नहीं संभल सकती। इसलिये जितना आवश्यक प्रश्न मैं हिन्दी का मानता हूं उतना ही आवश्यक प्रश्न मैं गाय का मानता हूं। लोग मुझ से कहा करते हैं कि मैं हिन्दी को और गाय को क्यों मिलाता हूं। इसका कारण यह है कि एक का हमारे शरीर से सम्बन्ध है और दूसरी का हमारे मस्तिष्क से। हमारा देश निरामिषहारी है। इसलिये जब तक इस देश में लोगों को यथेष्ट मात्रा में दूध नहीं मिलेगा, घी नहीं मिलेगा, हमारे शरीर की उन्नति नहीं हो सकती। और जब तक हमको खेती के लिये पर्याप्त रूप में बैल नहीं मिलेंगे तब तक हमारी खेती की उन्नति नहीं हो सकती है। जब तक हमारा शरीर ठीक नहीं होगा तब तक हमारी बुद्धि भी ठीक नहीं हो सकती। इसलिये बुद्धि के लिये हमें आवश्यकता हिन्दी की है और शरीर के लिये हमें आवश्यकता गाय की है। इसलिये इन दोनों विषयों पर हमारी सरकार को पूरा पूरा ध्यान देना चाहिये।

श्री एस० एल० सक्सेना (गोरखपुर ज़िला—उत्तर) : यह आय-व्ययक कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। यह प्रथम पंच वर्षीय योजना का अन्तिम आय-व्ययक है और कांग्रेस के अवादी सत्र द्वारा समाज की समाजवादी व्यवस्था सम्बन्धी संकल्प के पारित होने के पश्चात् पहला आय-व्ययक है। इस के साथ ही हमारे प्रधान मंत्री के चीन से लौटने के पश्चात् यह पहला ही आय-व्ययक है। प्रधान मंत्री ने योजना आयोग की बैठक में कहा था कि अन्य देशों की प्रगति की तुलना में हम ने योजना के गत तीन वर्ष के प्रवर्तन में बहुत सफलता प्राप्त की है। चीन ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् १ अक्तूबर, १९५४ को ही अपनी पांचवीं वर्ष गांठ मनाई है। उस देश ने जितनी प्रगति की है उस के साथ हम अपने देश की प्रगति की तुलना करते हैं। वित्त मंत्री ने प्रगति के वास्तविक आंकड़े बताते हुये बताया था कि १९५३–५४ में खाद्य उत्पादन ६६० लाख टन था और यह पंच वर्षीय योजना के अन्तिम लक्ष्य से ४४ लाख टन अधिक था। २३-९-५४ को चीन के प्रधान मंत्री ने भी प्रथम जनवादी कांग्रेस में कुछ आंकड़े बताये थे। अतः मैं उन महत्वपूर्ण

उद्योगों के सम्बन्ध में तुलना कर सकूंगा । जिनका उत्पादन राष्ट्र की शक्ति के लिये आवश्यक होता है । १९४९ में भारत में ४६८१० लाख किलोवाट बिजली पैदा की जाती थी जबकि चीन में केवल ४३२०० लाख किलोवाट बिजली पैदा होती थी । १९५४ में हमारा बिजली का उत्पादन ६८७६० किलोवाट तक बढ़ गया है जबकि चीन का उत्पादन १०,८००० लाख किलोवाट हो गया है। प्रतिवेदनों से मुझे यह पता चलता है कि भारत में इस उत्पादित बिजली का भी विक्रय नहीं हुआ । क्या इसका यह अभिप्राय नहीं कि सारी उत्पादित बिजली का प्रयोग नहीं किया गया था ?

१९४९ में हमारा कोयले का उत्पादन ३२० लाख टन था और चीन का उत्पादन केवल ३१५ लाख टन था। १९५४ में हमारा उत्पादन केवल ३६९·४४ लाख टन हुआ है जबकि चीन का उत्पादन ८१९८ लाख टन हो गया है । इस प्रकार हम ने गत पांच वर्ष में उत्पादन में १३ प्रतिशत वृद्धि की है जबकि चीन के उत्पादन में १६० प्रतिशत वृद्धि हुई है । इस्पात उत्पादन में हमारी वृद्धि २५ प्रतिशत है जब कि चीन ने १२७० प्रतिशत वृद्धि की है । सीमंट का हमारा उत्पादन १८१ प्रतिशत बढ़ा है और चीन के उत्पादन में ६२० प्रतिशत वृद्धि हो गई है । खाद्यान्न के उत्पादन में हम २२ प्रतिशत वृद्धि कर सके हैं जबकि चीन का उत्पादन ६५ प्रतिशत बढ़ गया है । इस प्रकार गत पांच वर्ष में चीन की प्रगति हमारी प्रगति की अपेक्षा ३ से पचास गुना अधिक हो गई है ।

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : क्या माननीय सदस्य दोनों देशों के सेना संगठन के आंकड़ों की भी तुलना करेंगे ।

श्री एस० एल० सक्सेना : मैं इसे फिर किसी और समय लूंगा। इस समय मैं सभा का ध्यान प्रगति की ओर दिलाना चाहता हूं ।

चीन के प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में उन तीन बातों की ओर निर्देश किया है जो देश के उत्पादन के लिये बहुत महत्वपूर्ण हैं । वे तीन बातें उन्होंने ये बताई हैं कि कुल आधुनिक औद्योगिक और कृषि उत्पादन के मूल्य के अनुपात से और दूसरे उत्पादन के साधनों के मूल्य के अनुपात से और तीसरे सहकारी तथा संयुक्त राज्य के तथा ग़ैर सरकारी उत्पादन के मूल्य के अनुपाद से गतिशील उत्पादन करने की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये ।

यदि मैं भारत के कुल उत्पादन का इस रूप में सर्वेक्षण करने की कोशिश करूं, तो मेरा विचार है कि मैं यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता कि हम समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं, किन्तु भारत के लिये ऐसे आंकड़े उपलब्ध ही नहीं हैं । अतः, मैं इस सम्बन्ध में तुलनात्मक विवरण नहीं दे सकता कि अनेक क्षेत्रों में कितने प्रतिशत उत्पादन होता है ।

इसके पश्चात्, चीन के आय व्ययकों में एक और मुख्य बात आय-व्ययक में राजस्व आय तथा प्रति वर्ष उसकी वृद्धि के सम्बन्ध में है । मैं ने अपने देश के आय व्ययकों तथा चीन के आय व्ययकों के आय के आंकड़े एकत्रित करने की कोशिश की है। १९५०-५१ से १९५४-५५ तक भारत में केन्द्र तथा भाग क और भाग ख के राज्यों के राजस्व में केवल २५ प्रतिशत ही वृद्धि हुई है, जब कि चीन में इतने समय में राजस्व लगभग चौगुना हो गया है। १९५४ का चीन का आय-व्ययक देखने से पता चलता है कि ७० प्रतिशत आय स्वयं राज्य द्वारा अधिकृत उद्योगों से प्राप्त करों से है और केवल ३० प्रतिशत आय जनता से इकट्ठी की जाती है । इसमें से भी, १५प्रतिशत आय ग़ैर सरकारी उपक्रम

[श्री एस० एल० सक्सेना]

और वाणिज्य से की जाती है । इस प्रकार आप देख सकते हैं कि साधारण व्यक्ति पर कर का भार बहुत कम है । वस्तुतः, मैं ने यह देखा कि गत पांच वर्षों में भूमि कर नहीं बढ़ाया गया है ।

अब हम चीन के १९५४ के आय-व्ययक में व्यय की मदों की ओर ध्यान दें । मैं देखता हूं कि इस साल आर्थिक पुनर्निर्माण पर इस आय-व्ययक में राजस्व का ४५·३९ प्रतिशत, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शिक्षा सम्बन्धी सेवाओं पर १४·७१ प्रतिशत, राष्ट्रीय रक्षा पर २१·११ प्रतिशत और प्रशासनीय व्ययों तथा रक्षित निधियों इत्यादि पर १८·७९ प्रतिशत खर्च किया जा रहा है ।

गत पांच वर्षों में चीन में पुनर्निर्माण पर ६,४०० करोड़ रुपयों की कुल धनराशि लगाई गई है और १६,२०० करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति हुई है । अपने देश में हम देखते हैं कि सम्पूर्ण प्रथम पंचवर्षीय योजना पर केवल २,२५० करोड़ रुपये खर्च करने का निश्चय किया गया है और गत पांच वर्षों में केवल ४००० करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति हुई है। हमें इन आंकड़ों पर विचार करना चाहिये और अपने पड़ौसी देशसे कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिये । हमें प्रत्येक देश की सफलताओं और उसके अनुभव से कुछ न कुछ अवश्य सीखना चाहिये । हमें सारे ही क्षेत्रों में गति से प्रगति करनी चाहिये, अन्यथा इस दुनिया में, जहां केवल अधिक बलवान को ही जीने का अधिकार है हम जीवित नहीं रह सकेंगे ।

श्रीमान्, अब मैं प्रस्तुत आय-व्ययक में तथा कथित घाटे की चर्चा करूंगा । इस आय-व्ययक में राजस्व पक्ष में ३० करोड़ रुपये का घाटा बताया जाता है । पिछले आठ सालों के आय व्ययकों का अध्ययन करके मैं ने देखा है कि राजस्व का अनुमान सर्वदा कम लगाया गया है और व्यय के बारे में अधिक अनुमान लगाया गया है विभिन्न सालों के आय-व्ययक देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि आय-व्ययक के प्राक्कलनों में जितना घाटा अथवा अतिरिक्त निधि दिखाई गई है, उससे कहीं अधिक अतिरिक्त निधि रही है : अतः मेरा विचार है कि इन अतिरिक्त करों के लगाने का कोई कारण नहीं है और यदि आप इनको लगाते हैं तो देश इनका स्वागत नहीं करेगा और उससे देश के विकास में बाधा उत्पन्न होगी ।

श्री आर० एस० तिवारी (छतरपुर–दतिया-टीकमगढ़): अध्यक्ष महोदय,मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे जनरल बजट पर बोलने के लिये तीन साल बाद समय दिया है ।

अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री ने जो अनुमित बजट इस साल पेश किया है वह बजट पिछले चार सालों के बजट के समान ही है । इतना ज़रूर है कि इस बजट को उन्होंने जो कांग्रेस के पास किये हुये प्रस्ताव हैं उनके अनुसार लाने की कुछ कोशिश की है । जब मैं ने बजट को अच्छी तरह से देखा तो उस में यह ज़रूर किया गया है कि ग़रीब आदमी के ऊपर से कुछ बोझ हटाया गया है और बड़ों पर डाला गया है, यह अवश्य है, परन्तु इस से वह पूर्ण रूप से समाजवादी समाज रचना के ढांचे का काम नहीं हो जाता । अध्यक्ष महोदय, यह ज़रूर है कि हमारे वित्त मंत्री ने जो बजट पिछले पेश किये थे उन बजटों से इस में कुछ सुधार किया है । कम से कम इस से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उन वर्षों में गल्ले का अभाव था जिस की बदौलत उस पर प्रतिबन्ध लगाना पड़ा था पर अब प्रतिबन्ध लगाये नहीं गये बल्कि हटा दिये गये हैं, यानी उत्पा-

दन हमारे देश का अवश्य ढ़ा है। गल्ले का ही नहीं बल्कि वस्त्र का भी। गल्ले का उत्पादन सन् १९५३ के आधार मे आज कल १८ प्रति शत ढ़ा है क्योंकि सन् १९५१ में ४७ लाख टन गल्ला विदेशों से मंगाया गया था और सन् १९५२ में ३९ लाख टन गल्ला विदेशों से मंगाया गया था तथा सन् १९५३ में ३० लाख टन गल्ला बाहर से मंगाया गया था, जिस की कि अब बिल्कुल न मंगाये जाने की आशा है। अगर मंगाया भी गया तो सिर्फ स्टाक के लिये भले ही मंगाया जाये, लेकिन खर्च के लिये भारतवर्ष में ही काफी मौजूद है। आज कल १५ लाख टन गल्ला हमारे स्टाक में मौजूद है जोकि समय नागहानी पर काम आने के लिये है। वस्त्रों में पहले सन् १९५३ में ४ अरब ९० करोड़ गज़ कपड़ा बनाया गया था जब कि गत साल दस महीने में १० करोड़ गज़ कपड़ा अधिक बनाया गया है। इसी प्रकार रुई की गांठों का हाल है। सन् १९५३ में ७३००० गांठें खर्च हुई थीं जब कि १९५४ में १० महीनों के अन्दर ७८००० गांठें खर्च की गई हैं। पिछले बजटों के मुक़ाबले में इस बजट में यह अवश्य हुआ है कि देश को इस से अधिक लाभ होने की आशा है, लेकिन ग्राम उद्योग धंधों की कोई उन्नति सामने नहीं दिखाई दी जिस से देश की उन्नति हो और उस की शक्ति बढ़े। ग्राम उद्योग धंधों से वित्त मंत्री महोदय ने बिल्कुल ही हाथ खींच रक्खा है। उन्होंने चितरंजन और सीमेन्ट आदि के कितने ही कारखाने खुलवाये हैं जिस से देश की उन्नति अवश्य हुई है परन्तु इस सब के होते हुये भी देश में जो बेकारी है, देश में जो ग़रीबी है और जो बेकरी और बेरोज़गारी बराबर बढ़ रही है उस की तरफ वित्त मंत्री महोदय ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। किसी भी देश में जब तक मनुष्य को खाने को अन्न और पहिनने को वस्त्र और रहने को मकान नहीं प्राप्त होते तब तक वह राज्य शासन योग्य नहीं कहलाता बल्कि वह राज्य कुराज्य कहलाता है। मैं यह चाहता हूं कि यदि सिर्फ इन तीन बातों को आप कर दें, जो तीन बातें मैं आप के सामने रख रहा हूं, यदि उन पर हमारे वित्त मंत्री महोदय ध्यान दें, तो मैं समझता हूं कि इन चीज़ों का बहुत कुछ समाधान हो सकता है।

सब से पहले जब देश की उन्नति की जाती है तो उस में यह देखा जाता है कि वहां प्रधान बाहुल्य किस चीज़ का है। भारत के कृषि प्रधान देश होते हुये भी आप ने कृषि की उन्नति करने की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। हमारे देश में सब से बड़ा काम कृषि का होता है, भारतवर्ष की आबादी में कृषि के काश्तकारों की संख्या २४ करोड़, ९१ लाख, २३ हज़ार ४४९ है। बाक़ी के जो लोग मज़दूरी करते हैं, नौकरी करते हैं या रोज़गार करते हैं उन की संख्या १० करोड़, ७५ लाख, ७१ हज़ार, ९४० है। तो आप देखिये कि जहां पर ढाई या तीन गुनी आबादी किसानों की है, वहां उन के लिये कुछ खयाल न किया जाये, उन की तरक्क़ी के लिये कोई उन्नति का काम न किया जाये तो देश का उत्थान कभी नहीं हो सकता है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि हमारे देश में चार प्रकार के जो किसान हैं, एक तो वे जो अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, उन की संख्या ३ करोड़, १६ लाख, ३९ हज़ार, ७१९ है। वह किसान जो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते हैं और उन के पास बहुत सी चीज़ों की कमी है, उन की आबादी १६ करोड़, ७३ लाख, ७६ हज़ार और ५०१ है, और वह किसान जो भूमिहीन है पर जिन के पास हल बैल आदि हैं और जो खेती का काम कर सकते हैं, उन की आबादी ४ करोड़, ४८ लाख, ११ हज़ार और ९२८ है। तो मेरा निवेदन यह है कि इन भूमिहीन

[श्री आर० एस० तिवारी]

किसानों के लिये भूमि देने की आप व्यवस्था करें। वह किसान जिन के पास भूमि है और जो दूसरों से उस का लगान लेते हैं उन की संख्या ५३ लाख, २४ हजार और ४०१ है। तो जिन के पास भूमि उन की आवश्यता से अधिक है उन के पास उन की जरूरत भर को छोड़ कर बाकी भूमि उन किसानों को दी जाये जिन के पास भूमि नहीं है। इस तरह से किया जाये तो बेकारी की समस्या हल हो सकती है, क्योंकि अगर सहूलियत दी जावे तो एक किसान एक हल की खेती से दस आदमियों को पाल सकता है। यदि आप ने इन किसानों की सुविधा की ओर ध्यान न दिया तो आप कितने ही आदमियों को नोकर रख लें, बेकारी की समस्या हल नहीं हो सकती। आप आज तक सरकार में २६ लाख के लगभग आदमियों को नौकर रख चुके हैं लेकिन इस से अधिक नहीं रख सके। ऐसी हालत में इन करोड़ों लोगों की बेकारी को आप कैसे दूर कर सकते हैं? बेकारी को दूर करने के लिये स से पहले आप को कृषि की ओर ध्यान देना चाहिये। इसी तरह बेकारी रुक सकती है।

बेकारी का दूसरा कारण मौजूदा शिक्षा है। जो वर्तमान शिक्षा है उस में कोई भी टेकनिकल काम नहीं सिखाया जाता। आज भी वही शिक्षा चालू है जो अंगरेज़ों के समय में थी। हमारे लाखों विद्यार्थी वहां से निकलते हैं। उन के सामने कोई रोजगार नहीं होता है। उन के सामने कोई टेकनिकल काम नहीं होता है। वह लोग स्कूल की छाया में दस, पन्द्रह साल बैठ कर निकलते हैं और बेकारी के रास्ते पर पड़ जाते हैं। अब वह शिक्षा दी जानी चाहिये जिस से कि उन का भविष्य सुधर सके। पुरानी शिक्षा पद्धति को बदलना चाहिये। जब तक ऐसा नहीं होगा त तक देश की बेरोजगारी का अन्त नहीं हो सकता है।

दूसरा कारण हमारी बेरोज़गारी का विदेशी वस्तुओं का आना है। जब तक आप विदेशी वस्तुओं पर नियंत्रण नहीं लगायेंगे तब तक देश की गरीबी दूर नहीं हो सकती है। आज हमारे भारतवर्ष के किसान ही अपने पेशे से देश को लाभ पहुंचा सकते हैं। रोजगार में तो यह होता है कि एक हाथ से रुपया लेना और दूसरे हाथ से खर्च करना। इस लिये केवल रोजगार बढ़ाने से ही देश की उन्नति नहीं हो सकती है। देश की उन्नति हो सकती है परिश्रम से मेहनत से, खदानों से। हमारे देश में बहुत सी खदानें हैं और बहुत सी चीजें भूमि के गर्भ में छिपी हुई पड़ी हैं। उनका पता लगा कर देश में उनका बाहुल्य करना चाहिये। इससे देश की उन्नति हो सकती है। नहीं तो आप बेरोजगारी को कम नहीं कर पायेंगे।

मैं विन्ध्य प्रदेश से आ रहा हूं। उस के विषय में बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि 'ग' श्रेणी के राज्यों के विकास के लिये जो आपने २ ४० करोड़ रुपया रखा है वह पिछड़े हुये राज्यों के लिये बहुत कम है इसके अलावा इस विषय में 'ग' श्रेणी के राज्यों को एक आपत्ति और है। वह यह कि जो रुपया आप उनके विकास के लिये देते और मंजूर करते हैं वह वहां पर खर्च नहीं हो पाता। उसका कारण यह है कि आप मई तक तो अपना बजट ही पास करते हैं। फिर वह प्रान्तों को जाता है और वह केन्द्रीय गवर्नमेंट को अपनी खर्च की मांगों के बारे में लिखते हैं। इसमें ६ महीने लग जाते हैं और उनको इस तरह से रुपया काफी देर से मिल पाता है। इसलिये होता यह है कि आप तो क़ागज़ में दिखला देते हैं कि हमने इतना रुपया दिया लेकिन वह समय पर न मिलने के कारण खर्च नहीं हो पाता। क्योंकि 'ग' श्रेणी के राज्यों के अधिकार सीमित हैं।

और आपके आई० सी० एस० आफिसर उनकी मांग को और भी दो महीने के लिये रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं ताकि दूसरे बजट का समय आ जाये । मैं आप को विन्ध्य प्रदेश का हाल ताऊं । गत तीन वर्ष में एक करोड़ के क़रीबन रुपया लैप्स हुआ है । आप जो रुपया देते हैं वह केवल क़ागज़ पर देखने के लिये होता है, वह केवल क़ागज़ों में रहता है, वास्तव में खर्च करने के लिये समय पर नहीं पहुंचता । आपको 'ग' श्रेणी के राज्यों के विकास के लिये ज्यादा रुपया सेंक्शन करना चाहिये क्योंकि ये छोटी छोटी रियासतों से मिला कर नाये गये हैं जिनकी आय अधिकतर बीस हज़ार से लेकर दो ढाई लाख थी । इसलिये पहले इनकी उन्नति नहीं हो सकती थी । लेकिन अगर आप ज्यादा रुपया मंजूर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो रुपया आप मंजूर करते हैं वह इन राज्यों को समय से तो मिल सके ताकि इनकी उन्नति समय से हो सके । इसलिये मेरा आप से निवेदन है कि आप 'ग' श्रेणी के राज्यों की ओर अवश्य ध्यान दें और विन्ध्य प्रदेश के यातायात को शीघ्र बढ़ाने का प्रयत्न करें आप यहां के लिये बहुत कुछ कर रहे हैं । लेकिन अगर समय पर रुपया नहीं मिलेगा तो आपका करना न करना बराबर है । ग़रीबों के काम आने वाले मोटे कपड़े और विद्यार्थियों के पढ़ने लिखने के सामान पर कर न लगाया जावे । मेरा निवेदन है कि आप बेकारी को दूर करने के लिये और देश की उन्नति के लिये आप तीन बातों पर ध्यान रखें । एक तो खेती की उन्नति पर, दूसरे वर्तमान शिक्षा पद्धति के बदलने पर, और तीसरे अनावश्यक विदेशी वस्तुओं पर प्रतिबन्ध, 'ग' राज्यों को समय पर रुपया केन्द्रीय सरकार द्वारा देने पर भी ध्यान दिया जावे । यही मेरी आप से प्रार्थना है ।

श्रीमती मणिबेन पटेल (कैरा--दक्षिण) : अध्यक्ष जी, इस बजट को पढ़ने के बाद में देखती हूं कि एक तरफ़ तो हमारे यहां अन्न के भाव गिरते जा रहे हैं और दूसरी तरफ़ आप कपड़े पर ड्यूटी लगा रहे हैं । अन्न के भाव ठीक रखने के लिये सरकार ने अन्न खरीदने के बारे में सोचा है । लेकिन सरकार तो मंडी में से खरीदती है और मंडी में से खरीदने से किसान को लाभ नहीं मिल पाता । आपके पास ऐसी मशीनरी है नहीं कि देहातों में किसान के घर घर जा कर खरीद कर के अन्न का उचित दाम दे सके । आप चाहते हैं कि मज़दूरों को ठीक से वेजेज़ मिलें, ठीक है । किसान को भी लेबर का उपयोग तो करना ही पड़ता है । अकेला किसान खेती नहीं कर सकता । उसे मज़दूर रखना पड़ता है और उसे पैसा देना पड़ता है । अब अन्न का भाव तो गिर रहा है और कपड़े का भाव आपने बढ़ा दिया है तो वह बेचारा अपना गुज़ारा कैसे करेगा । आपको यह तो सोचना चाहिये । अगर आपको पैसा ही चाहिये तो आप दिल्ली में शराब पर चाहे जितना टैक्स लगाइये । यहां शराब बहुत बढ़ गई है । अगर आप शराब को नहीं रोक सकते हो तो आप शराब पर जितना चाहे कर लगावें और जो पीना चाहते हैं उनको पीने दें । यहां ऐसा माना जाता है कि अगर आफिसर्स को बुलावें और पार्टी देना चाहें तो शराब रखनी ही चाहिये नहीं तो उनको ठीक नहीं लगेगा, मज़ा नहीं आयेगा । मैं तो चाहती हूं कि अफसरों को कहा जाय कि वे शराब न पियें । मैं ने तो यह भी सुना है कि यह पता नहीं चलता कि किस पार्टी में शराब होगी और किस में नहीं होगी । इसलिये काकटेल पार्टियों में तो शराब हो लेकिन जिन पार्टियों में शराब न हो उनका कुछ और नाम रखा जाना चाहिये । एक बार एक पार्लियामेंट के सदस्य

[श्रीमती मणिबेन पटेल]

एक आपोज़ीशन वालों की पार्टी में पहुंचे जहां शराब थी । उनको बड़ी परेशानी हुई कि 'मैं कहां आ फंसा' । कार्ड में ऐसा नहीं लिखा रहता कि शराब दी जायेगी या नहीं । जैसे टी पार्टी होती है, काकटेल पार्टी होती है, एट होम होता है, उसी तरह कोई नाम उस पार्टी को भी दिया जाना चाहिये जिसमें शराब न पी जाये । ताकि आदमी को कार्ड पढ़ने से ही समझ में आ जावे कि शराब होगी या नहीं ।

हमारे भाई गोविन्द दास न हिन्दी के लिये बहुत कुछ कहा है । यदि आपको हिन्दी को दर असल बढ़ाना है तो जो लोग हिन्दी के काम के लिये आफिस में रखे जायें वह ठीक तरह से हिन्दी जानने वाले रखे जायें इसकी पूरी तलाश करनी चाहिये । मैं जानती हूं कि इधर कुछ लोग रखे गये हैं । उनमें से कई लोग तो ऐसे हैं कि जिनकी हिन्दी को आप हिन्दी नहीं कह सकते । अगर किसी के दबाव से या सिफारिश से लोगों को रखा जायेगा तो हिन्दी का फेल्योर ही होगा ।

आज हमारा स्टाफ बढ़ गया है और काम पहले से कम होता है । काम ज्यादा है यह कह कर स्टाफ बढ़ाया जाता है लेकिन ज्यादा स्टाफ से काम ज्यादा नहीं होता । काम तो एफीशेंट आदमियों से ज्यादा होता है । आप अच्छे आदमी रखें और उनको ज्यादा तनख्वाह दें और उनसे पूरा काम लें । आज मिनिस्ट्रियों में मैं देखती हूं कि इतने डिप्टी सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी और दूसरे अफसर हैं कि उनका एक मोटा जंगल सा हो गया है और किसी को ढूंढना मुश्किल हो जाता है ।

अगर आप हिन्दी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो इनवीटेशन कार्ड भेजते हैं उसको हिन्दी में भेजें । उसमें यह कठिनाई हो सकती है कि जो लोग हिन्दी नहीं जानते हैं वे किस तरह समझेंगे । इसलिये ऐसा किया जा सकता है कि एक तरफ़ हिन्दी में और दूसरी तरफ़ अंग्रेज़ी में छपवा सकते हो । अगर आप किसी बिल्डिंग पर नाम लिखवाते हैं तो वह अंग्रेज़ी में होता है । अगर कोई मेहरबानी करके हिन्दी में भी लिखवाता है तो हिन्दी में बहुत छोटा लिखवाता है और अंग्रेज़ी में बड़ा लिखवाता है । होना यह चाहिये कि हिन्दी में बड़ा हो और अंग्रेज़ी में छोटा हो । आदमी देख देख कर ही सीख सकते हैं सिर्फ कहने से नहीं सीख सकते ।

एक तरफ़ हम कहते हैं कि क्लासलेस सोसायटी बनाना चाहते हैं । दूसरी तरफ़ यूरोपियन चेम्बर काफ़ कामर्स में अलग से जाकर बोलते हैं । यह मेरी समझ में नहीं आता । पहले ज़माने में ऐसा होता था कि वाइसराय जा कर यूरोपियन चेम्बर आफ कामर्स में बोलता था तो वह समझ में आ सकता था, वह कलकत्ते में युरोपियन चेम्बर आफ कामर्स में जाकर इम्पार्टेंट अनाउन्समेंट करता था लेकिन आज आप कलकत्ते जाते हैं और केवल यूरोपियन चेम्बर आफ कामर्स से बोलते हैं । हमारे और भी इंडियन चेम्बर आफ कामर्स हैं । आप दोनों को साथ निमंत्रण दे सकते हैं और सब को एक साथ व्याख्यान दे सकते हैं । आप को सब के साथ मिलना चाहिये । आप इंडियन चेम्बर आफ कामर्स को अलग क्यों मानते हैं ?

इधर भी मैं देखती हूं कि अगर कोई यूरोपियन किसी मिनिस्ट्री में मिलने आता है तो पहले की ही तरह उसको तुरन्त मौक़ा दिया जाता है और उसको इंटरव्यू मिल जाता है । उनको देर नहीं लगती है । और जब हमारे लोग आते हैं तो उन को समय देने के बाद भी कहते ह कि हम नहीं मिल

सकते और कई मिनिस्ट्रियों में तो ऐसा भी है कि समय ही नहीं देते। यह उचित नहीं है ऐसा नहीं मानना चाहिये कि जितने फारिनर्स हैं, जितने यूरोपियन्स हैं वे सब साहूकार हैं और वह सब सज्जन हैं और हमारे लोग जो हैं वह सब बुरे ही हैं। इससे हमारे हिन्दुस्तान के लोगों को ऐसा लगता है कि अभी भी इन लोगों को महत्व दिया जाता है और हमारी कोई पूछताछ नहीं है यह ठीक बात नहीं है।

दूसरी बात यह है कि आपने रूस के साथ स्टील फैक्टरी बनाने का समझौता किया है। लोगों में इसके बारे में काफी अन्देशा है। जो लोग वहां से जाकर आये हैं वह बतलाते है कि उनके यहां हमसे अच्छा काम नहीं होता। अब एग्रीमेंट करने के बाद आपके आफिसर्स वहां यह देखने जायेंगे कि वहां अच्छा स्टील बनता है या नहीं, वहां की मैशीनरी अच्छी है या नहीं। अगर इनको भेजना था तो एग्रीमेंट करने के पहले ही भेजना चाहिये था। यह एग्रीमेंट दो साल में हुआ।

एग्रीमेंट में यह दिया हुआ है कि अगर दो साल में मैशिनरी वह नहीं देंगे तो उनको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। किन्तु उससे हमारे यहां स्टील तो जल्दी नहीं बन सकेगी। यह सब बात एग्रीमेंट के पहले ही देखनी चाहिये थीं। लोगों को यह भी अन्देशा है कि इसका जो रुपया दिया जायगा उसका क्या होगा। जो रुपया हमारा जायगा वह रुपया हमारे विरुद्ध यहां पर प्रोपैगेन्डा करने में उपयोग होगा। अगर ऐसा ही हो तो कितनी भी अच्छी मशीनरी हो वह हमारे देश के हित में नहीं हो सकती। मैं तो कहूंगी कि अच्छी से अच्छी चीज़ भी हमें मिलती हो लेकिन अगर वह हमारे देश के हित के विरुद्ध हो और हमारे सिद्धान्त के खिलाफ़ हो और हमारी आइडियौलिजी के खिलाफ़ हो, एसी चीज़ हमें नहीं लेनी चाहिये। यह भी आपको मालूम होगा कि बम्बई में जो रूसी प्रदर्शिनी हुई थी उसमें जो रुपया उनको मिला, वह रुपया काफ़ी हमारे यहां ही हमारे खिलाफ़ उपयोग में लाया गया था, इसमें कोई शक़ नहीं है। पौज़िटिव प्रूफ हम भले ही इसके लिये न दे सकें, यह अलग बात है क्योंकि हर एक चीज़ का पौज़िटिव प्रूफ नहीं दिया जा सकता है।

दूसरी बात यह है कि आप यहां बाहर से शुगर रिफाइनरी लगानें की सोच रहे हैं। मेरी समझ में यह चीज़ नहीं आती कि इससे आप अपने देश में चीनी का उत्पादन कैसे बढ़ा सकेंगे। अगर चीनी की पैदावार अपने देश में बढ़ानी हो तो जैसे अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिये हमनें किसानों को प्रोत्साहन दिया और उन्हें सिखलाया कि खाद कैसे डालें और बीज किस तरह से बोयें, यह सब उन्हें सिखाया और उसका नतीजा यह हुआ कि हमारे देश में अन्न की पैदावार बढ़ी और हमने अन्न की कमी अपने यहां से ख़त्म कर दी। उसी तरह सचमुच अगर हम चीनी का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो उसका रास्ता यह तो है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में जो गन्ना होता है उसकी हम क्वालिटी बढ़ाने की कोशिश करें क्योंकि मैं आपको बतलाऊं कि बम्बई राज्य में जो गन्ना पैदा होता है उस गन्ने में बिहार और उत्तर प्रदेश के गन्ने की अपेक्षा दस परसेंट चीनी ज्यादा निकलती है। हमें गन्ने की क़िस्म सुधारने की कोशिश करनी चाहिये और गन्ना उत्पादकों को प्रोत्साहन देना चाहिये ताकि वह अच्छी क़िस्म का गन्ना उपजायें।

दूसरी बात यह है कि हमारे देश में काफी मात्रा में गुड़ होता है और यहां के

[श्रीमती मणिबेन पटेल]

गुड़ को बर्मा भेजने की सोच रहे हैं। यह जो बाहर से चीनी मंगा कर यहां रिफाइन करने की सोच रहे हैं तो मैं कहना चाहती हूं कि आखिर हमारे देश की चीनी की मिलें कोई बारह महीने तो चलती नहीं हैं, आप उन्हीं चीनी की फैक्टरियों में गुड़ से शुगर क्यों नहीं बनाते। बाहर से चीनी उठा लाने से तो कोई हम चीनी का उत्पादन बढ़ा नहीं सकते और यह चीज़ मेरी समझ में नहीं आती कि आप ऐसा क्यों करते हैं।

इसके अतिरिक्त यहां नेशनलाइज़ेशन की बात करते हैं, अच्छी बात है, हमारे पास उसके लिये मशीनरी है क्या ? आपने जो ऐयरवेज़ का नेशनलाइज़ेशन किया है उसका परिणाम हमारे सामने है और लोग कहते हैं और दूसरे क्यों खुद आपके पायलेट्स कहते हैं कि नेशनलाइज़ेशन से पहले जो एफिशियेंसी थी, वह एफिशियेंसी अब नहीं रही है, पहले जो डिसिप्लिन था अब नहीं है और आज उसमें घाटा बढ़ता ही जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि उसके टाइम शेड्यूल का कोई ठिकाना नहीं है। क़रीब दस दिन हुये जब कि एक भाई मेरे पास आये थे और उन्होंने बतलाया कि एक महीने पहले उन्होंने रिज़रवेशन किया था, और जब वह ऐन मौक़े पर रिज़रवेशन का टिकट लेने गये तो उहें बतलाया गया कि आपका टिकट और कोई ले गये। मैं पूछना चाहती हूं कि ऐसे कैसे आपका कारोबार चलता है। एक दिन तो बीस आदमियों के टिकट इस तरह दूसरों को दे दिये और दूसरे आदमियों के लिये कोई जगह नहीं रही। अगर इसी तरह से नेशनाइलइजेशन करेंगे तो यह नेशनलाइजेशन नहीं है। कारोबार हम ले तो लेते हैं, परन्तु हमारे पास मशीनरी नहीं, चलाने के लिये हमको तजुर्बा नहीं होता और हमको ठीक से काम करना नहीं आता यह इससे साबित होता है। जो चीज़ हमने नेशनलाइज़ की है उसको अब आप वापिस तो नहीं दे सकोगे और न उसके लिये कोई राज़ी होगा परन्तु इतना तो अवश्य कर सकते हैं कि जिन चीज़ों को हमने अपने हाथ में लिया है उनमें जो कमी है, उसको जल्द से जल्द सुधारने का प्रबन्ध करें। टाइम का तो एयर सर्विस में जैसे कोई ख्याल ही नहीं किया जाता है और यह हमारा तजुर्बा है कि किसी को हवाई अड्डे पर लेने जाते हैं तो मालूम होता है कि कभी पहुंचने में दो घंटे लगेंगे, कभी तीन घंटे लेट हो जाते हैं। एक दिन तो ऐसा हुआ कि कलकत्ते से एक हवाई जहाज़ आता है, लखनऊ उसकी हाल्टिंग थी, वहां उसको रुकना था। बाद में जब फिर पैसिंजर्स उसमें बैठे तो बैठने के बाद ऐसा पता लगा, मालूम नहीं कैसे बोझ ज्यादा हो गया और दो आदमियों को उतार दिया। इस तरह से अगर आप एयरवेज़ चलाइयेगा तो कैसे काम चलेगा और हमारी गवर्नमेंट की प्रैस्टिज कैसे बढ़ेगी। इस ओर हमको विशेष ध्यान देना चाहिये और ठीक तौर से उसका प्रबन्ध करना चाहिये।

बाहर से जो फ़िल्में हमारे देश में आती हैं, अमरीका से जो फ़िल्में यहां पर आती हैं उनके सम्बन्ध में सरकार को ठीक से देखना चाहिये। अच्छी फ़िल्में भी कुछ आती हैं और वह दिखायी जानी चाहियें, लेकिन यह जो लारेल हार्डी की अमरीकन फ़िल्में आती हैं और जिनको कि इन्नोसेंट फ़िल्म्स कहा जाता है, वह वास्तव में इन्नोसेंट नहीं होती यह ठीक है कि उनमें मज़ाक़ ही मज़ाक होता है उनमें भी बच्चों को या औरों को चोरी करते या चुपके से किसी मकान में घुस जाने या तो स्टीमर में चढ़ने और कूद कर वहां से भागते हुये दिखाया जाता है और ऐसी फ़िल्मों से बिला शुबह हमारे बालकों पर

खराब असर पड़ता है । इस तरह की ख़राब असर डालने वाली फ़िल्में अपने देश में नहीं आने देनी चाहियें लेकिन अगर किन्हीं एग्रीमेंट्स की वजह से हम उनका इस देश में आना नहीं बन्द कर सकते तो ऐसी फ़िल्मों पर काफ़ी ड्यूटी रखनी चाहिये ।

मैं ने सुना है कि आसाम के अन्दर दो, चार कपड़े की मिलें बनाने के लिये सोचा जा रहा है । कपड़े के कुछ कारखाने चालू करके आप असाम की उन्नति कैसे करेंगे, यह मेरी समझ में नहीं आता है । अगर वहां आप आसाम में कपड़े के कारखाने चालू करेंगे तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आज जो आसाम के हर एक घर के अन्दर आज जो हैंडलूम चल रहे हैं और रेशम का उद्योग चल रहा है, उनका नाश हो जायगा । शहर के अन्दर कुछ लोग आ जायेंगे और स्लम्स की प्राबलम पैदा हो जायगी । आसाम के लोगों की आमदनी बढ़े, वह काफ़ी ग़रीब हैं और उनकी आर्थिक अवस्था में सुधार हो तो इसके लिये रास्ता यह है कि आसाम के अन्दर जो इतने फल पैदा होते हैं उनको बाहर भेजने के लिये ट्रान्स्पोर्ट का प्रबन्ध हो, उसके लिये सड़कें बननी चाहियें और साथ ही जो फल पैदा कर रहे हैं उनके लिये रिसर्च होना चाहिये कि किस तरह से अच्छे क़िस्म के फल वहां पर पैदा किये जा सकें क्योंकि अच्छे फलों के होने से उनको क़ीमत भी अच्छी मिलेगी । आज हम अपना कपड़ा इंगलैंड वग़ैरह में भेज रहे हैं, तो उसका विरोध हो रहा है तो मैं कहना चाहती हूं कि कोई हम इंगलैंड वग़ैरह की तरह कोलोनीज़ पर क़ब्ज़ा करके मार्केट पर क़ब्ज़ा नहीं करने वाले हैं, राज़ी ख़ुशी से और समझौते से जितना माल बाहर जा सकेगा उतना ही हम बाहर देंगे । हमारे देश में पहले ही काफ़ी कपड़े के कारखाने हैं, इसलिये नये कारख़ाने क़ायम करने के पहले हमको ख़ूब सोच विचार लेना चाहिये ।

आज हम फादर आफ दी नेशन का नाम बार बार लेते हैं, महात्मा गांधी के कहने के अनुसार चलना चाहते हैं, ऐसा हम कहते हैं, दूसरी तरफ़ से फैमिली प्लानिंग या बर्थ कंट्रोल उसमें कोई फ़र्क़ नहीं हो सकता है, यह चीज़ आप देहात में क्यों लाते हैं । मेरे पास देहातों से चिट्ठियां आती हैं कि आप इस बला को हमारे यहां क्यों लाते हैं, इससे लोगों नुक़सान होगा, फायदा नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से आप शहर में उसको बता सकते हो और कर सकते हो, उसका उपयोग वहां पर नहीं हो सकता है । असल में बात तो यह है कि यह चीज बुरी है क्योंकि इससे हमारी नैतिक अधोगति ही होती है ।

आख़िरी चीज़ जिस पर मैं कहना चाहती हूं वह शब्द रचना पहेली (हरिफाई) के सम्बन्ध में है । इससे लोगों को नुक़सान होता है, देहातों में दो दो और चार चार आने इस तरह से लोगों से लेने के लिये एजेंट रखे जाते हैं और एक एक देहात में से लाख लाख रुपया तक ले जाते हैं । एक तरफ़ तो आप देहातों स्मौल सेविंग्स स्कीम का कम्पेन चलाते हैं और लोगों से पैसा बचाने के लिये कहते हैं और उनके संचित पैसे का सदुपयोग करना चाहते हैं और दूसरी तरफ़ यह लूट चलती रहे और रोगों को बेकूफ बना कर उनसे पैसा लिया जाय, उचित नहीं है और मेरी विनती है कि आपको इसको जल्द से जल्द बन्द करने का प्रबन्ध करना चाहिये ।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखपटनम्) : श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं अपने द्वारा उठाये गये औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में ही संक्षेप में निर्देश करना चाहता हूं । मैं ने राज्य सभा के साथ लोक सभा के सम्बन्धों के प्रश्न को पिछले तीन सालों में कई बार उठाया है । इस वर्ष ऐसा हुआ है कि रेलवे आय व्ययक और सामान्य आय व्ययक पर पहले दूसरी सभा में चर्चा हुई और फिर

[डा० लंका सुन्दरम्]

उन्हें इस सभा में लाया गया। इसका मतलब यह है कि या तो हम संविधान से अनुच्छेद १०९ और ११० निकाल दें या फिर लोकसभा को भंग कर दें। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। कुछ भी सही, मैं इस विषय में अधिक नहीं कहूंगा।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुये]

अपने वित्त मंत्री की पुराने अर्थशास्त्री के रूप में बड़ी ख्याति है। मेरे माननीय मित्र श्री शिब्बन लाल सक्सेना ने राजस्व के कम अनुमान के बारे में बताया। मैं इस महत्व पूर्ण प्रश्न की ध्यान पूर्वक जांच करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि अभी तक किसी भी सभा में इस प्रश्न की ध्यानपूर्वक जांच करने की कोशिश नहीं की गई है।

माननीय वित्त मंत्री ने आयव्ययक सम्बंधी अपने भाषण में राजस्व के कम अनुमान के सम्बन्ध में बड़े व्यापक रूप में तथा विनीत भाव से व्याख्या करने की कोशिश की है। १९५०–५१ के तथा चालू वर्ष के आय व्ययकों को निकाल कर बीच के चार वर्षों में, जिनके लिये आय व्ययक प्राक्कलन देने के लिये माननीय वित्त मंत्री उत्तरदायी हैं, सारे आंकड़ों को देख कर पता चलता है कि प्राक्कलनों में बजट की कुल अतिरिक्त निधि ३०·५० करोड़ रुपये थी और वस्तुतः वह २३४·७३ करोड़ रुपये हुई। दूसरे शब्दों में लगभग २०० करोड रुपयों का अन्तर पड़ा। इसका अभिप्राय यह है कि माननीय वित्त मंत्री को इन चार वर्षों में प्रति वर्ष ५० करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि प्राप्त हुई। व्यय का इतना अधिक तथा राजस्व का इतना कम अनुमान लगाना संसदीय आय व्ययक व्यवस्था के इतिहास में कहीं पर नहीं सुना गया।

यह कहा जा सकता है कि आय व्ययक तैयार करने के प्रारम्भ में सारे पहलुओं पर विचार नहीं किया जा सकता, किन्तु इन तीन अवस्थाओं में जो अतिरिक्त निधियां दिखाई गई हैं, उनमें इतना अन्तर है कि यह समझना कठिन है कि माननीय वित्त मंत्री देश की अवस्था से परिचित हैं और राजस्व का ठीक तरह से प्रबन्ध कर सकते हैं। आप देखेंगे कि विशिष्ट रूप से संशोधित प्राक्कलनों और वास्तविक आंकड़ों में २५ करोड़ रुपयों से ले कर ५१ करोड़ रुपयों तक का अन्तर है, जब कि आय व्ययक के दस मास पश्चात् संशोधित प्राक्कलन उपलब्ध होते हैं और जब कि वास्तविक आंकड़े संशोधित प्राक्कलनों और वित्तीय वर्ष के शेष दो महीनों के प्राक्कलनों के अन्तर के समान माने जाते हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में बतायें कि ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है।

मैं माननीय वित्त मंत्री की वित्त सम्बन्धी कार्य विधियों के और उदारहण उपस्थित करता हूं। हम केन्द्र द्वारा अनुदानों के रूप में राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता के आंकड़ों को देखें। ये अनुदान राजस्व के खाते में डालें जाते हैं। वे आंकड़े इस प्रकार हैं:

		करोड़ रुपये
१९५०–५१	संशोधित प्राक्कलन	१५·७०
१९५१–५२	आय व्ययक	१५·४३
१९५२–५३	,,	२५·२८
१९५३–५४	,,	२६३·७
१९५४–५५	,,	३२·४८
१९५५–५६	,,	३५·९३

उपर्युक्त आंकड़ों से पता चलता है कि वास्तविक अतिरिक्त निधि, अर्थात

यह निधि जो कि आय व्ययक में ३०.५० करोड़ रुपये दिखाई गई थी तथा इस कार्य विधि से २०४ करोड़ रुपये पर पहुंच गई, राज्यों को वित्तीय सहायता के रूप में ८२ करोड़ रुपये का उपबन्ध करने के बाद प्राप्त हुई थी। मैं नहीं समझ पाता कि ये आंकड़े कैसे प्राप्त हुये। मुझे प्रसन्नता होगी यदि माननीय मंत्री इस पर प्रकाश डालें और स्थिति का स्पष्टीकरण करें।

इसके अलावा राज्यों की सहायता के लिये ऋण के रूप में बड़ी बड़ी राशियां दी जाती हैं और पूंजी आयव्ययक के खाते में डाल दी जाती है, और अनुदानों के रूप में दी जाने वाली बड़ी बड़ी राशियां राजस्व आयव्ययक में डाल दी जाती हैं। अतिरिक्त निधियां कोष के नक़दी खाते में डाल दी जाती हैं और उसके परिणामस्वरूप वर्ष के अन्त में माननीय वित्त मंत्री के कोष में काफी धन हो जाता है, जब कि वर्ष के प्रारम्भ में वे यही कहते हैं कि उनके कोष में कुछ भी धन नहीं बचेगा और इसीलिये उन्होंने अतिरिक्त करों का आश्रय लिया है।

मैं यहां पर कुछ रचनात्मक सुझाव देना चाहता हूं और मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री उन पर विचार करेंगे। किन्तु इसके पूर्व कि मैं ऐसा करूं, उन्होंने मेरी आलोचनाओं के उत्तर में जो कुछ आयव्ययक ज्ञापन में किया है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं पूंजी आयव्ययक के सम्बन्ध में मैं उन से निवेदन करता हूं कि वे कम से कम अगले वर्ष के आयव्ययक अथवा आयव्ययक ज्ञापन में सभा को निम्न रूप में जानकारी दें, जो कि मेरे विचार में किसी भी देश के पूंजी आयव्ययक के लिये आवश्यक हैं: (१) कराधान द्वारा प्राप्त अतिरिक्त निधि, (२) ऋणों के रूप में ली गई धन राशि, (३) छोटी बचतों की धन राशि, (४) विकास सम्बन्धी विशेष निधि से हस्तांतरित धन राशि, (५) विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त धन राशि, (६) के नक़दी खाते में से उपलब्ध धन राशि, (७) कोष बीजकों की बढ़ती हुई आय, और (८) अन्य विविध साधन, उदारहणतः अधिक नोट छापकर घाटे की अर्थ व्यवस्था। इन सूचनाओं के बिना देश की वित्तस्थिति का अध्ययन करना कठिन होगा।

मैं माननीय वित्त मंत्री से एक बात और पूछना चाहता हूं। राज्यों को ऋणों के रूप में जो धन राशियां दी गई हैं, उनके सम्बन्ध में क्या वे इस बात का आग्रह कर रहे हैं कि राज्यों द्वारा उन राशियों का ठीक ठीक आयोग हो और क्या उन्होंने इस बात की जांच करवाई है कि राज्य उस धन को किस रूप में खर्च कर रहे हैं।

औद्योगिक उपक्रमों की समस्या के सम्बन्ध में अनुबन्ध १६ में जो सारणियां दी हुई हैं, उन में मैं अनेक दोष देखता हूं। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे उनका पुनः अवलोकन करें और आयोजित वित्त के महत्वपूर्ण विषय पर भी एक व्यापक और पूर्ण विवरण देने की कृपा करें।

श्री मूलचन्द दुबे (ज़िला फ़र्रुखाबाद—उत्तर): माननीय वित्त मंत्री के आय व्ययक की दोनों पक्षों द्वारा आलोचना की गई है। आलोचना का मुख्य विषय यह है कि गत चार वर्षों में माननीय वित्त मंत्री ने व्यय का अनुमान अधिक और आय का अनुमान कम लगाया है। आलोचना करते समय यह भुला दिया जाता है कि देश एक संक्रमण अवस्था से हो कर गुज़र रहा है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद, देश में बड़ी उथलपुथल हुई। देश की सारी अर्थ व्यवस्था अस्तव्यस्त और असंतुलित हो गई। इन परिस्थितियों में यदि प्राक्कलन सही नहीं हुये तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अतः मेरे

[श्री मूलचन्द दुबे]

विचार में इस सम्बन्ध में आलोचना करना व्यर्थ है ।

दूसरी आलोचना अपने देश की चीन के साथ तुलना के आधार पर की गई है । मेरे माननीय मित्र ने आंकड़ों का उल्लेख करते हुये बताया कि चीन में यहां से कहीं अधिक उत्पादन हुआ है । किन्तु यह तुलना करते समय मेरे माननीय मित्र ने यह भुला दिया कि इस देश में जितनी उथल पुथल हुई है, उस प्रकार की कोई चीज चीन में नहीं हुई । इसके अतिरिक्त चीन में सैन्य संगठन के आधार पर सब कुछ होता है, जब कि अपने देश में सब कुछ लोकतन्त्रात्मक रूप में होता है ।

पिछले चार वर्षों में अपने देश ने जो प्रगति की है, वह किसी प्रकार भी असंतोषजनक नहीं है । पंच वर्षीय योजना के लिये हमने जो अन्तिम लक्ष्य नियत किये थे, वे पांच वर्ष पूरे होने से पूर्व ही प्राप्त कर लिये गये हैं । भोजन एवं वस्त्र के मामले में हम स्वावलम्बी हैं । यहां तक कि चावल की कुछ मात्रा का निर्यात करने के भी हम योग्य हो गये हैं । अतः, यह कहना कि माननीय वित्त मंत्री के प्रबन्ध में देश ने उन्नति नहीं की है, सही नहीं है ।

किन्तु मैं एक बात बताना चाहता हूं कि उत्पादन की वृद्धि के साथ साथ बेरोज़गारी में भी उसी प्रतिशत से वृद्धि हुई है । इसका कारण स्पष्ट है । जो उत्पादन हुआ है, वह अधिकांशतः बड़े उद्योगों में ही हुआ है और कुटीर उद्योगों तथा छोटे पैमाने के उद्योगों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है । मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे इसकी ओर अधिक ध्यान दें ।

मेरे विचार में माननीय वित्त मंत्री इंगलैंड की पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं । औद्योगिक क्रांति के समय इंगलैंड के औद्योगिक उत्पाद संसार भर में बेचे जाते थे और भारत तो उनके उत्पादों के लिये सब से बड़ा बाज़ार था । मेरा निवेदन है कि बड़े उद्योगों के उत्पादों के सम्बन्ध में हम पश्चिमी देशों से मुक़ाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वे इस क्षेत्र में बहुत पहले से हैं और अधिक सस्ते दामों में माल तैयार कर सकते हैं । हम केवल जन शक्ति में ही उनका मुक़ा ला कर सकते हैं, अतः यदि इसका पूर्ण उपयोग नहीं किया जाता है तो इससे राष्ट्रीय हानि होती है । इस कारण कुटीर एवं छोटे पैमाने के उद्यागों पर अधिक ध्यान दिया जाय । जब यह प्रश्न पैदा हो कि उसके उत्पादों का क्या उपयोग होगा तो उस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि हम इसका बड़ा भाग विदेशों को भी निर्यात कर सकते हैं—उदाहरणार्थ विभिन्न देशों में भारतीय राजदूतावासों से संलग्न कई वाणिज्यिक सहचारी हैं । उनसे उन देशों के बाज़ार का पता करने को कहा जाय जिससे कि हम उनकी आवश्यकतानुसार वस्तुयें निर्मित कर सकें । इस प्रकार कुटीर उद्योग से विदेशी व्यापार की वृद्धि होगी तथा विदेशी मुद्रा भी उपलब्ध हो सकेगी । मैं माननीय वित्त मंत्री से प्रश्न के इस पहलू पर ध्यान देने का निवेदन करूंगा ।

दूसरी बात यह है कि वित्त मंत्री ने कहा है कि चावल के लेने देने में हमें ४५ करोड़ रुपये की हानि होने की संभावना है । यह हानि कीमतों में कमी होने के कारण नहीं प्रत्युत अगले दो या तीन वर्षों में बहुत बड़ी चावल की राशि के खराब हो जाने की संभावना के कारण होगी । वित्त मंत्री गवेषणा संस्थाओं से इस समस्या का हल ढूंढने को कहें जिससे कि यह चावल खराब होने से बचाया जा सके ।

वित्त मंत्री ने जमा खाते में ९ करोड़ रुपये नहीं जोड़े हैं। उन्होंने अपने पूर्व अनुभव से लाभ उठा कर ही ऐसा किया है क्योंकि इस राशि के पाकिस्तान से प्राप्त होने की तब तक आशा नहीं है जब तक कि पाकिस्तान के साथ हमारे अन्य झगड़ों का मुख्यतः काश्मीर के सम्बन्ध में निर्णय नहीं हो जाता है।

मुझे काश्मीर का मामला हल होते दिखाई नहीं देता है। यह झगड़ा पिछले सात वर्षों से निलम्बित है तथा उसमें किञ्चित भी प्रगति नहीं हुई है। इसका कारण यह है कि सुरक्षा परिषद् ने आक्रमणकारी तथा जिस देश पर आक्रमण हुआ है उन दोनों को समकक्ष रखा है। यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जाय कि वार्ता असफल रहती है तो सुरक्षा परिषद् आक्रमणकारी के सम्बन्ध में निर्णय करेगी तथा पाकिस्तान के आक्रमणकारी सिद्ध होने पर वह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बैठक बुला कर उस पर अपने निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये बल प्रयोग कर सकती है ; किन्तु सुरक्षा परिषद् का एक सदस्य अमरीका हाल में ही पाकिस्तान को अर्थ सहायता दे चुका है। इस से कठिनाई पैदा हो जायेगी।

सुरक्षा परिषद् में पांच स्थायी सदस्य हैं। नियम यह है कि इन पांचों को मत देना होता है तथा जब तक पांचों राष्ट्र सर्व सम्मत नहीं होते हैं तब तक सुरक्षा परिषद् निर्णय नहीं कर सकती है। इसलिये इस प्रश्न पर निर्णय करना संभव नहीं हो सकेगा और यदि वह निर्णय करती है तो वह संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकार पत्र का उल्लंघन करती है क्योंकि अमरीका पाकिस्तान को सहायता दे चुका है।

श्री गाडगिल (पूना—मध्य) : प्रधान मंत्री जी के शब्दों में हमने दृढ़तापूर्वक यह निश्चय किया है कि हम समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं। अतः हमें यथासम्भव इस प्रकार की नीति बरतनी चाहिये कि हम शीघ्रतिशीघ्र लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। मोटे रूप से समाजवाद के सिद्धान्त हैं :—अवसर की समानता, आय की समानता, सामाजिक सुरक्षा स्वामित्व एवं नियंत्रण, अर्थात् कर लगा कर आय को विकेन्द्रित करना तथा दूसरी ओर योजना बना कर स्तर को उठाना इस प्रकार समाज में समानता की स्थापना करना ही समाजवाद है।

वर्तमान अवस्था यह है कि कुल ९४ करोड़ कर में से, ४३ करोड़ रुपये १४२४ व्यक्ति एवं उनके परिवारों के द्वारा दिये जाते हैं, तथा १६१ व्यक्ति २५९,५००,००० लाख रुपये कमाते हैं जिसमें से आयकर दे कर उनके पास विशुद्ध ४४,४००,००० रुपये की राशि बची रहती है। यदि यह धन का केन्द्रीयकरण नहीं तो और क्या है ?

इसीलिये करारोपण जांच आयोग के प्रतिवेदन के पूर्व ही मैं ने कहा था कि अधिकतम आय पर नियंत्रण होना चाहिये तथा ५,००० रुपये की आय तक कोई आय कर न हो ; तथा २०,००० रुपये से ऊपर की विधि की आय नहीं होनी चाहिये।

यदि करारोपण जांच आयोग की सिफारिशों पर विचार कर के आय कर देने के पश्चात् अधिकतम राशि ५०,००० रुपये मान ली जाय तो राजकोष को ३ करोड़ ३६ लाख रुपये से कम की आय नहीं होगी। अतः मैं निवेदन करूंगा कि सरकार को अपने समाजवादी ढांचे के समाज की स्थापना का वचन पूरा करना चाहिये।

आपको यह सुन कर आश्चर्य होगा कि आर्थिक शक्ति किस प्रकार मुट्ठी भर लोगों के हाथों में केन्द्रित है। केवल २० व्यक्तियों के हाथों में ८०० निदेशन हैं। प्रबन्धक एजेन्टों तथा अंशधारियों के बीच लाभ के वितरण का अनुपात १९४७ तक

[श्री गाडगेल]

बम्बई की वस्त्र मिलों में ३८·८ प्रतिशत से ४६·२७ प्रतिशत था अहमदाबाद में यही अनुपात ७०·५ से २९·५ था दूसरे शब्दों में २५० प्रबन्धक एजेंटों को इतनी राशि मिलती है जितनी कि १९,५०,००० अंशधारियों को प्राप्त होती है।

इस प्रकार की अवस्था सदैव नहीं रह सकती है, तथा यदि हम संविधान की प्रस्तावना के अनुसार अपनी दशा सुधारना चाहते हैं तो हमें तत्काल ही कुछ कार्यवाही करनी पड़ेगी।

पिछले सात वर्षों के दौरान यह हुआ है कि प्रत्यक्ष करों का अनुपात ४८ से घट कर २४ रह गया है, तथापि धनी अधिक धनी हो गये हैं और निर्धन अधिक निर्धन हो गये हैं। हमें इस विषमता को दूर करना है। करारोपण की नीति से ही यह विषमता दूर हो सकती है। यद्यपि यही एकमात्र उपचार नहीं है, तथापि दूसरी योजनायें भी शक्तिशाली होनी चाहियें। योजनाओं के लिये अर्थव्यवस्था का प्रश्न है। करारोपण जांच आयोग ने कहा है कि घाटे की अर्थव्यवस्था के पूर्व कर के सभी स्रोतों का उपयोग कर लेना चाहिये, क्योंकि घाटे की अर्थ व्यवस्था का प्रभाव उपभोग पर पड़ता है, न कि गैर-सरकारी क्षेत्रों पर। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि नये कर लगाने अथवा वर्तमान करों में वृद्धि करने के पूर्व पर्याप्त विचार कर लेना चाहिये। मैं इसके विरुद्ध कदापि नहीं हूं, तथापि घाटे की अर्थव्यवस्था अपनाने के पूर्व करारोपण को अन्तिम सीमा तक पहुंच जाना चाहिये।

करारोपण जांच आयोग ने प्रोत्साहन के सम्बन्ध में लिखा है परन्तु मेरा कहना यह है कि हमारा देश समाजवादी होने जा है। तब पूंजी उत्पादन की जिम्मेदरी मुट्ठी भर व्यक्तियों पर ही क्यों थोपी जाय। यह तो सारे देश का कर्त्तव्य होना चाहिये। मुट्ठी भर पूंजीपतियों के लिये प्रोत्साहन का प्रश्न पैदा ही नहीं होता है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जब इस पद्धति से कर प्राप्त करने की अन्तिम सीमा आ जाय तभी घाटे की अर्थव्यवस्था अपनानी चाहिये।

आगामी पंच वर्षीय योजना में ५,५०० करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है, जिसमें से ३,००० करोड़ रुपये गैर सरकारी क्षेत्रों को दिये जायेंगे। यह क्षेत्र पहले ही देश पर हावी है। इसके पश्चात् तो और भी अच्छी तरह हावी हो जायेगा। इसलिये उत्पादन के क्षेत्रों के स्वामित्व तथा नियंत्रण को अपने हाथों में लेने के लक्ष्य की पूर्ति सरकार को शीघ्र से शीघ्र करनी चाहिये। इस पद्धति से ही प्रगति सम्भव हो सकती है।

हमारी योजना का आधार दृढ़ होना चाहिये। अभी कई प्रश्न अनिर्णीत हैं। भारत के भावी औद्योगिक संगठन का स्पष्ट निर्वचन होना चाहिये। मुख्य बात यह है कि योजना इस प्रकार की हो कि गरीबी का उन्मूलन हो सके। जैसा कि आर्य चाणक्य ने कहा है, यदि व्यक्ति गरीब रहता है तो वह लोभी एवं अराजक हो जाता है, जिससे देश की शान्ति तथा व्यवस्था में खतरा पैदा हो जाता है।

इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह करारोपण की नीति पर पुनर्विचार करे तथा मुट्ठी भर लोगों के ही हित का विचार न कर उनकी अतिरिक्त आय को देश की समस्त जनता के लिये उपलब्ध कराये।

श्री एच० एल० अग्रवाल (ज़िला जालौन व ज़िला इटावा—पश्चिम व ज़िला झांसी उत्तर) : सभापति जी, मैं अपने वित्त

मंत्री को यह बजट पेश करने के लिये धन्यवाद देता हूं ।

तीन दिन से जो बजट पर यह बहस चल रही है उसमें तरह तरह की समालोचनायें हुई हैं । इन समालोचनाओं में कुछ ऐसी भी समालोचनायें हैं जो कि वस्तुस्थिति से कोई सम्बन्ध नहीं रखती हैं और बहुत सी ऐसी बातें कही गयी हैं जिन से मेरी समझ में कोई फायदा होने वाला नहीं है । कहा जाता है कि देश की अवस्था बहुत खराब है और कई बातें कही जाती हैं । कुछ सदस्यों ने यह भी कहा है कि हमारा बजट इतना अच्छा है कि इससे अच्छा हो ही नहीं सकता । मैं समझता हूं कि सत्य दोनों के बीच में है । वास्तव में इसमें कोई शक़ नहीं है कि हमारी स्थिति में बहुत कुछ सुधार हुआ है । अगर हम तीन चार साल पहले की स्थिति से आज मुकाबला करें तो हम देखेंगे कि आज स्थिति कहीं ज्यादा अच्छी है ।

जहां तक पैदावार का ताल्लुक़ है मैं समझता हूं कि हमारे यहां सभी तरह की पैदावार में तरक्क़ी हुई है । हमारी खेती की पैदावार में काफी तरक्क़ी हुई है । जहां तक अन्न का ताल्लुक़ है, जहां तक रुई का ताल्लुक़ है, जहां तक आइल सीड्स का और दूसरी चीज़ों का ताल्लुक़ है, हमारे यहां पैदावार में बड़ी तरक्क़ी हुई है इसमें कोई शक़ नहीं है । खेती की कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनमें तरक्क़ी नहीं हुई है, मसलन जूट है और शुगर केन है । इनकी पैदावार में कमी हुई है । इसलिये सत्य बात तो यह है कि जहां अन्न की पैदावार में तरक्क़ी हुई है वहां खेती की दूसरी पैदावार में कुछ कमी हुई है । इसलिये सरकार को इससे सन्तुष्ट नहीं होना चाहिये । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि खेती की पैदावार में जो तरक्क़ी हुई है इसमें कोई अकेली सरकार का ही हाथ नहीं है । सरकार के प्रयत्न के अलावा भगवान की कृपा भी रही है । उसके लिये हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिये कि इधर तीन चार सालों में फसलें अच्छी हुई । यानी काफी अच्छा बरसा इसलिये हमारी फसलें इतनी अच्छी हुई हैं जैसी कि आम तौर पर से नहीं हुआ करती थीं । इस प्रकार हमारी अन्न की समस्या जो कि बड़ी जटिल हो गयी थी, और जिसके लिये हमने कंट्रोल लगाये जिससे सारे मुल्क में भ्रष्टाचार बढ़ गया, वह हल हो गयी और उस पर हम क़ाबू पा सके ।

इसी तरह से हमारे उद्योग धन्धों में भी तरक्क़ी हुई है । हमारे उद्योगों की पैदावार चाहे आप कपड़े को लें, चाहे लोहे और फौलाद की तरफ़ देखें, सब में काफ़ी तरक्क़ी हुई है । हमारे पुतलीघरों में काफी कपड़ा बना है । पिछले साल हमारे यहां ५०० करोड़ गज़ से ऊपर कपड़ा बनाया गया । इसका नतीजा यह हुआ है कि जहां हम पहले बाहर रुई भेज कर कपड़ा मंगाया करते थे वहां अब हम बाहर कपड़ा भेज कर बाहर से रुई मंगाने लगे हैं । रुई की पैदावार को भी बढ़ा कर हमने अपनी कपड़े की समस्या को हल किया है । इसी तरह से और भी बहुत सी कोशिशें उत्पादन बढ़ाने की की जा रही हैं । लोहे और फौलाद के उत्पादन में हमने तरक्क़ी की है । अभी चीन की बात कही गयी कि वहां बहुत ज्यादा तरक्क़ी हुई है । मैं नहीं जानता कि यह बात कहां तक सही है । लेकिन अगर मान भी लिया जाय कि वह सही है कि वहां पैदावार में तरक्क़ी हुई है तो हमें यह भी देखना चाहिये कि वहां किस तरह से तरक्क़ी हुई है और हमारे यहां किस तरह से हुई है । दोनों जगहों की परिस्थितियों में बड़ा फ़र्क़ है । हमारे यहां जो तरक्क़ी हुई है वह सब को साथ लेकर, प्रेम से, मुहब्बत से हुई है । हमारे यहां कोई रेजीमेंटेशन नहीं किया गया जिस तरह से कि चीन में किया गया । जिस तरह से वहां ज़बरदस्ती से काम लिया जाता है वैसा

[श्री एच० एल० अग्रवाल]

हमारे यहां नहीं है । हमारा जो तरीक़ा है वह काफी अच्छा है । मैं तो कहूंगा कि जो हमारे लोहे और फौलाद के मौजूदा कारखाने हैं उनके उत्पादन में बहुत तरक्क़ी हुई है और इनके अलावा दो और नये कारखाने बनाने की योजना बना ली गयी है ।

इसी तरह से हमारे कोयले और बिजली की पैदावार में भी काफी तरक्क़ी हुई है । बिजली आज पहले से बहुत ज्यादा है । हमारे यहां बहुत से बांध डाले जा रहे हैं, नदी घाटी योजनायें हैं, जिन से मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी ही हमारे यहां पावर (बिजली) में बहुत तरक्क़ी होगी ।

मैं ने दो चार बांधों को खुद जाकर देखा है । मैं भाखरा नंगल गया था । मैं ने डी० वी० सी० की बिजली की प्रोजेक्ट्स को भी देखा है । कुछ लोग कहते हैं कि इसमें बहुत सा गोलमाल है । हो सकता है कि मुल्क की मौजूदा परिस्थितियों में कुछ खराबियां हुई हों, बहुत कुछ रुपया बरबाद जाता हो, रिश्वतखोरी भी चली हो । लेकिन इस सब को देखने से यह साफ हो जाता है कि जो तरक्क़ियां हुई हैं वे ऐसी नहीं हैं कि जिन पर हम अभिमान न कर सकें । मैं तो कहूंगा कि जो चीज़ें मैं ने देखी हैं उन पर हमको अभिमान करने का काफी मौक़ा है ।

हमारी कम्युनिटी प्राजेक्ट्स का जो काम देहातों में चल रहा है उसको आप देखें । इटावा में जो प्राजेक्ट चल रही है उसके बारे में मेरा अपना अनुभव है कि वहा पर बहुत काम हुआ है । कुछ लोग वहां से आकर कहते हैं कि वहां कोई तरक्क़ी नहीं हुई है । लेकिन ऐसा वे ही लोग कहते हैं जो कि यह सोच कर जाते हैं कि वहा कीई बड़ी बड़ी इमारतें होंगी । लेकिन खेतों में कोई बड़ी बड़ी इमारतें और कारखाने वो नहीं हो सकते । वहां तो यह देखना चाहिये कि किसानों के दिमाग की हालत कुछ बदली या नहीं, उन्होंने कुछ सीखा या नहीं, किसानों ने खाद का इस्भेमाल सीखा या नहीं, तरक्क़ी शुदा बीज का इस्तैमाल करना सीखा या नहीं, मवेशियों की तरक्क़ी के लिये कुछ सीखा या नहीं । मैं अर्ज़ करूंगा कि इटावे में काफी काम हुआ है । वहां इन सब बातों को किसानों ने अच्छी तरह से जान लिया है और उनमें बड़ा उत्साह है, और मैं तो यह कहूंगा कि इस कम्युनिटी प्राजेक्ट्स के चलने की वजह से वहां लोगों के खेतों की पैदावार पहले से दुगनी हो गयी है, और दुगनी पैदावार हो जाने से वहां के लोगों की हालत पहले से कहीं अच्छी हो गयी है । मेरा ख्याल तो यह है कि वहां के लोग पहले से काफी सुखी हैं ।

मैं यह कह रहा था कि इस तरह से आप देखें तो आपको मालूम होगा कि हमारी सरकार ने बहुत से काम किये हैं और तरक्क़ी की है । इनके अलावा भी बहुत से तरक्क़ी के काम किये गये हैं । हम जिस तरफ निगाह डाल कर देखें, अगर हम अपने विदेशी व्यापार की बात देखें तब भी हमारे लिये सन्तोष की बात है कि हमारा व्यापार ऐसा है । अब हम जितनी चीज़ें बाहर भेजते हैं, और बाहर से जो चीज़ें हम देश के अन्दर मंगानी पड़ती हैं, हमारा बैलेंस आफट्रेड या पेमेंट का बैलेंस क़रीब क़रीब बराबर उससे यह साबित होता है कि हम कोई हानि में नहीं हैं । हमारा मुल्क ठीक चल रहा है, हमारे यहां की जो हालत थी अभी दो तीन वर्ष पहले की, सरकार पर विश्वास हट सा रहा था । आज हम देखते हैं कि सरकार पर विश्वास फिर से ऊंचे चढ़ रहा है और वह इस से साबित होता है कि जो यह क़र्ज़ा लेने की बात की गई थी, वह क़र्ज़ा बड़ी आसानी से

वसूल हुआ है इसी तरह से बहुत सी बातें हैं, लेकिन में एक बात की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि हमारी जो टैक्स सम्बन्धी नीति है, कर की नीति है, वह कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। इस मामले में हमारे किसानों पर उसका काफ़ी बोझा पड़ता है। इसमें कोई शक नहीं है कि तेज़ी की वजह से गल्ले की तेजी हुई, अन्न की तेजी हुई और दूसरी प्रौडक्टस की तेजी हुई, तेजी हो जाने की वजह से एक तरह से उसकी रिअल वैल्यू तो कम हो गयी और जो टैक्स किसानों को देना पड़ता था, उसकी रिअल वैल्यू बहुत कम हो गयी और इसलिये किसानों को बड़ी राहत हो गयी और उनकी दशा कुछ अच्छी हो गयी थी लेकिन अब तख्ता पलट रहा है। अब एग्रीकलचरल कलोडिटीज़ का सस्ता होना शुरू हुआ है और अनाजों के भावों में काफी गिरावट आ गई है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर मोटे अनाज को देखा जाय तो उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आई है, जो अनाज पहले तीन सेर का बिकता था वह आठ सेर और नौ सेर का बिक रहा है और इस मंदी के कारण हमारे किसानों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गयी है आज उसके पैदावार के भाव तो गिर गये हैं लेकिन उनकी ज़रूरत की जो चीज़ें और सामान हैं, उनके दाम अभी तक गिरे नहीं हैं, इसलिये उनको दिक्क़त हो रही है। अगर जल्दी से कोई रोकथाज नहीं की गयी तो मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो उन पर टैक्सेज़ का भार है वह दूसरों की बजाय उन पर और भी ज्यादा हो जायगा। इसमें कोई शक़ नहीं कि सरकार ने कोशिश की। सरकार ने यह कोशिश की है कि डाइरेक्ट टैक्स पहले से कुछ ज्यादा बढ़ाया है लेकिन वह काफ़ी नहीं है और मेरा ख्याल है कि मालदार आदमियों पर पैसे वाले आदमियों पर ज्यादा बोझा डालकर जो लोग पैसे वाले नहीं हैं उन पर टैक्स का भार कम किया जाय। तभी हमारी कांग्रेस का जो सोशलिस्टिक पैटर्न क़ायम करने का लक्ष्य है, वह पूरा हो सकेगा, अन्यथा नहीं हो सकेगा। इसलिये मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि इस पालिसी में सुधार हो।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह (आन्तरिक मनीपुर) : बजट को देखने पर मेरे हृदय में सर्वप्रथम यह प्रतिक्रिया हुई कि भारतीय रियासतों के भूतपूर्व शासकों के लिये ५,४२,७७,००० रुपये का उपबन्ध जो उनकी निजी थैलियों के लिये किया गया है आवड़ी के संकल्प के बिल्कुल विरुद्ध है। जब एक ओर घाटे की अर्थ व्यवस्था है तथा नये नये कर लगाये जा रहे हैं तब भला इन नरेशों को क्यों छोड़ा जाय ?

आवड़ी संकल्प को ध्यान में रख कर हमें धनी तथा दरिद्र के बीच विषमता दूर करनी है। भूतपूर्व राजाओं को अपना अतिरिक्त धन राष्ट्र को देना चाहिये जिससे उसका राष्ट्र-निर्माण में उपयोग हो सके। राजाओं तथा भूतपूर्व शासकों को भी इस परिवर्तित समय का ध्यान रखते हुये कार्यों करना चाहिये, यदि वे ऐसा न करें तो उनकी निजी थैलियां बन्द कर देनी चाहिये। यह आश्चर्यजनक बात है कि मनीपुर और त्रिपुरा की रियासतों को ३,००,००० तथा ३,३०००० रुपये दिये गये हैं। ये निजी थैलियां विलयन के पूर्व की निजी थैलियों से पांच गुनी हैं। इसके अलावा उनके पास हज़ारों एकड़ धान के खेत पड़े हुये हैं। जब एक राजा तथा चौकीदार की आय में इतना अन्तर है तो समाजवादी ढांचे के समाज की स्थापना बहुत दूर की चीज़ है।

मेरा दूसरा प्रश्न आदिम जातियों के विकास का है। हमें उन्हें आर्थिक रूप से

[श्री एल० जोगेश्वर सिंह]

सन्तोष देना है तथा सभी आधुनिक सुविधायें देनी हैं। इन आदिम जातियों के लिये स्कूल, अस्पताल, सड़कें इत्यादि कुछ भी नहीं है। आदिम जातियों के कल्याण के लिये यह आवश्यक है कि हम उनकी समस्याओं का धार्मिक उत्साह से सुलझाव ढूंढें।

इस सम्बन्ध में मैं विदेशी पादरियों के सम्बन्ध में कुछ बातें कहूंगा। हर कहीं उनका तिरस्कार किया जाता है एवं उन्हें लांछन लगाया जाता है किन्तु यह सरासर ग़लत ह। सत्य बात तो यह है कि उन्होंने अपनी सेवाओं से तथा पाठशालायें, अस्पताल सड़कें इत्यादि बनवा कर आदिमजातियों के हृदय को जीत लिया है। इनमें से कुछ पादरी बुरे हो सकते हैं किन्तु सभी ऐसे नहीं हैं। यदि हम आदिवासियों का हृदय जीतना चाहते हैं तो हमें उनकी समस्याओं को गांधीवादी ढंग से हल करना होगा तथा उनकी सुख-सुविधाओं के लिये अपने सुख तथा आनन्द का त्याग करना होगा।

मनीपुर राज्य में पी० एस० पी० का आन्दोलन खत्म हो गया है, किन्तु यह शान्ति अस्थायी एवं भावी अशांति की सूचक हो सकती है। यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई अथवा उत्तरदायी सरकार की स्थापना में विलम्ब हुआ तो पुनः स्थिति बिगड़ सकती है। मैं उस स्थिति की गम्भीरता को भली भांति जानता हूं। निस्सन्देह, वहां जनता की एक महान् शक्ति है। मैं उस राज्य से सम्बन्ध रखता हूं, अतः मुझे इस बात का ज्ञान है। सरकार को इस बात की महत्ता कम नहीं करनी चाहिये। उस समय के गृह मंत्री डा० काटजू ने कहा था कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें जून तक प्राप्त हो जायेंगी। यदि उन्हें क्रियान्वित भी किया गया तो इस कार्य में कम-से-कम दो वर्ष लगना एक साधारण सी बात है। अतः, मैं सभा से प्रार्थना करता हूं कि कम-से-कम मनीपुर के सम्बन्ध में सिफारिशों को शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वित किया जाये क्योंकि यह वहां के लोगों की सर्वप्रिय मांग है। यदि ऐसा न किया गया तो मुझे भय है कि वहां शान्ति नहीं रहेगी और ऐसी गड़बड़ का किसी सीमान्त क्षेत्र में होना हानिकारक होता है।

दूसरे, उस राज्य में कर इतने ज्यादा लगे हुये हैं कि उनकी गणना नहीं हो सकती। साइकिलों से लेकर कुत्ते पालने तक—सभी बातों पर कर लगाये गये हैं। साइकलों पर यदि कोई नगरपालिका कर लगाये तो उचित भी है, किन्तु मनीपुर राज्य में कोई नगरपालिकायें आदि नहीं हैं। अतः वहां यह कर न्याय्य नहीं है। दूसरे वहां पर थियेटर कर का भी उत्सादन होना चाहिये क्योंकि वहां इसका अनुसरण एक कलात्मक प्रयोजन के लिये होता है। कर जांच आयोग ने भी टाल कर, थियेटर कर तथा साइकिल कर के उत्पादन की सिफारिशें की हैं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य पहले से ही अधिक समय ले चुके हैं अतः उन्हें अब भाषण समाप्त करना चाहिये।

श्री मोहनलाल सक्सेना (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी) : सभापति जी, सब से पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे बोलने का मौक़ा दिया।

कब्ल इस के कि मैं बजट पर चर्चा करूं मैं चाहता हूं कि मैं आप को बता दूं कि कांग्रेस की सरकारों ने केन्द्र और राज्यों में जो काम किया है उस की मैं सराहना करता हूं। साथ ही साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो कि मेरे आदरणीय नेता हैं,

कारनामों और ऐचीवमेंट्स पर भी मुझको विशेष गर्व है। मेरा उन के साथ लगभग ३५ साल से निकट सम्पर्क रहा है। उन से मैं ने बहुत सी बातें सीखी हैं और साथ ही मुझे यह भी कहना है कि मुझ से जो कुछ थोड़ी बहुत सेवा बन सकी है उस का बहुत कुछ श्रेय उन को ही है। उन्होंने जिस तरह से हमारे देश का मुख उज्ज्वल किया है, जिस तरह से दुनिया में हमारा मस्तिष्क ऊंचा हुआ, जिस तरह से उन्होंने एशिया के लोगों में नई स्फूर्ति फूंकी और एशिया में एक नया जीवन आया, जिस तरह से उन्होंने अपनी अन्तर्राष्ट्रीय नीति पर चल कर के दुनिया को, चाहे थोड़ी ही देर के लिये क्यों न हो, संकट से बचाया है, इन तमाम बातों को देखते हुये हम सब के दिल फूल जाते हैं। परमात्मा से हमारी प्रार्थना यह है कि वह दीर्घायु हों, उन को स्वास्थ्य बुद्धि और शक्ति मिले ताकि हम को अपने ध्येय पर पहुंचने में उन का पूरा नेतृत्व प्राप्त हो और विश्व में, शान्ति स्थापित करने में उनको पूरी सफलता हो।

इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि जो कुछ हम ने किया है वह काफी अच्छा है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या हम लोग इस से ज़्यादा नहीं कर सकते ?

इस सवाल पर मैं ने सोचा है और तमाम बातें सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हम इससे कहीं ज्यादा कर सकते थे और वह हमने नहीं किया। यह कोई मेरा तात्कालिक विचार नहीं है। मैं इस सदन में भले ही चुप रहा हूं। जो सवाल यहां पर आये हैं उन पर मैं नें बराबर सोचा और विचारा है और अपने विचारों को प्रधान मंत्री और दूसरे मंत्रियों तक पहुंचाया है और आज मैं कह सकता हूं कि वे जो मेरे विचार थे वे अपने अनुभव के आधार पर थे। परंतु आज तीन चार बरस में मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वह ठीक रास्ता था और हमारे मंत्रियों ने और सरकार ने उसको नहीं अपनाया। उसकी वजह से हमारा काम ज्यादा आगे बढ़ता। मैं अब तक खामोश रहा लेकिन ऐसे मौक़े आते हैं कि जब आदमी चुप नहीं रह सकता और आज वह मौक़ा है कि मुझे बोलना पड़ रहा है। यह हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना का आखिरी साल है और हम दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाने वाले हैं। इस वास्ते जो कुछ भी मैं ने सोचा है, जो कुछ भी मेरे नतीजे हैं, जो नतीजे मैं ने मंत्रियों और प्रधान मंत्रियों को भेज दिये हैं, उनको मैं सदन के सामने रख देना चाहता हूं। लेकिन इसके पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि हम को इस बजट को किस कसौटी पर कसना चाहिये। तीन बरस पहले तो मेरी एक ही कसौटी थी और उसको मैं ने प्रधानमंत्री को लिखा भी था कि जब तक हम फूड (खाद्य) के सवाल को नहीं हल कर सकते, हम चाहे जितना काम करें हमारा सारा काम बेकार हो जायगा। मुझे खुशी है कि आज वह मसला हल हो गया और इस मसले के हल करने में मेरे मित्र स्वर्गीय रफी अहमद किदवई साहब का हाथ था, और मैं कोई भेद की बात नहीं बताता कि उनके खाद्य मंत्री बनने में कुछ मेरा भी हाथ था। जब मंत्रिमंडल बनने वाला था तो मैं ने प्रधान मंत्री को एक खत लिखा था कि और मिनिस्टर तो आप चाहे जिस किसी को बनावें लेकिन आप फूड मिनिस्टर ऐसा बनावें कि हमारा फूड का मसला हल हो सके। इसके बाद जब रफी साहब को यह महकमा सौंपा गया तो बहुत से मित्रों ने और उनके इर्द गिर्द वालों ने उनको सलाह दी कि यह तो उनके प्रतिद्वन्द्वियों की एक चाल है कि उनको ऐसा महकमा दिया जा रहा है जिसमें बहुत से मंत्रियों की ख्याति की कब्र बन चुकी है। उस मौके

[श्री मोहनलाल सक्सेना]

पर वह मेरे पास आये । मैं ने उनको अपना पत्र दिखाया और उससे उनकी आशंका दूर हो गयी और उन्होंने उस ज़िम्मेदारी को ले लिया । उन्होंने उस काम को किया और उस के पूरा करने में अपनी जान दे दी ताकि मुल्क ज़िन्दा रहे । उन्होंने यह नहीं किया कि वह आंकड़े लिये बैठे रहे हों । अब इस बजट को इस कसौटी पर कसना होगा कि बेकारी की समस्या उससे कहां तक हल होती है । पहले तो वित्त मंत्री को यही यक़ीन नहीं हुआ कि अनएम्प्लायमेंट है और बढ़ रही है । जब यक़ीन हुआ तो आंकड़े इकट्ठा करने के लिये एक इन्स्टीट्यूशन को काम दिया गया है, जो कि ६ महीने लगायेगा । उन्होंनेइस तरह की चीज़ नहीं की । आंकड़े तो वहां थे । उन्होंने कहा कि आंकड़े ग़लत हैं । उन्होंने उन आंकड़ों के नीचे जाकर देखा । गांधी जी ने भी कंट्रोल तोड़ दिया था लेकिन बदक़िस्मती से उनका देहान्त हो गया और जो उसके पक्षपाती थे उन्होंने उसको फिर से लागू कर दिया । किदवाई साहब नें भी अपनें अफसरों की राय के ख़िलाफ़ और प्लानिंग कमीशन के मेम्बरों की राय के ख़िलाफ़ और कुछ मिनिस्टरों की राय के ख़िलाफ़ काम किया और वह उस काम में कामयाब हुये । मैं जानता हूं कि आख़िरी दिन रविवार की भी जब वह यहां आये हैं तो उन्होंने दो घंटे दफ्तर में काम किया था । तो जिस तरह से फूड का मसला हल हुआ उसी तरह हम और मसलों को भी हल कर सकते हैं, चाहे वह बेकारी का मसला हो, चाहे घरों का मसला हो और चाहे और कोई मसला हो । इन सब को हल करने में हमको उसी निगाह से देखना पड़ेगा । हमारे दिल में एक सेंस आफ अरजेंसी होनी चाहिये यानी जल्दी हल करने की लगन से हमको यह चीज़ करनी है । और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर चाहे हमारे मुल्क का उत्पादन कितना ही बढ़ जाय और हम चीज़ों को चाहे ज्यादा पैदा करें लेकिन यह बेकारी बनी रहेगी । उत्पादन बढ़ा और बेकारी भी । इसके कारण क्या हैं । मेरी राय में तो दो ही इसके कारण हो सकते हैं । या तो जो माल पहले चोर बाज़ार में जाता था और ऊपर नहीं आता था वह अब खातों में दिखाया जाने लगा है और इसलिये प्रोडक्शन बढ़ा हुआ मालूम होता है, या दूसरा कारण यह हो सकता है कि पहले इसलिये प्रोडक्शन कम था कि मिल वालों को कच्चे माल की और ट्रांसपोर्ट वग़ैरह की कमी थी । अब यह सहूलियत मिलने से प्रोडक्शन बढ़ गया है । लेकिन सवाल तो यह है कि बेकारी है । मार्च, ५३ में अपने वित्त मंत्री के साथ मैं कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में मिला था तो उन्होंने कहा कि एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के आंकड़े देखने से तो यह नहीं मालूम होता कि बेरोज़गारी बढ़ रही है । लेकिन आज वह इस बात को मानते हैं । लेकिन वह इसके लिये क्या कर रहे हैं । मैं पूछता हूं कि हल ढूंढने के लिये उनकी निगाह किधर है । किस तरह से वह बेकारी को दूर करना चाहते हैं । मैं अपने तजुर्बे से एक बात आपको बतलाता हूं । जिस समय मैं मंत्री बना उस समय हमारे दस लाख भाई कैम्पों में रह रहे थे और मुझे एक रुपया फी आदमी के हिसाब से उनको दस लाख रुपया रोज देना पड़ता था । तो मेरे सामने पहला सवाल यह आया कि मैं किस तरह से इस खर्च को बन्द करूं । गांधी जी का आदेश था कि किसी को बगैर काम लिये खाना मत दो । मेरी इस मामले में प्रान्तीय सरकारों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि आपको पांच साल तक यह कैम्प चलाने पड़ेंगे । और उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप उन ४०,००० शरणार्थियों को जो कि दिल्ली के कैम्पों में

हैं खाना देना बन्द कर दोगे तो हम भी अपने यहां कर देंगे। इस में ६ महीने गुजर गये। इस मामले में मैंने अपने अफसरों की राय के खिलाफ फैसला किया। उन्होंने कहा कि आप यह क्या करने जा रहे हैं। मैंने कहा कि मैंने काम लिया है और मैं इसको पूरा करूंगा। अगर हम इस खर्च को बन्द नहीं कर सकते तो बसाने का कैसे काम होगा। फिर हमने उन लोगों को नोटिस दे दिये कि पहली अप्रेल से खाना मिलना बन्द हो जायगा। हम काम देंगे। उन लोगों ने कहा कि हमको काम कैम्पों में ही होना चाहिए। अब आप सोचिये कि यह कैसे हो सकता था। लेकिन व ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि वे हमारी कमजोरी को समझते थे।

हम काम देंगे और जो आदमी काम से लगे हुए हैं वह न जायं उनको हम यहां मकान देंगे। उस पर भूख हडताल हुई और हमारे कांग्रेस के मित्रों ने बतलाया कि तुम क्या करने जारहे हो लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि अगर हम वही चालीस हजार को सोचते रहते तो काम नहीं होता। वहां पर भूख हड़ताल हुई। उनकी एक मांग यह भी थी कि वहां कैम्प के जो कर्मचारी हैं उनको पहले कोई काम दे दिया जाय तभी यह कैम्प्स तोड़े जायं। मैं नें कैम्प कमांडेंट को बुलाया और कहा कि यह क्या बात है। तुम्हारे लिए वह जान देने को तैयार हैं उसने कहा हां साहब हमने उनके लिए कुछ काम किया है। मैंने कहा मैं आपको काम दूंगा लेकिन इस तरह से काम नहीं दे सकता अगर दस लाख रुपया रोज मेरी मिनिस्ट्री देने लगे तो वह कै दिन चल पायेगी। मैं ने उनको नोटिस दिया कि यदि भूख हड़ताल तीन दिन में बन्द होगी तो मैं उस कैम्प का इन्तजाम चलाऊंगा। तीसरे दिन वह भूख हडताल खत्म हो गयी। जो कैम्प हमने खोला था उसमें २५० आदमियों के काम के लिए गुंजाइश थी, १५ आदमियों की दरख्वास्ते आई, उसके बाद फिर उनमें से कोई भी काम पर नहीं आया। अगर हम आंकडो के फेर में रहते तो हम कभी भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। हम को इन बड़े मसलों के हल करने के लिये कुछ जोखिम लेना होगा सरकारी अफसर भी रिस्क नहीं ले सकते हैं।

अब मैं आपको वित्त मंत्री महोदय ने जो कहा उस की तरफ ध्यान दिलाता हूं और वह यह है कि बेकारी के जमाने में जब कि लोग बेकार हैं और अगर हम अपने दफ्तरों में छानबीन करेंगें तो फिर हमें कर्मचारयिों को जो लगे हुये हैं उन में से सुपरफ्लुअस स्टाफ को निकालना पड़ेगा, इसलिये बजाय इसके कि हम उन को नौकरी से निकाल कर बेकार कर दें, बेहतर होगा कि उनको वहीं पर रक्खे रहें। मैं आपको बतलाऊं जब कि मैं मंत्री बना था तो मेरे सामने यह बात आई कि मेरी मिनिस्ट्री में कितने ही आदमी हैं जो बेकार हैं, हालांकि छः महीने की मिनिस्ट्री थी मैंने आप और दो सदस्यों की जांच कमेटी बनाई और उसकी रिपोर्ट पर कि मेरी मिनिस्ट्री में जरूरत से ज्यादा स्टाफ है, तो एक महीने के अन्दर मैंने इन आदमियों को हटा दिया। उनको हटाने से मेरा मतलब यह नहीं था कि उनको हटा कर मैं सड़क पर फेंक दूंगा बल्कि उनको और कहीं पर और किसी काम पर लगा दूंगा। मैं यह भी जानता हूं कि अगर दफ्तर के अन्दर कुछ आदमी कम भी हों, तो काम में परेशानी नहीं होगी लेकिन अगर किसी दफ्तर में जितने आदमियों की वाकई में जररूत है उससे ज्यादा आदमी होंगे तो वहां काम ठीक नहीं हो पायेगा। हर एक आदमी समझता है कि वह टेम्परेरी है तो वह क्यों काम करे। मैं नहीं चाहता कि आप उनको बेकार बनाइये। मैं चाहता हूं कि आप अपने कार्यालयों में उतना ही स्टाफ रखें जितना जरूरी हो, जरूरत से ज्यादा स्टाफ अगर हो तो उसको वहां से निकालिये और उनको

[श्री मोहन लाल सक्सेना]

और काम करने को दीजिये तो आप देखेंगे कि आपके काम में गड़बड़ नहीं होगी और कार्यक्षमता बढ़ेगी। मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर घर बैठे भी आप सुपरफ्लुअस स्टाफ को तनख्वाह दें तो ठीक होगा, आपके काम में एफिशियेंसी (कुशलता) होगी, करप्शन नहीं होगा और कनफ्यूज़न नहीं होगा और आपकी सब्वेंशन भी बचेगी। इस सिलसिले में मैं आपको २६ जनवरी सन् १९५५ के नवजीवन के अंक में जो कविता छपी है उसकी कुछ एक पंक्तियां पढ़ कर सुनाऊंगा और मेरे विचार भी वही हैं जो इन पंक्तियों में व्यक्त किये गये हैं। उसमें ऐसा लिखा है :—

भूख, गरीबी, गन्दगी और बेकारी बेशुमार
गांव उजड़े, घर हैं टूटे और बीमारी की भरमार

देश की जनता बे पढ़ी और लाखों पढ़े लिखे बेकार

घरेलू धन्धे मिट गये और निकम्मे हो गये दस्तकार

विदेशी चीजें छोड़ेंगे हम देशी को अपनायेंगे

हम कोरी बातें छोड़ेंगे अब करके काम दिखायेंगे।

बिगड़ा हुआ समाज का ढांचा बिगड़े हुये सभी आचार

देश कलंकित बना रहे हैं झूठ रिश्वत चोरबाज़ार

ज़ातपांत की छूत लगी है प्रान्तीयता भूत सवार

काम बहुत है करने को फिर हम क्यों बैठें बेकार।

उसके बाद आगे लिखा है :—

पूंजी हमारी करोड़ों हाथ
और है कुदरत की इफरात

हज़ारों नदियां, लाखों चश्में,
करोड़ों एकड़ ज़मीन बेकाश्त

खानों की भी कमी नहीं है,
कारीगर भी हैं हुशियार

सहकारी धंधों की चर्चा है
और है जनता की सरकार।

इन तमाम बातों के होते हुये भी हम बेकार हैं। उसके बाद आगे कहा है :—

बड़ी मशीनें छोड़ कर
हम लाखों हाथ चलायेंगे

पिछली त्रुटियां छोड़कर
हम अगला कदम बढ़ायेंगे

वह बहुत लम्बी है। मैं सारी नहीं पढ़ना चाहता मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस देश में बहुत काम हैं, दफ्तरों के बाहर विशाल कार्य क्षेत्र पड़ा है। आप देश की उत्पादन शक्ति बढ़ानें में योग दे सकते हैं लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं। हमारा सारा वक्त दफ्तरों के रेड टेपिज्म में ही खर्च हो जाता है और हम वास्तविक कार्य कुछ नहीं कर पाते हैं। प्लानिंग कमीशन में देखिये, कितने आदमी वहां पर पड़े हुये हैं। विनोबा जी कहते हैं कि प्लानिंग कमीशन के मेम्बरों को चाहिये कि उन के साथ आकर वह गांवों में घूमें और तब कोई प्लान बनायें। मैं जानना चाहता हूं कि कितने मेम्बर्स उनके साथ बाहर गांवों में गये।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हम जब कोई प्लान बनायें, तो कम

से कम गांधी जी के जो विचार हैं उनको ध्यान में रख कर बनाया जाना चाहिये और उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारे देश की हालत दूसरी है, हमारा भूगोलम दूसरा है, हमारा इतिहास दूसरा है, हमारे रहने का तरीका दूसरा है और हमारी समस्यायें पश्चिमी देशों की समस्याओं से भिन्न हैं और उनको हल करने के लिये हमें अपने लिये अलग रास्ता निकालना पड़ेगा और उसी सिलसिले में आप यह भी जानते हैं कि गांधी जी से अगर जरा सी भी कोई गलती हो जाती थी तो वह उसको पूरी तरह से मान लेते थे। पूज्य बा से कोई मामूली ४ या ६ रुपये की गलती हो गई थी जिसके लिये गांधी जी ने भरी पबलिक मीटिंग में कड़ी फटकार सुनाई लेकिन उसके विपरीत हम लोग उन आदमियों में से हैं कि अगर गलती भी करते हैं तो उसको मानने को तैयार नहीं होते। प्लानिंग कमीशन ने देश से बेकारी दूर करने के लिये गम्भीरतापूर्वक सोचा और मनन नहीं किया है। वह कहते हैं कि बेकारी पुरानी है, कोई नयी बात पैदा नहीं हो गई है। सन् ५२ के सितम्बर में मैंने एक लेख लिखा था कि अब इस देश में बेकारी की समस्या बढ़ रही है और उसके हल करने के लिये हमको वही काम चलाने होंगे जो दूसरे मुल्क वालों ने चलाये थे और मैं इस विषय में फाइनेंस मिनिस्टर से जानकारी चाहता था। उन्होंने कहा है कि काटेज इंडस्ट्रीज की तरफ भी हम देखेंगे। इस सम्बन्ध में कहा है कि हाउसिंग (गृह निर्माण) का तो उसमें कोई जिक्र नहीं है। हमारे कामर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ने कहा कि लोग समझते हैं कि मैं छोटी इंडस्ट्रीज के खिलाफ हूं, लेकिन यह बात नहीं है, सिर्फ इमफैसिस की बात है और ज़ोर देने का थोड़ा सा फर्क है। आप बजट उठा कर देखिये कि स्मौल स्केल एन्ड कौटेज इंडस्ट्रीज के लिये आपने क्या किया है। बड़ी इन्डस्ट्रीज के लिये तो पहले ही से आपके पास इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन है जिसमें एक करोड़ ६२ लाख रुपये तो गांधी स्मारक निधि के लगे हुये हैं। उस इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन जिसका सवाल यहां उठा, उसके बारे में एक एडहाक कमेटी की रिपोर्ट आडिट रिपोर्ट से तमाम बातें मालूम हो जायेंगी। अब तक गवर्नमेंट २६ लाख रुपये की मदद दे चुकी है। मैं अब ज्यादा न कह कर गलती वाली बात कह कर बैठ जाऊंगा और गलती उसमें अभी अभी मैं बता रहा था कि काटेज इंडस्ट्री की हालत यह है कि उसके लिये जो प्राविजन किया गया है वह काफी नहीं है। तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन चल रहा था, अब उसके बाद एक दूसरा कारपोरेशन नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन बनाई गई और उसके लिय ५ करोड़ की रकम इस साल रखी गई है जिसमें १० लाख की ग्रान्ट दी जायेगी। इसके अलावा अभी आप देखिये कि आगे चल कर एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंकिंग कारपोरेशन बनाई गई जिसको साढ़े सात करोड़ रुपया गवर्नमेंट बगैर किसी सूद के देगी जब कि इसके विपरीत स्मौल स्केल इंडस्ट्रीज के लिये केवल १० लाख की मदद दी जायेगी। इसके खिलाफ अतुल प्रौडक्शन कम्पनी लिमिटेड एक प्राइवेट कम्पनी है, प्राइवेट सेक्टर की है उसको भी तीन करोड़ दिये जायेंगे। मैं कहता हूं कि आल इंडिया स्पिनर्स असोसियेशन है और और दूसरी जमातें हैं, वह प्राइवेट बाडीज नहीं हैं और जिन्होंने काफी उपयोगी काम किया है उनको आप थोड़े रुपये से भी मदद नहीं कर सकते और उस पर भी आप कहते हैं कि यह न समझा जाय कि हम छोटी इंडस्ट्रीज़के खिलाफ हैं। कैसे यह न समझा जाय कि आपके जो बजट सम्बन्धी आंकड़े हैं वह काफी इसकी पुष्टि करते हैं। दूसरी मिनिस्टर कहती हैं कि यह न समझा जाय कि हम इंडिजिनस सिस्टम आफ़ मैडिसिन एण्ड अदर सिस्टम्स इनक्लू-

[श्री मोहनलाल सक्सेना]

डिग होमियोपैथी के ख़िलाफ़ हैं लेकिन अगर आप बजट देखिये तो मालूम होगा कि कुल ३७ लाख रुपये का प्राविजन पांच वर्ष में इन के लिये है, जब कि आप देखेंगे कि एलोपेथिक के लिये हम कितना रुपया खर्च कर रहे हैं। मेरी समझ में एलोपेथी सिस्टम पर सरकार जितना रुपया खर्च कर रही है, उतना रुपया खर्च करने पर भी हम कितने आदमियों को लाभ पहुंचा सकेंगे यह सोचने की बात है। सभापति जी, आपको याद होगा जब मेरे सामने यह सवाल आया तो मैंने कोआपरेटिव हेल्थ सेंटर्स शुरू किये थे, एलोपेथिक सेंटर्स तो टूट गये लेकिन होमियोपैथिक और आयुर्वेदिक सेंटर्स आज भी चल रहे हैं। आज क्या मैं पूछ सकता हूं कि पिछले दस-पन्द्रह, बीस बरस के अन्दर आप ने लोगों की कितनी मदद की। क्या आप कह सकते हैं कि आप कितने आदमियों को इस एलोपेथिक सिस्टम से फायदा पहुंचा सकते हैं ? अगर आप ऐसा कर सकते तो मैं आप की बात मान लेता। लेकिन असलियत यह है कि आज अगर ९९ नहीं तो कम से कम ९५, ९६ फ़ी सदी आदमी ऐसे हिन्दुस्तान में पड़े हैं जो एलोपेथिक सिस्टम से अपना इलाज नहीं कराते हैं। हमारा देश कभी भी जंगली देश नहीं था। उस के गांवों में दवायें मौजूद हैं। गांधी जी ने हमारे गांव के लोगों के उपयोग के लिये सतीश चन्द्र दास गुप्ता से 'विलेंज डाक्टर' लिखवाया। ज़रूरत इस बात की थी कि हम कोशिश करते और हिसाब लगाते कि किन किन गांवों में क्या क्या दवायें चलती हैं और उन में क्या क्या अच्छाइयां हैं। उन को हमें देश में बनवाना चाहिये था और लोगों को सस्ते दामों पर देना चाहिये था। अगर हम यह कर सकते तो ज्यादा अच्छा होता। आज शिकायत यह की जाती है कि हमारे पास रुपया नहीं है, लेकिन यहां पर सवाल रुपये का नहीं है, सवाल एप्रोच का है। हमें इस बात का एहसास ही नहीं है कि मुल्क में आज कितनी परेशानी है और कौन चीज हम को जल्दी करनी चाहिये।

इसी तरह से पोलीक्लिनिक खोला गया था। डाक्टर्स थे जिन को क़र्ज देने की बात थी। उन्हों ने कहा हमें और कोई मदद सरकार से नहीं चाहिये, हम लोगों को सिर्फ जगह चाहिये। मुझे मालूम है कि हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री उस के ख़िलाफ़ थी, लेकिन मैं ने पोलीक्लिनिक क्वीन्सवे में खुलवाया जो आज काफी अच्छी तरह से चल रहा है। मैं कह सकता हूं कि इस तरह के पोलीक्लिनिक्स बहुत अच्छी तरह चल सकते हैं। आप सोशलिस्टक पैटर्न की बात तो बहुत करते हैं लेकिन उन के ऊपर अमल नहीं करते हैं। मैं कहता हूं कि आप ने लोगों के मकानों के लिये क्या किया ? अगर हम उन को आराम देना चाहते हैं और उन का भला करना चाहते हैं तो यह तभी हो सकता है जब हम उन को रहने के लिये ठीक से मकान दे सकें।

जहां तक काटेज इण्डस्ट्रीज का सवाल है उस के बारे में मैं इसलिये नहीं कहता हूं कि श्री कृष्णमाचारी से मुझे कोई शिक़ायत है, बल्कि इस वजह से कि जब रिआर्गेनाईजेशन की बात चल रही थी तो मैं ने भी प्रधान मंत्री को लिखा था कि मैं समझता हूं कि इन्डस्ट्री और प्रोडक्शन महकमा एक होना चाहिये। और काटेज इन्डस्ट्री को कोआपरेटिव के साथ मौजूदा ऐग्रिकल्चर मिनिस्ट्री के साथ लाना चाहिये और कामर्स एण्ड सप्लाई एक साथ होना चाहिये। मैं ने जैसा कहा था हमें जवाहरलाल जी पर ही

इसका बोझ नहीं डालना चाहिये, हमें खुद कुछ करना चाहिये । आचार्य कृपालानी जी ने उनके स्तीफे का जिक्र व्यंगपूर्ण शब्दों में किया था । इसका जवाब तो हमारे मंत्री जी देंगे, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मुझे भी इसका बहुत दुःख है कि कैबिनट की कोई बात इस तरह से बाहर आये । कैबिनेट में रेज़िग्नेशन भी हों, लेकिन उस के मंजूर होने के पहले ही बाहर उन की चर्चा हो, और खास कर उस समय जब हमारे प्राइम मिनिस्टर बाहर थे, और इस की खबरें अखबारों में छापी जायें, इस से हम सब को बहुत तक़लीफ़ हुई जब मैं मद्रास गया हुआ था और वहीं पर ठहरा था जहां जवाहरलाल जी थे, कोई बात मुझे ऐसी लगी कि मैं ने दो चार लाइनें लिख कर उन को भेज दीं । मैं समझता था कि वह उस का जवाब मुझे दिल्ली पहुंचते पहुंचते भेज देंगे या मैं २६ तारीख़ को जब मुझे मिलेंगे तो जवाब दे देंगे परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया और ३० जनवरी को लन्दन से उन्होंने जवाब दिया जो कि मुझे मिला । मैं बताता हूं कि मुझे बड़ी तक़लीफ़ हुई कि क्यों मैं ने उन को वह चिट्ठी लिखी जिस का बोझा ले कर वह विलायत गये ? जब वह विलायत से लौटे तो मैं उन से मिलने गया, जहाज़ पर से उतरते ही उन्होंने मुझ से कहा : मोहनलाल कहो ! मैं आपको क्या बताऊं मैं शर्म से गड़ गया । बाद में जो मेरे दिल को तक़लीफ़ हुई वह मैं ने उन्हें बतलाई । उन्होंने कहा ठीक ही था । बात खतम हो गई परन्तु मुझे अपनी उस भूल का पश्चाताप है । अब स्तीफे के सम्बन्ध में यही नहीं कि वह गुप्त नहीं रखा गया उसके सम्बन्ध में पत्र लन्दन भेजे गये, वहां से जवाब आये, वहां पर पत्रों में चर्चा हुई कुछ भी हो, हमारा जो प्रजातन्त्र है वह अभी इन्फैन्सी (थोड़े दिनों का) है । हम को अभी अपने ट्रैडिशन्स बिल्ड करने हैं । आप देखिये, यहां से वैवल चले गये, भारत के पार्टीशन (बंटवारे) के बारे में अपनी गवर्नमेंट से उन का मतभेद था, बहुत सी बातें जो वैवल साहब करते थे जो कि आगे चल कर पूरी हुई, लेकिन वह मर गये परन्तु किसी ने नहीं कहा कि जो उन्होंने कहा वह ठीक निकला ।

अब मैं हाउसिंग प्राबलेम के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । परमात्मा की दया से इस मुल्क के अन्दर बहुत से ऐसे आदमी हैं जो अपना मकान खुद ही बना सकते हैं, दस हज़ार रुपये लगा कर अगर उन को ज़मीन दे दी जाय । लेकिन हमारी ज़मीन के बारे में नीति कैपिटलिस्टिक है । यहां पर हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब नहीं हैं, मैं उनको बतलाना चाहता था, मैं आशा करता हूं कि हमारे उपमंत्री जी उन तक मेरी बात पहुंचा देंगे । अलावा और बातों के जिनको मैं किसी और अवसर पर बताऊंगा कि तमाम देश में शहरों में कम से कम २ लाख आदमी ऐसे हैं कि यदि उन्हें मुनासिब किराये पर, क़ीमत पर, ज़मीन मिल जाय तो वह ८-१० हज़ार रुपया लगा कर अपना मकान बना सकते हैं जिसके माने यह हैं कि पांच साल में १,५००-२,००० करोड़ की लागत के मकान बन सकते हैं जिसमें सरकार को रुपया नहीं देना पड़गा । अगर जो रुपया हम क़र्ज़ के रूप में देना चाहते हैं उस को ले कर हम पांच बरस के लिये लगा कर और ज़मीन का इन्तज़ाम कर के मकान बनवा दें तो बहुत लोगों को जो बेकार पड़े हुये हैं काम दे सकते हैं । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का अनुमान है कि एक करोड़ रुपये की लागत के मकान बनवाने से हम दस-बारह हज़ार आदमियों के लिये काम दे सकते हैं । इस तरह से हम ४० लाख आदमियों को काम दे सकते

[श्री मोहनलाल सक्सेना]

हैं और किसी हद तक अनएम्प्लायमेंट के सवाल को हल कर सकते हैं। मकान जो भी कैपिटल लगता है उस का क़रीब ८५ या ९० फ़ीसदी लेबर में खर्च होता है। सिर्फ १० या १५ फीसदी रुपया सामान और ज़मीन वग़ैरह में लगता है। मैं समझता हूं इस बात की ओर ध्यान दिया जायेगा।

अब मैं आपको धन्यवाद देते हुये बैठ जाता हूं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि वे समय-सीमा का ध्यान रखें। अब श्रीमती सुचेता कृपालानी बोलेंगी।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (नई दिल्ली) : सभापति महोदय, हमारे देश के लोग इस आयव्ययक की ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहे थे, क्योंकि आशा थी कि कर-जांच आयोग की सिफारिशें इसको ठीक ढंग का स्वरूप देंगी। उस आयोग को संविधान के उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुये सिफारिशें करनी थीं, अर्थात् जिससे यह हो जाता कि सभी को नौकरियां मिलें और दौलत का बंटवारा समानता के आधार पर हो। हमारे प्रधान मंत्री ने चीन से वापस आने पर इसी बात के कई भाषण भी दिये। किन्तु मुझे खेद है कि हुआ कुछ भी नहीं। यह आयव्ययक एक पुराने ढंग का आयव्ययक ह और इसका अधार वही पुराना है। कहा जा सकता है कि वास्तव में यह आयव्ययक एक लेखापाल ने बनाया है, एक अर्थशास्त्री ने नहीं।

इस सम्बन्ध में "इकोनोमिक वीकली" पत्रिका ने यह लिखा है कि यद्यपि पंचवर्षीय योजना के सिद्धान्तों की इतनी बात चल रही है, फिर भी आज तक वित्त मंत्रालय ने यह अनुभव नहीं किया कि आयव्ययक केवल एक प्रशुल्क प्रवर्तन ही नहीं बल्कि एक ऐसा जांचा होता है जिससे लोगों को अधिकाधिक रोज़गार मिले और वे भी अधिक धन अर्जन करके देश के उत्पादन में वृद्धि करें।

इसके बाद हमें वित्त मंत्री के भाषण की ओर भी देखना चाहिये। उन्होंने आर्थिक स्थिति को संतोषजनक बताया है। उन्होंने कहा है कि देश का औद्योगिक एवं कृषि-उत्पादन बढ़ा है, किन्तु यह अस्थाई रूप का है। हमें यह देखना है कि कहां तक सरकार ने अपनी योजना से इसको स्थाई रूप देने का प्रयत्न किया है। यों तो, सारी दुनिय में ही ऐसी ही स्थिति है। पुनरीक्षित अनुमानों में उत्पादन-शुल्क में ३८ करोड़ की वृद्धि है और ३१८ करोड़ का घाटा है जिसे रक्षित बैंक से उधार ले कर पूरा किया जायेगा। इस देश के बुद्धिमान लोग इस बात पर बड़े दुःखी हैं। हां, यदि कोई लोग संतुष्ट हैं तो केवल व्यापारी वर्ग के बड़े बड़े व्यक्ति। आवड़ी अधिवेशन के बाद इन लोगों को कुछ सन्देह हुआ था किन्तु आयव्ययक को देख कर यह लोग सन्तुष्ट हो गये। जो कुछ थोड़ी वृद्धि आयकर में हुई है, उसे विकास पर कभी जीवन बीमे पर कमी आदि करके पूरा कर दिया गया है।

इस सम्बन्ध में मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि 'इण्डियन फिनान्स' पत्रिका ने लिखा है कि यह आयव्ययक मध्य वर्ग के लिये एक असह्य भार है और उद्योग के लिये प्रेरक है। कहने को इसे समाजवादी कहिये किन्तु एक अंश भी समाजवाद का इसमें नहीं है। नियोजकों को आयकर चाहे थोड़ा अधिक देना पड़े किन्तु उनके अंशों की कीमत में वृद्धि उस को पूरा कर देगी।

अतः सब से सन्तुष्ट व्यक्ति, व्यापारी तथा श्रेष्टि पत्थरो के स्वामी ही हैं।

अब हमें कृषि-उत्पादन की वृद्धि का परीक्षण करना चाहिये । निस्सन्देह इस देश के कृषकों ने मेहनत करके उत्पादन में वृद्धि की है, किन्तु उन्हें क्या लाभ हुआ—कृषि वस्तुओं की क़ीमतें गिर गई हैं ।

इसके साथ ही इस फसल की स्थिति के बारे में देखिये—इस वर्ष पूरी फसलें होने की आशा नहीं और खाद्यान्न की फसलें भी कम बोई गई हैं । आप इससे ही स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है । हम वित्त मंत्री से यह जानना चाहते हैं कि वह आगामी फसलों के बारे में क्या आशा कर रहे हैं ? क्या वह इसे संतोषजनक समझ रहे हैं ?

अब हमें कराधान का निरीक्षण करना चाहिये । राज्य-सभा में वित्त मंत्री ने कहा है कि हम द्रुत गति से समाजवाद की ओर जा रहे हैं । उन्होंने बताया कि आय-कर से अब किस प्रकार से बड़ी आमदनी वालों पर प्रभाव पड़ेगा । इस प्रकार से हमारी अर्थ व्यवस्था पर समाजवाद का एक आवरण डाल दिया गया है । यदि हम तनिक ध्यान से देखें तो हमें प्रतीत होगा कि ग़रीब जनता पर और अधिक बोझ लादा गया है ।

जहां तक आय करों का सम्बन्ध है, हमें ७,५०० से १०,००० आय वर्ग के लोगों को देखना चाहिये । उन्हें न केवल अधिक आय कर ही देना पड़ेगा किन्तु कपड़े, चीनी, कागज़ आदि पर उन्हें अधिक कर देना पड़ेगा ।

अब अप्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में भी हमें देखना चाहिये । इनमें निरन्तर वृद्धि होती जा रही है । १९४८–४९ में हमारा १३ प्रतिशत राजस्व इन करों से आता था और अब २२ प्रतिशत आता है । इस वर्ष कपड़े, चीनी तथा अन्य ८ मदों से १७.७० करोड़ रुपये का उत्पादन शुल्क अधिक प्राप्त होगा ।

यह सच है कि कर-जांच आयोग में कराधान की अधिक दरों की सिफारिश की है, किन्तु इसके लिये हमें वस्तुओं का चुनाव करना पड़ता है । कतिपय वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क लगाने के लिये यह तर्क दिया गया है कि पहले उन्हें संरक्षण दिया जा चुका है । इसका अर्थ यह हुआ कि उपभोक्ताओं को दोबारा वही बोझ उठाना पड़ेगा । यह तर्क बड़ा अद्भुत है । ऐसे भी और वैसे भी, भार उठायें तो बेचारे उपभोक्ता ।

मुझे वस्त्रों पर लगाये जाने वाले उत्पादन-शुल्क के लिये बड़ी आपत्ति है । अधिक प्रभाव मध्यम श्रेणी के तथा कोर्स कपड़े पर पड़ेगा । अधिक उत्पादन भी इसी प्रकार के वस्त्रों का होता है । आप १९४९ से १९५४ तक के वस्त्रोत्पादन के आंकड़े देख सकते हैं । इन पर लगाये गये शुल्क में १०० प्रतिशत वृद्धि कर दी गई है । अब आप स्वयं ही देख सकते हैं कि ग़रीब जनता पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा । मेरे पास एक सारणी है जिसमें यह दिखाया गया है कि इसका विभिन्न कपड़ों पर कितना प्रभाव पड़ेगा ।

सभापति महोदय : यहां पर सामान्य सिद्धान्तों की ही आलोचना की जाये—और यह बातें बाद में भी, जब वित्त विधेयक प्रस्तुत होगा, बताई जा सकती हैं ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : श्रीमान्, मैं तो यही बताना चाहती थी कि ग्रामीण कृषकों तथा अन्य निर्धन लोगों पर ही इस बात का अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा । पहले से ही कृषि वस्तुओं की क़ीमतें गिर चुकी हैं और उन्हें अधिक क़ीमतें देने के कारण और भी हानि होगी । इससे १२०—१२०० रुपये प्रति वर्ष की आय वाले वर्ग को ही सब से अधिक नक़सान होगा । इसके बाद कपड़ा

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

एक ऐसी वस्तु है जिसके बिना गुज़ारा नहीं हो सकता और इसकी मांग नमनशील नहीं है । ग्रामीण लोग इतने निर्धन हैं कि उनको पहले से ही पहनने को कपड़े नहीं मिलते और यह कर उन्हीं लोगों से प्राप्त किया जायेगा । अतः मैं इस कर को अनुचित समझती हूं ।

इसके बाद कपड़ा सीने की मशीनों का प्रश्न आता है । पंजाब, दिल्ली तथा पैप्सू में लगभग २५० एककों में ये मशीनें तैयार की जाती हैं । लगभग ७,००० व्यक्ति इस काम पर निर्भर हैं । इस पर कर लगाने से इन लोगों की जीविका नष्ट हो जायेगी । उन्होंने अभ्यावेदन भी दिया है कि ५० व्यक्तियों से कम वाले कारखानों पर यह कर न लगाया जाये ।

अब हमें इसी बात को उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से देखना चाहिये । हमारे देश में साधारण दर्जी का काम करने वाले लोग इन मशीनों के ग्राहक हैं और उनका जीवन-निर्वाह कपड़े सीने से ही होता है । इसलिये इनकी क़ीमतों में जो भी वृद्धि होगी उसका भार इन्हीं ग़रीब दर्जियों पर पड़ेगा ।

हम दावा कर रहे हैं कि हम समाजवादी प्रणाली की ओर बढ़ रहे हैं किन्तु किसी समाजवादी देश में ऐसी कार्यवाहीं नहीं की जाती । अमरीका तथा इंगलैंड आदि में सामाजिक सुरक्षा का उपबन्ध किया जाता है । भारत में अभी इस बात का आरम्भ भी नहीं हुआ है और न इस सम्बन्ध में मैं कुछ कहना ही चाहती हूं । बजट में भी इस ओर कोई संकेत नहीं है ।

हम घाटे का बजट अपना रहे हैं । किन्तु सरकार का व्यय करने का सामर्थ्य बहुत ही निराशाजनक है । औद्योगिक विकास के लिये आयव्ययक में २४.१ करोड़ रुपया रखा गया था किन्तु पुनरीक्षित प्राक्कलनों में १५.१ करोड़ रखा गया है । इसी प्रकार से उड्डयन, पत्तनों तथा असैनिक कार्यों के व्यय में भी कमी कर दी गई है । अतः यह आवश्यक है कि हम देखें कि प्रशासन में कैसे कार्य पटुता लाई जाये ।

हमारे प्रशासन कार्य में लालफीता शाही अधिकाधिक बढ़ती जा रही है । इसका प्रमाण यह है कि इस वर्ष लेखन-सामग्री पर अधिक व्यय किया जा रहा है ।

अन्त में, मैं कहना चाहती हूं कि मैं इस आयव्ययक की सराहना करती किन्तु सामाजिक तथा आर्थिक असमानताओं के होते हुये तथा ग़रीबों पर अत्यधिक कर भार के होते हुये मेरे लिये यह सम्भव नहीं है । मैं समझती हूं कि यदि इस बात का उपचार न किया गया तो भारत में लोकतन्त्र का भविष्य अन्धकारमय हो जायगा ।

श्री एस० सी० सिंघल (ज़िला अलीगढ़) : सभापति जी, इस बजट का चलन अंग्रेज़ी राज्य से शुरू हुआ है । यहां पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी का राज्य था, वह अपनी आमदनी और खर्च का हिसाब ठीक तरह से रखना चाहती थी । इस नीयत से बजट चालू किया गया था । इस तरह से बजट को चलते चलते क़रीब डेढ सौ वर्ष हो गये, अब तक सिर्फ दो दफे इसके तरीक़े में हेर फेर किया गया है लेकिन अब ज़माना बदल चुका है और नये हालात पैदा हो चुके हैं और आज समय का तक़ाज़ा है कि बजट मैन पावर बजट होना चाहिये । लार्ड बेव्रिज ने अपनी किताब "फुल एम्प्लायमेंट इन फ्री सोसायटी" में दिया हुआ है कि मैन पावर बजट होना चाहिये और यू० एन० ओ० भी इसी बात का प्रचार कर रही है और उनसे बड़े बड़े मुल्कों को सर्कुलर भी भेजा है कि देशों को

अपना बजट मैन पावर बजट बनाना चाहिये। मुझे अफ़सोस है कि हमारा बजट मैनपावर बजट नहीं कहा जा सकता, इसमें सिवाय रुपये पैसों के आंकड़ों के मनुष्य सम्बन्धी आंकड़ों का कोई ज़िक्र नहीं है। मैं अपने वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि अब हमें स्वराज्य प्राप्त हो गया है, हमारा राज्य मंगलकारी राज्य है हमें समाज को समाजवादी ढांचे पर संगठित करना है और हमारे संविधान में जो डाइरेक्टिव्स हैं, उनके मुताबिक़ हमको अपना बजट बनाना चाहिये। बजट से हमको पता लगना चाहिये कि हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कहां तक सफल हो पाये हैं, कितने बेरोज़गरों को हम काम पर लगा पाये हैं। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री आगे बजट बनाने में इन चीज़ों का अवश्य ख्याल रखेंगे।

सभापति जी, हमारे देश ने तरक्क़ी की है। हमारा उत्पादन क़रीब क़रीब ३३ फ़ीसदी बढ़ गया है लेकिन मुझे अफसोस है कि आज जब हम अपने देश के देहातों और शहरों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि देश की खुशहाली नहीं बढ़ी है। असन्तोष बढ़ रहा है, और बेरोज़गारी बढ़ रही है, दरिद्रता बढ़ रही है जो बढ़ते हुये उत्पादन से दूर नहीं हो रही है।

आप कपड़े के मामले को ही ले लीजिये। लड़ाई से पहले जब कपड़ा बिलायत से आता था तो आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि उस समय हमारे देश में औसतन सोलह गज़ कपड़ा फी आदमी इस्तेमाल करता था और विलायत से जो कपड़ा हम मंगाते थे वह महंगा भी पड़ता था लेकिन आज हम देखते हैं कि बावजूद इसके कि हमारे देश में कपड़े की पैदावार बढ़ रही है और पैदावार यहां तक बढ़ी है कि हमें अपना कपड़ा बाहर भेजना पड़ता है, ताहम हम देखते हैं कि आज हमारे यहां सिर्फ पौने पन्द्रह गज़ फी आदमी के हिसाब से कंज्यूम होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि कपड़े का उत्पादन बढ़ने पर भी देश की हालत नहीं सुधरी है और मुझे यह देख कर दुःख होता है कि हमारे देश के बच्चे अधनंगे और बग़ैर कपड़े के रह रहे हैं और यह स्थिति उस हालत में है जब कि हमारे यहां इतना कपड़ा होता है कि उसको बाहर के देश में भेजना पड़ता है और जिस मुल्क में उस कपड़े की ज़रूरत नहीं है। हिन्दुस्तान से कपड़ा वहां भेजा जाना बन्द होना चाहिये, उस पर कोई रुकावट होनी चाहिये, लेकिन हमारी सरकार एक्सपोर्टस बढ़ाने की नीयत से उस कपड़े को बाहर भेज रही है। मैं चाहता हूं कि यहां की माली हालत सुधरे और लोगों की परचेजिंग पावर बढ़े और लोग कपड़ा इस्तेमाल करें।

इस देश के सामने एक बड़ी समस्या गल्ले की थी। गल्ले की बहुत कमी थी लेकिन अब दूसरी समस्या पैदा हो गई है। पहले तो देश परेशान था और हमारी सरकार परेशान थी कि हमारे देश में काफी गल्ला नहीं पैदा होता था और हमें बाहर से काफी गल्ला मंगाना पड़ता था, अब हालत यह हो गई है कि हमारे देश में खाद्यान्नों की पैदावार बहुत बढ़ गई है और हमारे वित्त मंत्री महोदय ने आंकड़ों के द्वारा बतलाया कि हमारे देश में १५ लाख टन गल्ले का स्टाक सरकार के पास है लेकिन अफसोस इस बात का है कि सरकार अब भी गल्ला बाहर से मंगा रही है। यहां पर गल्ले का भाव मंदा है। किसानों को मदद करने के लिये और ज्यादा गल्ले की कीमत बढ़ने से रोकने के लिये सरकार ने गल्ला खरीदना शुरू कर दिया है। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार जो गल्ला बाहर से मंगा रही है, उस गल्ले को जब कभी सरकार पबलिक में बेचेगी, तभी घाटा होगा, बाजार का भाव गिर जायेगा और दूसरा कुछ नहीं होगा।

[श्री एस० सी० सिंघल]

अगर सरकार की नीयत इस गल्ले को डिस्ट्राय करने की है तो देश के लिए और नुकसान हो जायगा । मैं नहीं चाहता हूं कि गल्ले को कम पैदा करके एकोनामी पैदा की जाय । गल्ला कम पैदा करके गल्ले का भाव बढ़ा करके ऐसा किया जाय, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूं । इस साल हमारे देश में सिर्फ ६ करोड़, साठ लाख टन गल्ला पैदा हुआ है । यू० एन० ओ० द्वारा प्रकाशित एक किताब में मैंने देखा था कि मालदार देशों में, जैसे इंगलैंड या अमरीका या और दूसरे देश, वहां पर एक आदमी इतना आनाज या खाना खाता है कि जिससे ३,००० से ले कर ३,५०० कैलोरीज तक की हीट पैदा होती है, लेकिन हमारे देश में अक्सर इतना ही खाना मिलता है जिससे करीब १,७०० कैलोरीज हीट पैदा होती है । मैंने एक डाक्टरी किताब में भी देखा कि अगर एक आदमी बगैर काम किये हुये, सिर्फ लेटा रहे तो एक घन्टे में करीब १०० कैलोरी हीट खर्च करता है । इस तरह से अगर एक आदमी सिर्फ पड़ा रहे तो २४ घंटों में उसको करीब २४०० कैलोरी हीट चाहिये । लेकिन हमारे देश में सिर्फ १७०० कैलोरी हीट का ही गल्ला खाने को मिलता है । मैंने इसका भी पता लगाया कि जितना गल्ला हमारे देश में पैदा होता है उससे कितनी हीट पैदा होगी तो मालूम हुआ कि सिर्फ इतनी हीट पैदा हो सकती है कि एक आदमी को सिर्फ १६०० से २०००कैलोरी हीट तक मिल सके । अगर सब गल्ला आदमियों को बांट दिया जाये खाने के लिये तो भी पूरी हीट उनको नहीं मिलेगी । तो अगर सरकार स्टाक करेगी तो एक तरफ तो गल्ले का स्टाक भरा होगा और दूसरी तरफ जनता को इतना गल्ला भी खाने को नहीं मिलेगा कि वह अपना काम चला सके । मैं कहता हू कि यह बहुत गलत एकानामिक्स है । अगर सरकार इस तरह की कोशिश करे कि जनता की पर्चेजिंग पावर न गिरे तो जनता इस कमी को बहुत आसानी से पूरा कर सकेगी लेकिन अगर सरकार ने गल्ले का भाव बढ़ा दिया तो इसका असर दूसरी चीज़ों पर पड़ेगा । गल्ले का भाव बढ़ जाने पर जनता को खाने में ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, जब खाने पर ज्यादा खर्च पड़ेगा तो और चीज़ों को खरीदने के लिये उनके पास रुपया कम होगा । इस तरह और चीज़ों की बिक्री गिर जायेगी । गल्ला खरीदने के बजाय जो छोटे छोटे भूस्वामी हैं, जिन की एकानामिक होल्डिंग नहीं है उनको टैक्स से मुक्त कर दें ताकि वह गल्ला अपने पास रखें और उसको खा पी कर अपनी तन्दुरुस्ती ठीक रखें । इससे यह भी होगा कि सरकार को रिजर्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी । मैं समझता हूं कि गल्ला रिज़र्व करने में सरकार को काफी खर्च करना पड़ेगा और बड़ा घाटा उठाना पड़ेगा । उस रुपये से सरकार बहुत से गरीब आदमियों की मदद कर सकती है, खास तौर से उन आदमियों को जिन की एकानामिक होल्डिंग नहीं है । इससे एक ओर तो गरीब आदमियों को मदद मिलेगी और दूसरी ओर सरकार की भी प्रशंसा होगी ।

सभापति जी, हमारी सरकार ने चार सालों के अन्दर पंच वर्षीय योजना में क़रीब १४ अरब रुपया खर्च किया है । लेकिन मुझे यह देख कर अचम्भा होता है कि हमारे देश की एकानामिक एक्टिविटी नहीं बढ़ी । अगर निग़ाह की जाय तो किसी हद्द तक एकानामिक एक्टिविटी घट गई है । १९५०–५१ में जो मनी सप्लाई थी उस के मुक़ाबले में १२० करोड़ रुपये की मनी सप्लाई १९५३–५४ में कम हो गई । हां, इस साल के बजट के आंकड़ों को देख कर हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर ने बतलाया है कि जितनी कमी थी वह फिर पूरी हो गई है । अगर आप रेलवे की बुकिंग को देखें तो उस में भी वेगन लोडिंग कम हो

गई है । अगर आप सफर के आंकड़े लें तो उस में भी अपर क्लास का सफर कम हो गया है और लोअर क्लास का सफर उतना ही कायम रहा । इस तरह से अगर आप टैक्स के आंकड़े भी देखें तो पायेंगे कि वह भी बीच में गिरे थे, लेकिन इस साल पूरे हुये हैं । इसी तरह से अगर आप बेरोज़गारी को देखें तो बेरोज़गारी बढ़ती जाती है और इतना रुपया लगाने पर भी सरकार किसी एकानामिक एक्टिविटी को बढ़ा नहीं सकी । एक अमरीकी आथर ने लिखा है :--

> "अध्याय ५ से हमें मालूम हुआ कि किस प्रकार १० करोड़ डालर वार्षिक पूंजी विनियोग का परिणाम ७० करोड़ डालर आय होता है जिसमें से खपत ६० करोड़ डालर है ।"

क़रीब क़रीब ऐसे ही आंकड़े लार्ड बेवरिज ने अपनी किताब में दिये हैं । आस्ट्रेलियन प्लैनिंग पर एक किताब देखी उससे भी इन आंकड़ों की पुष्टि होती थी । सरकार को इसकी जांच करनी चाहिये । एक लम्बी लागत लगाने पर भी देश की आर्थिक हलचल गिर रही है और बढ़ नहीं रही है । इसका जानना अत्यन्त आवश्यक है ।

सभापति जी, आपने मुझे समय ज्यादा नहीं दिया, लेकिन मुझे थोड़ा हाउसिंग स्कीम पर भी कहना है । सरकार ने जो हाउसिंग स्कीम निकाली है, वह योजना सफल नहीं होगी । मैं यह सिद्ध करूंगा कि यह व्यर्थ की योजना है । मान लीजिये कि कोई आदमी अपनी बीबी के ज़ेवर बेच कर भी दो तीन हज़ार रुपया लगावेगा और सात या आठ हज़ार रुपया सरकार से क़र्ज़ लेगा और मकान बनावेगा । पांच बरस तक तो शायद वह अपने इन्स्टालमेंट देता रहे लेकिन उसके बाद उस को वह मकान बेचना पड़ेगा तभी वह अपने बच्चों को खिला सकेगा । अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो जैसा जर्मनी में किया गया उसी तरह से करना चाहिये । जर्मनी में सन् १९३२-३३ में अनएम्प्लायमेंट बहुत बढ़ गया था । सरकार ने यह कहा कि एक तिहाई रुपया तो तुम लगा दो और कुछ तुम को सरकार सब्सिडी दे देगी और इस तरह से बहुत से मकान बनवा दिये । तो या तो सरकार इन्टरेस्ट फ्री, बग़ैर सूद के रुपया दे या कोई सब्सिडी आदि दे तो मकानों की समस्या हल हो सकती है । अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया और रुपया सूद पर देने का निश्चय किया तो उधार लेने वाले तीन चार साल बाद अपने मकानों को बेचने पर मजबूर हो जायेंगे ।

सभापति जी कहना तो मुझे बहुत था, लेकिन अन्त में यही कहना चाहूंगा कि सरकार की आर्थिक नीति इस भांति होनी चाहिये :

> "(क) कुछ व्यक्तियों की, अर्थ-व्यवस्था समिष्टि की अर्थ-व्यवस्था पर प्रभुत्व स्थापित न करे ।
>
> (ख) अभाव की अर्थ-व्यवस्था के स्थान पर वैभवयुक्त अर्थ-व्यवस्था हो ।
>
> (ग) उत्पादन आवश्यकता की पूर्ति के लिये न हो कर मांग की पूर्ति के लिये हो ।
>
> (घ) आय-वैषम्य का क्रमशः लोप हो ।"

मैं यह चीज़ चाहता हूं और आशा करता हूं कि हमारे वित्त मंत्री इन बातों का खयाल करेंगे और आइन्दा का बजट ग़रीबों के फायदे के लिये बनायेंगे और जो रुपयों का कंसेन्ट्रेशन कुछ लोगों के हाथों में हो रहा है उस की ओर देखेंगे । आज ७०, ८० आदमी ऐसे देश में हैं जिन के पास सारी वेल्थ कंसेन्ट्रेटेड है । मैं आशा करता करता हूं कि आप इस का खयाल करेंगे ।

श्री शंकरगौड़ पाटिल (बेलगांव दक्षिण) : श्रीमान्, मैं आप का आभारी हूं कि आपने मुझे इस आयव्ययक पर विचार प्रकट करने का अवसर दिया है।

यदि हम गत वर्ष की आर्थिक स्थिति का पुनरीक्षण करें तो उससे हमें यह पता लगेगा कि माननीय वित्त मंत्री ने बड़ी बुद्धिमत्ता से स्थिति को संभाला है। कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है और औद्योगिक उत्पादन भी उत्साह वर्धक है।

पिछले वर्षों में आयव्ययकों में मुख्य प्रयोजन विकास योजनाओं के लिये वित्त-व्यवस्था करने का रहा है। इससे बड़ी कठिन स्थिति उत्पन्न हो गई थी। रेलवे वाले भी आवश्यक वित्त व्यवस्था करने में असमर्थ रहे। किन्तु, फिर भी योजना के लक्ष्यों की पूर्ति एक क्षेत्र में उत्साह जनक हुई है। यह सारा काम संयम एवं अल्पव्यय से हुआ है।

इतना होते हुये भी वस्तुओं की क़ीमतें अभी पर्याप्त रूप से अधिक है और बेरोज़गारी की समस्या गम्भीर है।

१९५५–५६ के आयव्ययक के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि यह एक क्रान्तिकारी आयव्ययक है। इसके लिये आवड़ी अधिवेशन तथा मथाई आयोग से प्रेरणा प्राप्त हुई है। इस आयव्ययक के द्वारा हमें समाजवाद की ओर भी अग्रसर होना है इस पर विचार करते समय हमें इसी पृष्ठभूमि को दृष्टि में रखते हुये विचार करना है।

सब से पहले हमें यह देखना है कि क्या इससे असमानतायें कम होंगी, दूसरे, क्या विकास योजनाओं के वित्त की व्यवस्था होगी और तीसरे यह कि क्या इससे अधिक-से-अधिक लोगों को लाभ होगा अथवा नहीं ? हमें व्यक्तिगत प्रभाव के आधार पर इसके बारे में विचार नहीं करना चाहिये। हमारे देश में विकास के लिये हमें बलिदान करना ही पड़ेगा और योजना बना कर काम भी करना पड़ेगा। इन सब बातों पर ध्यान रख कर हम यह कह सकते हैं कि माननीय वित्त मंत्री ने अत्मयुत्तम ढंग से यह सारी व्यवस्था की है।

करों के सम्बन्ध में मेरे कुछ सुझाव हैं। पहला यह है कि उत्पादक व्यवसायों तथा व्यापारिक व्यवसायों के करो में कोई भेद नहीं किया गया है। करों की प्रगतिवादी पद्धति के अनुसार उत्पादकों से अधिक व्यापारियों पर कर देने का उत्तरदायित्व होना चाहिये। दूसरे हमें मितव्ययता से अपनी आय बढ़ानी चाहिय। रक्षा विभाग की ६.५ करोड़ रुपये की बचत से सरकार के अन्य विभागों को भी कुछ सीखना चाहिये। इस प्रकार की पद्धति से सामान्य जनता पर बोझा न डाल कर भी हम, विकास के कार्यों से धन इकट्ठा कर सकते हैं। तीसरे देश की जनता की भावना इस प्रकार की है कि इस आयव्ययक से धनिकों तथा नगर-निवासियों को लाभ हुआ है किन्तु देहातियों को नहीं जिन्हें इस सम्बन्ध में सब से अधिक आशायें थीं। वित्त मंत्री ने भी अपने भाषण में समाज की समाजवादी व्यवस्था के सम्बध में कुछ नहीं बताया।

इस सम्बन्ध में मैं इसकी चर्चा भी करना चाहता हूं कि अधिकतम कितना खाद्यान्न इकट्ठा किया जा सकता है। इस प्रश्न पर मथाई आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर विचार किया जायेगा। समाज की समाजवादी व्यवस्था को ध्यान में रख कर सामान्य जनता सोचती है कि अब वाणिज्यिक तथा औद्योगिक आय की भी अधिकतम सीमा होनी चाहिये। वित्त मंत्री

कह सकते हैं कि इन करों के द्वारा हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं परन्तु सामान्य जनता इस प्रकार की गणना नहीं कर सकती । इसलिये ग्रामीण जनता खाद्यान्नों पर अधिकतम सीमा देख कर यही सोचेगी कि सरकार उनका अहित कर रही है ।

श्री सी० डी० देशमुख: क्या दोनों पद्धतियां एक समान हैं ? हम सीमा निर्धारित करके किसी की भूमि तो नहीं छीन रहे जब कि कर के द्वारा हम उनकी आय छीन रहे हैं। दूसरे शब्दों में, यदि हम भूमि पर भी सीमा लगाते हैं तो उसके लिये प्रतिकर देते हैं ।

श्री केलप्पन (पोन्नानी) : आप बिना प्रतिकर दिये भूमि भी लेते हैं ।

श्री सी० डी० देशमुख: सामान्यतः प्रतिकर दिया जाता है ।

श्री शंकर गौड़ पाटिल : हमें खाद्यान्नों पर सीमा लगा कर कृषि की वर्तमान व्यवस्था को छिन्न भिन्न नहीं करना चाहिये ।

दूसरा सुझाव, सरकारी सेवाओं के कर्मचारियों तथा उच्चतम पदाधिकारियों के रहन सहन का एक ही स्तर रखने के सम्बन्ध में है । निकट भविष्य में इस प्रश्न पर भी विचार करना होगा ।

इस प्रकार की कार्यवाही द्वारा हम करों में वृद्धि न करके, देश का सभी प्रकार से विकास कर सकते हैं । तथा इसी प्रकार समाज की समाजवादी व्यवस्था की जा सकती है । अन्यथा यह केवल मत प्राप्त करने का एक नारा समझा जायेगा ।

सभापति महोदय: प्रत्येक दल मुझे सूची भेजता है । इसलिये दलों पर चुने गये वक्ताओं को ही अवसर दिया जायेगा । श्री राजभोज ।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदय, देश की हालत सुधारने के लिये मेरे ख्याल से बेकारी का प्रश्न अच्छी तरह से मिटाना होगा । बेकारी बढ़ रही है । किसान को आज जो आमदनी होती है वह नाकाफ़ी है और उस पर वह गुज़ारा नहीं कर सकता । सच बात तो यह है कि बीस फ़ीसदी किसान ही खेती पर अच्छी तरह से गुज़ारा कर सकते हैं, बाक़ी किसानों को औद्योगिक क्षेत्र में लेना चाहिये । इसके लिये आवश्यक हो जाता है कि उद्योग धंधे बढ़ाये जायें । बेकारी मिटाने के लिये दो चीज़ें करनी चाहियें । मेरे ख्याल से उद्योग धंधे बढ़ाने, और रेलों को डबल करने का कार्यक्रम सरकार हाथ में लेगी तो एक तरफ़ तो लाखों लोगों को काम मिल जायगा और दूसरी तरफ़ व्यापार और धंधे बढ़ जायेंगे क्योंकि देश के कोने कोने में माल का उठाव हो सकेगा ।

दूसरा सवाल मेरा यह है कि किसानों की आय बढ़ानी चाहिये । इसके लिये जो ग्रामीण उद्योग धंधे हैं, और काटेज इंडस्ट्रीज हैं उनको सरकार की तरफ़ से मदद मिलनी चाहिये । हमारे अस्पृश्य लोगों के जो छोटे धंधे हैं जैसे टैनिंग और शू मेकिंग, रोप मेकिंग वग़ैरह, हमारे जो चमार या टैनिंग का काम करने वाले हैं उनका माल बेचे जाने के लिये एक अलग फील्ड रखना चाहिये । इसके मानी यह हैं कि बाटा या फ्लैक्स कम्पनी का जो माल है, उसको रोक लेना चाहिये । बाटा कम्पनी के साथ हमारे अछूत भाई कैसे कम्पीट कर सकते हैं। इसलिये मेरी राय है कि चमार या टैनर्स को क़र्ज़ा या दूसरी मदद देनी चाहिये । उनकी को-आपरेटिव्स बनाने से उनका माल ठीक क़ीमत पर ख़रीदा जायगा क्योंकि आगरा में जो हमारे ज्यादा से ज्यादा काम करने वाले लोग हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है । इसी

[श्री पी० एन० राजभोज]

वास्ते उनकी हालत सुधारने के लिये मैं ने जो आपके सामने बात रक्खी है वह अमल में आनी चाहिये ।

तीसरी बात यह है कि शेड्यूल कास्ट के लोगों का दर्जा उठाने के लिये सरकार को उनको ज़मीन देना चाहिये, उनको माल मसाला ज़मीन का सामान, हल, इत्यादि सहायता देनी चाहिये। उनकी सामाजिक और शैक्षणिक उन्नति करने के लिये सरकार को कुछ टैक्स लगाना चाहिये, जैसे कास्ट टैक्स और उस टैक्स का पैसा अछूतों के लिये ही खर्चा करना चाहिये, यह मेरी आपसे प्रार्थना है । जो पैसा आ जायेगा वह सिर्फ अछूतों के लिये खर्च करना चाहिये, यह मेरी विनती है । कांग्रेस सरकारें शराब बन्दी कर रही हैं । मेरा खयाल यह है कि यह जो पैसा आयेगा वह सिर्फ अछूतों की उन्नति के ऊपर खर्च होता तो हमारी हालत बहुत कुछ सुधर जाती । मेरा कहना यह है कि जो मर्ज़ी आप करें, लेकिन टैक्स में से कुछ रक़म हमारे लोगों के उद्धार के लिये अलग रक्खें ।

विकास योजना के बारे में मुझे यह कहना है कि लोगों को काम देने के लिये और विकास योजना के बारे में लोगों की सहानुभूति पैदा करने के लिये बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल योजना को अमल में लाने के लिये नहीं करना चाहिये । हमारी पालिसी ऐसी हो कि लेबर सेविंग डिवाइसेज़ इस्तेमाल न करते हुये, लोगों की ताक़त पर ही बड़ी बड़ी योजनायें पूरी की जायें । अ. सभापति जी, सवाल यह है कि यह जो बेकारी का बड़ा सवाल है, इसको कैसे दूर किया जाय । हम मशीन के विरुद्ध नहीं हैं लेकिन इस पि ड़े हुये देश में बहुत बड़ी बड़ी मशीनें इस्तेमाल करना समाज और देश के हित के विरुद्ध होगा । जितने ज्यादा लोग काम में रहेंगे, उतनी ही हमारी पैदावार भी बढ़ेगी और उतना ही हमारा स्टैण्डर्ड आफ लिविंग भी ऊंचा हो जायेगा ।

हमें एक ही उद्देश्य सामने रखना चाहिये और वह है देश की पैदावार बढ़ाना । जब देश की सम्पत्ति बढ़ जायगी तब हमारे सोशलिस्ट पैटर्न के समाज का सच्चा हित होगा, जन हित की रोशनी पैदा करना, यही हमारा ध्येय होना चाहिये । सरकार इस ध्येय की प्राप्ति के लिये जो भी कार्यवाही करेगी हम उसका जरूर समर्थन करेंगे और उसमें हम यथासाध्य सहायता देने को भी तैयार हैं ।

मेरी राय है कि हमारे जो शरणार्थी भाई हैं, उनके लिये सरकार ने कान्स्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल में कई सहूलियतें दी हैं, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है लेकिन सरकार को मैं यह बताना चाहता हूं कि अछूतों के लिये जो करना चाहिये जैसा शरणार्थियों के लिये हो रहा है वैसा हमारे लिये नहीं हो रहा है । गवर्नमेंट हमें स्कालरशिप्स देने पर खर्च करती है, लेकिन अब सुना गया है कि फारेन कंट्रीज में जो विद्यार्थी जाते थे, उनका वजीफा बन्द कर दिया गया है । केवल हर एक वर्ग के चार स्कालरशिप्स अछूतों, बैकवर्ड और शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब्स के लिये और बारह स्कालरशिप्स फारेन कंट्रीज में जाने के लिये मंजूर हुये हैं, वह बहुत कम हैं । अकेले एजूकेशन पर हमारी गवर्नमेंट कुछ रुपया खर्च कर रही है लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये गवर्नमेंट अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है ।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि जैसे रेफ्यूजी लोगों को जमीन खरीदने के लिये सहूलियतें मिलती हैं वैसे ही अछूतों को जो

कि रोक ख़री ६ड़ के हैं, उनके लिये जमीन खरीदने के लिये गवर्नमेंट को एक ऐसी स्कीम नानी चाहिये कि जिसके मातहत जितनी उनकी अलग स्तियां हैं और खरा हालत में हैं, उनकी हालत सुधारने के लिये गवर्नमेंट को जमीन एक्वायर करनी चाहिये। सरकार ने संविधान की ३१ वीं धारा में संशोधन करने का बिल हाउस के सामने रक्खा है जिसके अनुसार बिना मुआविजा शरणार्थियों को बसाने के लिये आप जमीन ले सकते हैं, कम-से-कम कोई उसमें दखल नही दे सकेगा, आप इसी प्रकार का प्राविजन अछूतों की आर्थिक हालत सुधारने और उनकी बस्ती नाने के लिये क्यों नहीं बनाते है। यहां अछूतों की उन्नति के वास्ते बातें तो हुत की जाती हैं लेकिन वास्तव में वे केवल बातें भर ही रह जाती हैं और अमल में नहीं आती हैं। हमारे अछूत भाई हर तरह के सवाल यहां उठाते हैं। हमने कहा कि हमारा एक अलग मंत्रालय बनने से हमारी सब बातें ठीक तरह से हल हो सकती हैं लेकिन गवर्नमेंट इतना रुपया खर्च करना नहीं चाहती। आज हम अछूतों की हालत हुत ही खस्ता है, हमें उनकी आर्थिक सामाजिक और राजनैतिक अवस्था सुधारनी है और गवर्नमेंट उसके लिये वचन बद्ध है लेकिन मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट के पास कोई स्कीम नहीं है। पंच वर्षीय योजना में हमारे प्लानिंग कमीशन ने कई तरह की योजनायें देश के सामने रक्खी हैं लेकिन अछूतों के उद्धार करने के लिये कोई खास योजना नहीं है। जब कभी हम अछूतों, आदिवासी और बैकवर्ड लोगों का सवाल पेश होता है तो गवर्नमेंट और सारे लोग काफ़ी सिम्पैथी दिखाते हैं लेकिन दुःख यह है कि अमल में कुछ नहीं होता है, वह सहानुभूति अमल में नहीं आती है। मैं समझता हूं कि हमारे उद्धार के लिये और हमारी दशा सुधारने के लिये २५ करोड़ क्या, ५० करोड़ और १०० करोड़ रुपया भी अधिक न होगा। सरकार को हमारे उद्धार के वास्ते कोई एक स्कीम तो नानी चाहिये, आज हमारी जिन्दगी पशुओं की सी जिन्दगी है, कुत्तों की सी जिन्दगी हमारे भाई बिता रहे हैं। सरकार के पास कोई ठोस स्कीम नहीं है। ज हम वित्त मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ़ दिलाते हैं तो वह बोलते हैं कि इसके लिए प्लानिंग कमीशन के पास जाइये, विकास मंत्री के पास जाइये और जब उनके पास जाते हैं तो वे कहते हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं, पैसे की मंजूरी देने वाले तो वित्त मंत्री ही हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरह से टालमटोल होता है। मैं अपने वित्त मंत्री से कहना चाहता हूं कि जहां आप नाना प्रकार के टैक्स लगा कर देश की उन्नति करना चाहते हैं और तरह तरह की योजनायें कामयाब करने जा रहे हैं, वहां आप हम लोगों की उन्नति करने के वास्ते भी कोई स्कीम ना कर टैक्स वसूल करिये। हमारी उन्नति के लिये आप यह साल्ट टैक्स रख सकते हैं, इस टैक्स से जितना पैसा आपको मिलता है, उसी टैक्स में और करोड़ों रुपया आपको उपलब्ध होगा और उस रुपये को ही आप अछूतों के उद्धार के काम में ला सकते हैं लेकिन ऐसा करने के लिये आपकी ख्वाहिश तो होनी चाहिये। देश में आज छुआछूत काफी मात्रा में विद्यमान है और गांवों में अत्याचार, जुल्म हो रहा है और हालत और भी खराब है और साथ ही उनकी आर्थिक हालत इतनी खराब है कि उसको देखकर रंज होता है। आज लोग सिर्फ एलेक्शनन्स में वोट्स लेने के लिये अछूत और अन्य जनता के पास जाते हैं। उस के ाद पांच वर्ष तक उन्हें जनता की कोई परवाह नहीं रहती है।

जब मैं ने यहां शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये सैपरेट मिनिस्ट्री

[श्री पी० एन० राजभोज]

बनाने के लिये कहा तो मुझे ४८ वोट्स मिले, लेकिन जो हमारी सरकारी मैशिनरी है वह इतनी डिफेक्टिव है, इतनी मंद गति से चलती है कि मुझे -हुत दुःख होता है। यह जो सेक्रेटेरियट है वह पुराने टाइप का है। उन को जितना ही हम लोगों का ध्यान रखना चाहिये उतना ही वह हम को उदासीनता की दृष्टि से देखते हैं। वहां पर पूरी तरह से जातिवाद चलता है। जिधर देखिये उधर ही यह जातीयता की बीमारी फैली हुई है। जब हम नौकरी की -ात करते हैं तो कहते हैं कि उन को नौकरी भी मिलेगी और छुआछूत का सवाल भी हल होगा लेकिन होता कुछ नहीं है। मेरी हाउस से प्रार्थना है कि जो रिजर्वेशन हम लोगों को मिलना चाहिये वह भी नहीं मिलता है। यह ठीक नहीं है। जो मैं मंत्रालय के अलग बनाने की -ात कहता हूं वह भी नहीं बनता है। थोड़ा -हुत शिक्षा के वजीफ़ों के लिये जरूर कुछ हो रहा है, लेकिन वह भी पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। मैं समझता हूं कि देश में कम्पलसरी एजुकेशन होनी चाहिये और देश का कोई भी बच्चा -िना पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिये। आज हमारे लड़कों के पास देहातों में पट्टी और पेन्सिल के लिये पैसा नहीं है, कई बार उन की चिट्ठियां और अर्जियां आती हैं, हम हमेशा मिनिस्ट्री को लिखते हैं, लेकिन हमारी -ातों पर अमल नहीं किया जाता है। यहां पर कई पार्टियों के लोग हैं ज्यादातर अपनी सहानुभूति -ताने वाले हैं लेकिन अमल में कम लाते हैं। इसलिये मेरी हाउस से प्रार्थना है कि हमारी -ातों पर अमल किया जाय तभी हमारा सब प्रकार से उद्धार हो सकता है और इसके लिये कोई न कोई तरीक़ा निकाल कर हमारे लोगों की उन्नति करनी चाहिये।

कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में भी मेरा कहना यह है कि हम ने जो घोषणा पैंत्र लिखा था उस में वादा किया था कि खेती के अन्तर्गत उन्नति की जायेगी। ज -तक भारत वर्ष में पुरानी पद्धति से खेती होती रहेगी तब तक उस का विकास होने की कोई सम्भावना नहीं है। दूसरी बात इस सम्-न्ध में यह है कि यहां के अछूत, आदिवासी और किसानों को जिन के पास छोटी छोटी जमीनें हैं उन को और जमीनें देना जरूरी है। मैं ने कुछ दिन हुये यहां एक भाषण में कहा था कि हिन्दुस्तान में क़रीब ९ करोड़ एकड़ भूमि बेकार पड़ी हुई है, अगर वह उन लोगों को मिल जाय जो कि गरीब मज़दूर हैं तो उन की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। गांव गांव में जो खेती करने वाले गरीब मजदूर हैं, उन के लिये रोजगार ढ़ाने के लिये एक रिपोर्ट आई है, लेकिन हम हरि-जनों के लिये उस में कोई चीज़ नहीं आती है। देहात में खेती करने वाले जो मज़दूर हैं उन में ज्यादातर अछूत भाई हैं। उन के लिये कुछ न कुछ ऐसी योजना -ननी चाहिये जिस से कि उन का आर्थिक सवाल ठीक से हल हो सके और रोजगारी क़ानून से मिले।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : ऐसे वातावरण में जब कि आवड़ी संकल्प के कारण लोगों में एक आशा का संचार हो रहा था, वित्त मंत्री ने आय-व्ययक में समाजवादी व्यवस्था की भावना को पूर्णतः दबाया।

व्यापारी लोगों में इस आय व्ययक के कारण -हुत संतोष की भावना फैली हुई है और वे स्वीकार करते हैं कि कुछ आयों पर कराधान -ढ़ सकता है। मध्य भारत में करों इत्यादि को अभिशाप समझा जाता है। श्रमिकों के सम्बन्ध में १०० वर्ष पूर्व इंगलैंड में किसी ने कहा था कि वे आयव्ययक की

प्रस्थापनाओं के सम्बन्ध में उपेक्षा भाव रखते हैं, क्योंकि उन्हें आज भी सूखी रोटी मिलती है और कल भी सूखी ही मिलेगी। वित्त मंत्री ने उद्योग और कृषि के उत्पादन की वृद्धि के आंकड़े दिये हैं, परन्तु क्या उससे कृषक को लाभ हुआ है? सूची से पता चलता है कि चाय के मूल्य दुगने हो गये हैं परन्तु क्या इससे श्रमिकों को कोई लाभ हुआ है? इसका उत्तर एक ही है कि किसी को कोई लाभ नहीं हुआ।

श्रमिकों के प्राधिकारों के सम्बन्ध में श्री त्रिपाठी ने बताया था कि १९५२ के संकट काल में जो उनका राशन कम कर दिया गया था, वह उन्हें नहीं दिया गया। मध्य वर्ग को भी कोई लाभ नहीं हुआ। बेरोजगारी का संकट विशेषतः मध्य वर्ग के लोगों पर ही पड़ा है। पश्चिमी बंगाल की हाल की जांच के अनुसार यह पता लगा है कि वहां इंजीनियरिंग और टेकनीकल अर्हताओं के स्नातक बिना रोजगार के हैं। बेरोजगारी के सम्बन्ध में पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने बताया कि गत वर्ष २,७८७ व्यक्ति क्षय रोग से मरे।

सम्भवतः छोटे लोगों को लाभ हुआ हो किन्तु ऐसी बात भी नहीं है। हम उनकी स्थिति को भली भांति जानते हैं। हम जानते हैं कि यह लाभ किसे प्राप्त हुआ है। उत्पादन की वृद्धि का सारा लाभ एकाधिकारी पूंजीपतियों को मिला है।

जिस विधेयक में समाजवादी व्यवस्था की धारणा व्यक्त की गई हो, उसमें से इस प्रकार की त्रुटियों को दूर करना चाहिये, परन्तु इस प्रकार का कोई प्रयत्न दिखाई नहीं देता। वित्त मंत्री ने कार्यभार साधारण व्यक्तियों पर डाल दिया है और उन अविवाहित लोगों के कन्धों पर डाल दिया गया है, तो सम्भवतः इस कारण वे अविवाहित रहने के लिये बाध्य हैं कि वे संयुक्त परिवारों की मांगों को पूरा नहीं कर सकते। वित्त मंत्री ने बड़े व्यापारियों का बोझ तो हल्का कर दिया और बार बार कहा है कि २५ प्रति शत विकास सम्बन्धी छूट दी गई है। 'इन्डियन फिनान्स' में कहा गया है कि टाटा आयरन ऐंड स्टील जैसे समवायों को, जो २० या २५ करोड़ रुपये के नये संयंत्र और मशीने लगाना चाहते हैं, २५ प्रतिशत कर की मुक्ति मिल गई है। भारत के रक्षित बैंक की उपपत्तियों से पता चलता है कि संयुक्त स्कन्ध समवायों का प्रति वर्ष कुल लाभ २२५ से २५० करोड़ रुपये तक होता है। 'ईस्टर्न इकोनामिस्ट' ने तो इस पर टिप्पणी देते हुये कहा है कि यदि ४० करोड़ रुपया मशीनरी के बदलने पर लगा दिया जाये तो प्रति वर्ष ६० करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी का विनियोजन हो सकता है परन्तु योजना के प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार मशीन बदलने और पूंजी विनियोजन के कुल आंकड़े उपरोक्त आंकड़ों की अपेक्षा बहुत कम हैं। परन्तु सरकार का यह विचार है कि वह अब इस पूंजी विनियोजन पर नियंत्रण नहीं करेगी। सरकार यदि विकास को गति देने में अभिरुचि रखती है तो पूंजी विनियोजन के नियंत्रण की नीति अवश्य रहनी चाहिये। यदि आप पूंजी विनियोजन पर सीधा नियंत्रण नहीं कर सकते तो कम से कम उनके लेखों पर नियंत्रण रखिये ताकि आप राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार पूंजी लगवा सकें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो समाज को समाजवादी व्यवस्था के निर्माण की कोई आशा नहीं की जा सकती।

खाद्य पदार्थों के मूल्य गिर रहे हैं, जब कि उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हैं। गत वर्ष वित्त मंत्री ने आर्थिक नीति सम्बन्धी वाद विवाद के उत्तर में कहा था कि कृषि और उद्योग सम्बन्धी मूल्यों में समानता रखनी चाहिये। इस समान आधार की

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

अर्थ-व्यवस्था की प्राप्ति के लिये क्या ठोस कार्यवाही की जा रही है ?

गत दिसम्बर में वित्त मंत्री ने यह भी कहा था कि यदि एक हजार करोड़ रुपये की पूंजी प्रति वर्ष लगाई जाये तो लगभग दस वर्ष में बेरोजगारी समाप्त हो सकती है । मुझे खेद है कि वित्त मंत्री ने प्रथम पंचवर्षीय योजना से अनुभव प्राप्त नहीं किया । गणना के अनुसार २०६९ करोड़ रुपये की पूंजी लगाने से ९० लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलना था । किन्तु वह बात पूरी नहीं हुई । यदि वह बात पूरी हुई होती, तो सरकार ने जो लगभग १८०० करोड़ रुपये की पूंजी लगाई है, उससे रोजगार की स्थिति पर प्रभाव पड़ता ।

१९४६-४७ के ४७.८ प्रतिशत का प्रत्यक्ष कर कम हो कर १९५५ में २८.५ प्रतिशत रह गया है, जब कि अप्रत्यक्ष कर ४८ प्रतिशत से बढ़ कर ७० प्रतिशत हो गया है । अब पिछले पांच वर्षों में वित्त मंत्री ने जो भी आयव्ययक प्रस्तुत किया है, उसमें कराधान की नई प्रस्थापनायें रखी गई हैं । अतएव यदि हम पुराने करों में आज के, केन्द्र और राज्यों द्वारा प्रति वर्ष लगाये जाने वाले करों को जोड़ दें, तो हमे पता लगेगा कि वस्तुतः लोगों पर कितना भार डाल दिया गया है ।

वित्त मंत्री ने इसका उपचार यह बताया है कि नोट बना कर घाटे की वित्त व्यवस्था की जाये । परन्तु इस सम्बन्ध में बहुत ध्यानपूर्वक कार्य करना चाहिये । यह कहना व्यर्थ है कि कुछ ही वर्गों में क्रय शक्ति अतिरिक्त मात्रा में है । परन्तु यह क्रय शक्ति तो इस्पात के कारखाने और सीमेंट स्वामियों के हाथ में है, जिन्हें आप विकास सम्बन्धी छूट दे रहे हैं । मैं वित्त मंत्री से चेतावनी के रूप में यह कहना चाहता हूं कि हम पूरे रोजगार की स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं और वे राष्ट्रीयकृत उद्योगों के भाग में वृद्धि पर निर्भर करती है । केवल वित्त नीति के उपायों को ही नहीं अपनाना चाहिये वरन् श्रमिकों को श्रमिक दलों में काम करने का अधिकार होना चाहिये । मंजूरी सम्बन्धी नई नीति और श्रमिकों सम्बन्धी नई नीति के साथ साथ गैर सरकारी उद्योग में मूल्य और लाभों पर प्रत्यक्ष नियन्त्रण की आवश्यकता है । तभी लोगों का जीवन स्तर बनाया जा सकता है । प्रधान मंत्री ने अपने मस्तिष्क की उपज से जिस 'समाजवाद' की रचना की है, वित्त मंत्री उससे सर्वथा दूर हैं । वे कभी यह मानने को तैयार नहीं हैं, कि समाजवाद पूर्ण है, क्योंकि योजना से धनी व्यक्ति ही लाभ उठायेंगे । सरकार लोहे और इस्पात के बड़े बड़े उपक्रमों को बिना व्याज के ऋण देगी और उसके प्रबन्ध में हस्तक्षेप न करते हुये उसके लाभ में भी कोई हिस्सा न लेगी । उद्योग वित्त निगम द्वारा करदाताओं के धन से बड़े उद्योगपतियों की सहायता होगी कि कुटीर उद्योगों की । श्रमिक और मध्यम श्रेणी के लोग तो बेकार ही रहेंगे । सरकार इस प्रकार का समाजवाद लाने का यत्न कर रही है ।

रूस में वोडका के खिलाफ़ आन्दोलन चल रहा था और वहां एक होटल में उन्होंने यह लिख रखा था कि "वोडका का अर्थ है घुल घुल कर मरना" और एक व्यक्ति वहां बोडका पी रहा था । दूसरे ने उसे वह लिखित पंक्ति दिखाई तो उसने उत्तर दिया "मुझे भी कोई जल्दी नहीं है" ।

इसी प्रकार हमारे वित्त मंत्री को भी कोई जल्दी नहीं है । परन्तु संसार की बहुत सी शक्तियां पूंजीवाद को समाप्त करने पर तुली हुई है । और यह काम जितना जल्दी हो जाये उतना ही अच्छा होगा.

नहीं तो सामाजिक विकास की तात्विक आवश्यकतायें उन्हें विवश कर देंगी । मैं उन्हें यह चेतावनी देकर अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्रीमती सुषमा सेन (भागलपुर दक्षिण): राजकोष के सम्बन्ध में दक्षतापूर्ण कार्यवाही करने के लिये मैं वित्त मंत्री को बधाई देती हूं । वित्त के अन्य विशेषज्ञ अपना अपना मत प्रकट कर चुके हैं । इसमें सन्देह नहीं कि प्रस्ताव और नवीन उत्पाद-कर असाधारण रूप मे जटिल प्रकार के हैं और वर्तमान आय-व्ययक प्रस्ताव पहले के प्रस्तावों से आगे बढ़ जाते हैं । प्रथम पंचवर्षीय योजना का अन्तिम आयव्ययक होने के कारण यह अनुमान था कि इससे राजस्व और व्यय में अधिक अन्तर प्रकट होगा । अधिकतर राज्य सरकारों की भांति केन्द्रीय वित्त मंत्री के दक्षतापूर्ण बनाये हुये आयव्ययक में नवीन करों द्वारा घाटे की पूर्ति करने का वास्तविक प्रयत्न किया गया है । आगामी वर्ष के लिये राजस्व और व्यय का जो अनुमान लगाया गया है उसके अनुसार व्यय ३०.१७ करोड़ रुपये अधिक होगा । हम आशा करते हैं कि अगले वर्ष इसी समय वित्त मंत्री हमें यह बतायेंगे कि उन्होंने असैनिक और सैनिक व्यय में बचत करके इस घाटे को घटा कर १० करोड़ रुपये कर लिया है ।

क्रय क्षमता पहले ही निम्नतम आधार पर पहुंच चुकी है और जब तक कि जन-साधारण की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होता, उनके लिये यह अधिक भार उठाना हुत कठिन होगा । आयकर लगाने के प्रस्तावों का उद्देश्य आयों की असमानता को कम करना है । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इन वर्षों में देश की विकास योजनाओं में बहुत अच्छी प्रगति हुई है और उनके पूर्ण होने पर वास्तव में हमें उन पर गर्व होगा । परन्तु यदि जन-साधारण की भोजन और वस्त्र सम्बन्धी साधारण आवश्यकतायें पूर्ण नहीं होती हैं तो उनके लिये नदी घाटी परियोजनाओं की विकास योजनाओं का कोई महत्व नहीं होगा । यदि शुल्कों में वृद्धि होती है तो उनके लिये सुविधाओं और जीवन की आवश्यकताओं को व्यवस्था भी अवश्य होनी चाहिये । कल्याण राज्य में, जहां हुत कर लगाये जाते हैं, राज्य के लिये आवश्यक है कि वह कल्याण कार्यक्रमों की व्यवस्था करे, जैसे बच्चों की मुफ्त शिक्षा, उपेक्षित बच्चों के लिये गृह, आदि । फिर, जेलों में सुधार करने पर भी अधिक ध्यान देना होगा । जेलों में महिला बन्दियों की स्थिति शोचनीय है, और इस समस्या पर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है । मेरा निवेदन है कि कम-से-कम सामाजिक कल्याण बोर्ड को कुछ अनिवार्य कल्याण योजनाओं में अधिक सहायता करनी चाहिये ।

भारत में स्त्रियों की संख्या जन संख्या की आधी से अधिक है, और स्वतन्त्र भारत में यह उनका कर्तव्य है कि वे परिवार को स्वस्थ और प्रसन्न परिवार का रूप दें । इस कारण उनकी दृष्टि से मैं कुछ सुझाव प्रस्तुत करती हूं । यदि कपड़े के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, तो मेरा ख़याल है कि मध्यम वर्ग के लिये अपने तथा अपने बच्चों के लिये कपड़े की व्यवस्था करना कठिन होगा । वास्तव में मैं तो इसकी समर्थक हूं कि किसी भी प्रकार के कपड़े पर कोई उत्पाद-कर न हो । कपड़े पर उत्पाद-कर में वृद्धि के साथ निर्यात शुल्क में कमी कर दी गई है जिससे कारखाने वाले अधिक कपड़े का निर्यात करेंगे और परिणामतः देश में कपड़े का अभाव होगा और मूल्यों तथा चोर बाजारी में वृद्धि होगी । अतः मेरा निवेदन है कि वित्त

[श्रीमती सुषमा सेन]

मंत्री उत्पाद-कर पर पुनः विचार करें । जहां तक चीनी पर उत्पाद-कर का प्रश्न है, उसकी भी ऐसी ही स्थिति है । चीनी एक अनिवार्य पदार्थ है और इसके बिना बच्चों तथा अस्पतालों में रोगियों आदि को उचित भोजन प्राप्त नहीं हो सकता । चीनी पर उत्पाद-कर में वृद्धि होने से गुड़ का मूल्य भी बढ़ेगा, और इस प्रकार मध्यम वर्ग के कार्मिक व्यक्तियों को और भी अधिक कठिनाई होगी । अतः मैं निवेदन करती हूं कि वित्त मंत्री इस सम्बन्ध में अपने प्रस्ताव पर पुनः विचार करें ।

श्री सी० डी० देशमुख : तो क्या माननीया सदस्या आय कर में वृद्धि होने के पक्ष में है ?

श्रीमती सुषमा सेन : आय कर में पहले ही वृद्धि हो चुकी है । घरों में एक और उपयोगी एवं अत्यावश्यक वस्तु सीने की मशीन है । यह कोई विलासिता की वस्तु नहीं है । स्त्रियों और विशेषकर निराश्रित स्त्रियों का यह जीवन यापन का साधन है । मध्यम वर्ग के घरों में इसका सदुपयोग होता है क्योंकि वे दर्जी को सिलाई नहीं दे सकते । इस दृष्टि से, इस वस्तु पर उत्पाद-कर लगाने की बजाय इसके अधिकाधिक निर्माण के लिये प्रोत्साहन देना चाहिये । इसके अतिरिक्त, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना है, और विशेषकर गांव के लोगों को इसका प्रलोभन देना है । मैं आचार्य कृपालानी के इस सुझाव से सहमत हूं कि गांवों में नवीन जागृति का संचार करने का एकमात्र उपाय उद्योगों का विकेन्द्रीकरण है । उदारहणार्थ, यदि मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में, जहां अभ्रक पर्याप्त मात्रा में मिलता है, कुटीर उद्योगों का विकास किया जाता है, तो मुझे विश्वास है कि वहां पर्याप्त संख्या में लोगों को रोजगार मिल जायेगा । अन्त में, मेरा निवेदन है कि यद्यपि इसका उल्लेख आयव्ययक में नहीं है । जीवन-रक्षक औषधियों, एक्स-रे फ़िल्मों, शल्य-क्रिया सम्बन्धी यन्त्रों आदि पर, जिनका निर्माण इस देश में नहीं होता है, सीमा शुल्क नहीं होना चाहिये और उन पर क्रय कर भी नहीं होना चाहिये ।

श्री बर्मन (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : इस अवसर पर मैं एक और मामला, जिसका हमसे घनिष्ट सम्बन्ध है, वित्त मंत्री के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं । मैट्रिकोत्तर शिक्षा में, पिछड़े हुये वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं । परन्तु, इनके प्रशासन में हमें एक कठिनाई होती है कि सारा वर्ष व्यतीत हो जाता है, वह वर्षा जिसके लिये छात्रवृत्ति सरकार से मिलती है, परन्तु विद्यार्थी को कुछ परिस्थितियों वश यह प्राप्त नहीं हो पातीं । इसका कारण यह है कि हमें, छात्रवृत्ति बोर्ड को जिसका मैं एक सदस्य हूं, नवम्बर के अन्त तक प्रार्थना पत्र प्राप्त होते हैं, और फिर सरकार से निर्धारित राशि की अपेक्षा और धन की मांग करनी पड़ती है । क्योंकि अब तक सरकार की नीति यह रही है कि पिछड़े हुये वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सभी प्रार्थियों को छात्रवृत्तियां दी जायें और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये सरकार हमें, जब भी हमने मांग की है, अधिक धन भी देती रही है । अतः माननीय वित्त मंत्री से मेरी सविनय प्रार्थना यह है कि वह शिक्षा विभाग को सूचित कर दें और अपनी अनुमति दें । विगत तीन वर्षों से जो नीति अपनाई जा रही है, वह इस वर्ष भी अपनाई जानी चाहिये, ताकि देश

के सभी भागों के विद्यार्थियों को यह कठिनाई आगे न रहे ।

व्यय के रे में मुझे दो ातों की ओर वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना है, और वे हैं शिक्षा, लोक स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सहायता । मैं जानता हूं कि केन्द्र का सम्न्ध विश्वविद्यालयों और चिकित्सकों के ड़े ड़े केन्द्रों से है, और ये दोनों विषय मुख्यतया राज्यों के विषय हैं । परन्तु देश को अपने आधारभूत सिद्धान्तों में कुछ ातों का वचन देने के पश्चात्, सरकार इस मामले पर राज्यों के साथ वार्ता करनी चाहिये और पारस्परिक परामर्श नीति नानी चाहिये जिसके द्वारा राज्य भी इन दोनों विभागों का विकास करें । कर जांच आयोग के प्रतिवेदन से मुझे विदित होता है कि एक रुपये में से शिक्षा को १ आना ५ पाई, लोक स्वास्थ्य को ३ पाई और चिकित्सा सहायता को ६ पाई मिलता है और इसका भी अधिकतर भाग नगरों और उपनगरों को चला जाता है, क्योंकि सरकार को राजस्व का बड़ा भाग, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में, ग्रामवासियों से प्राप्त होता है, अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इन सुविधाओं के सम्न्ध में गांवों की ओर अधिक ध्यान दे । यदि गांव के लोग स्वस्थ और शिक्षित नहीं हैं तो समाजवाद की ात करना बेकार है, क्योंकि भारत की बहुत ड़ी जनसंख्या मुख्यतः गांवों में रहती है।

श्री टंडन (ज़िला इलाहा ाद—पश्चिम): सभापति जी, मैंने हुत देर में विचार किया कि कुछ शब्द इस विवाद में मैं भी निवेदन करूं । मैंने एक ार पहले भी इधर की मंत्रियों से वंचित बैंचों की ओर ध्यान दिलाया था । मंत्रिमंडल वंचित बेंचें शोभनीय नहीं लगती हैं ।

श्री सी० डी० देशमुख: वंचित मंत्री मंच ।

श्री टंडन : यह हमारी संसद् का दुर्भाग्य है कि मंत्रिमंडल यह आवश्यक नहीं समझता कि उसके विषय में जो ातें यहां कही जायें उनको वह सुने । केवल एक वित्त मंत्री जी उपस्थित हैं । यह सच है कि वे शासन के एक मुख्य विभाग अर्थात् वित्त का संचालन करते हैं । परन्तु यहां सदस्यों को तो भिन्न भिन्न विभागों के विषय में भी कुछ कहना होता है । मैं ने पिछले जट सत्र में भी कहा था कि ज सा विषयों पर हस होती है स सभी मंत्री उपस्थित हों, क्योंकि यह तो सीमित नहीं है कि मैं किस पर बोलूंगा और मेरे मित्र किस पर बोलेंगे, मुझे छूट है कि मैं किसी भी बात पर बोल सकूं । परन्तु यहां ज भिन्न भिन्न विभागों के मंत्री नहीं हैं तो स्वभावतः वह उन स ातों को नहीं सुनेंगे यद्यपि सम्भव है कि कभी उनके कान में कुछ छोटी मोटी ात पहुंच जाय । अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के सम्न्ध में पंचशील की चर्चा सुनी है । ड़ा सुन्दर शब्द है । किसी किसी ने उसको पंचशिला बना दिया है । वह भी एक अर्थ में सही है क्योंकि पंचशील ही पंचशिला है । पंचशील की ात याद कर मैं अपने मंत्रियों से कहना चाहता हूं कि अपने व्यवहार के लिये एक शील तो रखें कि वे यहां उपस्थित रहें । एक शील यह चाहता हूं कि जिस समय संसद् में सदस्यगण अपने विचार प्रकट करें उस समय मंत्रिगण यहां पर उपस्थित रहें । मैं तो चाहूंगा कि उनके साधारण व्यवहार का एक यह अंग हो ।

[**श्री बर्मन** पीठासीन हुये]

वित्त मंत्री जी ने मांगों के सम्न्ध में तीन बड़े ड़े पोथे दे दिये हैं । इस थोड़े से समय में मैं उन पर क्या कह सकूंगा । कुछ साधारण ातें निवेदन करता हूं । पहले मैं वित्त मंत्री को धाई इस ात पर देता हूं कि उन्होंने इस वर्ष अपने इन पोथों के कुछ अंश हिन्दी में भी प्रकाशित किये हैं, उनका भाषण तथा कुछ

[श्री टंडन]

और दो अन्य पत्र हिन्दी में आये हैं। यह शुभ प्रारम्भ है। मैं आशा करता हूं कि अगले वर्ष सम्पूर्ण बजट हिन्दी में नागरी अक्षरों में और नागरी अंकों में उपस्थित किया जायगा।

श्री सी० डी० देशमुख : कुछ नागरी अंक हैं।

श्री टंडन : मैंने कहा कि मैं आशा करता हूं कि अगले वर्ष सम्पूर्ण बजट नागरी अंकों में और हिन्दी भाषा में उपस्थित किया जायगा।

श्री सी० डी० देशमुख : मेरे कहने का मतलब यह था कि जो रोमन संख्या थी उसकी जगह हमने नागरी अंकों का उपयोग किया है और दूसरे अंकों के लिये अंग्रेज़ी अंकों का उपयोग किया है।

श्री टंडन : मैं ने नागरी अंकों की इसलिये चर्चा की क्योंकि संविधान में रोमन अंकों के लिये कहा गया है। अब भी हमारे विधान में यह कलंक उपस्थित है कि जो अंक हम प्रयुक्त करें वे रोमन अंक हों। यह रोमन अंक हमारे देश के लिये कलंक हैं। अपने में वे अच्छे हैं। हम अंग्रेज़ी भाषा पढ़ें, मैं उसका पक्षपाती हूं, अंग्रेज़ी भाषा के पढ़ने में मैंने अपने जीवन का बहुत बड़ा भाग लगाया है, जीवन का बहुत बड़ा अंश अंग्रेज़ी के ऊंचे साहित्य का अध्ययन करने में मैं ने लगाया है, मेरा उससे कोई बैर नहीं हो सकता परन्तु हमारे देश में हमसे यह कहा जाय कि नागरी अक्षरों का तुम प्रयोग करो परन्तु नागरी अक्षरों के प्रयोग के साथ तुम अंग्रेज़ी अंकों को मिलाओ, तो मेरा निवेदन है कि वह अनुचित बात है और उसको किसी न किसी समय हमें हटाना है। मेरा कहना वित्त मंत्री से यही है कि उन को अधिकार है, आज भी जो हमारा संविधान है उसके द्वारा सरकार को अधिकार है कि जिन अंकों का चाहे वह उपयोग कर सकती है। इसी कारण से मैं ने यह कहने का सहास किया कि अगले वर्ष वे पूरा बजट विवरण हिन्दी अक्षरों में और नागरी अंकों म प्रकाशित करायेंग।

उन्होंने इस वर्ष कई प्रकार के कर लगाये हैं। मैं ब्यौरे में नहीं जाना चाहता, केवल एक बात कहना चहाता हूं कि यह जो क़ाग़ज़ पर उन्होंने कर लगाया है, यह अगर न लगाया होता तो अच्छा था, क्योंकि उसमें उन्होंने अख़बारों को तो छोड़ दिया, परन्तु पुस्तकों के ऊपर उन्होंने कर लगाया है। वास्तव में अख़बार बन्द हो जायें तो देश की बहुत हानि नहीं है, परन्तु अच्छी पुस्तकों का निकलना रुक जाना जनता के लिये, यह उचित नहीं है। मैं चाहूंगा कि जहां तक सम्भव हो पुस्तकों के अच्छे साहित्य के, प्रचार की ओर उनका ध्यान जाय। दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि डाक के टिकटों का जो हिसाब रहा है, उसमें पिछले दो वर्षों से जो बढ़ौती की गई है उसका परिणाम यह हुआ है कि सस्ता साहित्य जाना बन्द हो गया। मेरे पास कल या परसों गोरखपुर के कल्याण कार्यालय से दो पुस्तकें आई हैं, भगवत् गीता हिन्दी में और अंग्रेज़ी में। उन पुस्तकों का दाम जहां तक मुझे याद पड़ता है साढे छै आने हैं, परन्तु उसके ऊपर टिकट ग्यारह आने के लगे हैं। यह मैं जानता हूं कि वित्त मंत्री के हाथ में डाक विभाग नहीं है, परन्तु उनके द्वारा मैं उस विभाग से निवेदन करना चाहता हूं कि यह तो बहुत अंधेर है।

श्री सी० डी० देशमुख : हमारा सामुदायिक उत्तरदायित्व है।

श्री टंडन : साढ़े छै आने की भगवतगीता उसको अगर मैं यहां मंगाता हूं तो ग्यारह आने के टिकट उस पर लगाने पड़ेंगे और वी० पी० से अगर आये तो तीन आने और

पड़ेंगे और मुझ को १४ आने देने पड़ेंगे। दो छोटी छोटी और इतने कम दाम वाली पुस्तकों के मंगाने के लिये इतना डाक महसूल, यह शासन का कैसा क्रम है? मैं इसकी ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। कल्याण कार्यालय से एक पत्र भी भजा गया है जिसमें उन्होंने बतलाया है कि डाक खर्च में बढ़ौती होने के कारण परिणाम यह हुआ है कि हमारी पुस्तकें कम निकली हैं और इन पुस्तकों पर गवर्नमेंट को जितना हम पहले स्टाम्स् के रूप में दिया करते थे, उससे कम मिला, क्योंकि हमारी पुस्तकों का प्रचलन कम हुआ। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सम्भव हो तो इस पर आप विचार करें।

मुख्य बात जो मेरे मन में आपके शासन के सम्बन्ध में है वह यह है कि अब भी आपका ध्यान सर्वोदय अर्थात् सब का लाभ हो, जन समुदाय उन्नति करे की ओर बहुत कम गया है और सरकार का ध्यान अंग्रेज़ी शासनकाल की तरह अब भी शहरों की तरफ़ है और गांवों की तरफ़ बहुत कम है। आपकी सिंचाई योजनायें अवश्य कुछ जल पहुंचायेंगी, परन्तु आज भी मुख्यतः जितनी आप की योजनायें हैं उन में शहरी उन्नति का क्रम अधिक है। देहातों का लाभ अपेक्षाकृत बहुत ही थोड़ा है। मैंने पिछले वर्ष ध्यान दिलाया था, इस बात पर कि आवश्यकता यह है कि देहातों में नवमार्ग से ग्राम निर्माण किया जाय। मैं ने उस का नाम वाटिका गृह योजना दिया था जिस में हर गृह के साथ एक छोटी वाटिका हो। हिन्दुस्तान के ग्रामों में कोई ऐसा घर न हो जिस के साथ थोड़ी सी वाटिका न हो। मेरे सामने यह रूपरेखा है कि देश के ग्रामों का कोई घर ऐसा न हो जिसके साथ कम-से-कम आधी एकड़ भूमि न हो। आज के ग्राम दरिद्र हैं घर देखने के और रहने के योग्य नहीं हैं, गन्दे और बीमारियों के स्थान हैं। बीमारी फैलती है तो आप बांटते हैं औषधियां। इन को आप न बांटें। यह औषधियां आपकी व्यर्थ हैं, आप इन पर करोड़ों रुपये व्यर्थ फूंकते हैं। वह रुपया आप लगाइये ग्रामों के सुधार में। चाहे छोटे घर हों लेकिन उन को आप आधी एकड़ भूमि आसानी से दे सकते हैं, इस में कोई कठिनाई नहीं है। पिछले वर्ष जब मैं बोल रहा था तो वित्त मंत्री जी ने भी कहा था, कि हां, मैं यह योजना योजनाकारों के पास अर्थात् प्लैनिंग कमीशन के पास पहुंचा दूंगा। मैं जानत हूं कि उहोंने पहुंचा भी दिया। मैं यह बात इस लिये जानता हूं कि वहां से एक आदमी मुझ से पूछने आया था कि आप की क्या योजना है। मैं ने उस से निवेदन कर दिया था, परन्तु आज आप के बजट की किसी बात से किसी रूप में यह नहीं जान पड़ा कि आप ने कहीं एक गांव भी उस योजना के अनुसार बनवाया हो, या आपने इस देश में यह यत्न किया हो कि हम एक गांव ऐसा बनावें जिस में बीस, पचीस, सौ या दो सौ कुटुम्बों को, आधी एकड़ भूमि वाटिका के लिये दी हो। आधी एकड़ भूमि कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे देश में लगभग सात करोड़ परिवार हैं।

एक माननीय सदस्य: शहर के लोगों को निकाल कर।

श्री टंडन: हर परिवार के लिये अगर आधी एकड़ भूमि दें तो साढ़े तीन करोड़ एकड़ भूमि हुई। इस प्रकार से साढ़े तीन करोड़ एकड़ भूमि देना बहुत आसान है। फिर यह तो जा कर अन्त में पड़ेगी, इस समय आरम्भ करने के लिये थोड़ी भूमि में यह काम किया जा सकता है। मेरा निवेदन है कि अगर इस प्रकार के ग्राम बनें तो दवाओं की आवश्यकता नहीं होगी। छूत की बीमारी का नामोनिशान नहीं रहेगा। वह आप से आप भाग जायेगी। मगर एक

[श्री टंडन]

एक घर अलग अलग बनें । आज के ग्राम-घर तो एक दूसरे से सटे हुये हैं । एक घर की दीवार दूसरे घर की दीवार से मिली हुई रहती है । यहां हम लोग किस ठाट बाट से रहते हैं ? मुझे तो ऐसा लगता है कि जितनी हमारी योजनायें हैं स हमारे ग्रामों की ओर नहीं जा रही हैं शहरों की ओर भाग रही हैं । शहरों ने अंग्रेज़ी राज्य में ग्रामों का शोषण किया । शोषण शहरों के लाभ के लिये किया गया और ग्राम शोषित रहे । आज आवश्यकता यह है कि आप ग्रामों का शोषण बन्द करें । आप उन के लिये पैसा लगावें । आज जो धनी-मानी लोग हैं आप उनसे पैसा लें । अगर आप देश भर का भला चाहते हैं तो आप उस का नाम सर्वोदय दें या सोशलिज्म दें, लेकिन आवश्यकता यह है कि जितना पैसा है, उस पैसे में से, उस सम्पत्ति में से एक अंश आप निकाल कर ग्रामों को दें । उन के मकान नाने में सहायता दें या उधार दें । उन में सें बहुत से आदमी अपने परिश्रम से अपने मकान नायेंगे । भले ही वह कच्चे मकान बनावें । जहां आवश्यकता हो कूप आदि तथा मकान नाने के लिये आप सहायता दें । मैं यह समझता हूं कि यह योजना ऐसी चीज़ है जिस की आज आवश्यकता है ।

अब मैं कुछ शब्द हिन्दी के बारे में कहता हूं । संविधान ने यह कहा है कि संविधान के प्रारम्भ से जब पांच वर्ष पूरे हो जायें उस समय तुरन्त एक हिन्दी कमीशन बनना चाहिये । मैं कुछ समझ नहीं पाया कि वह अब तक क्यों नहीं बना । संविधान में अंग्रेज़ी के जो शब्द हैं वह यह हैं :

"The president shall, at the expiration of five years from the commencement of this constitution . . . ."

["राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारम्भ से पांच वर्ष की समाप्ति पर. . . ."]

मैं बीच के शब्दों को छोड़ता हूं

"...by order constitute a commission which shall consist of a chairman..."

"...आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा जो एक सभापति ..."

इत्यादि, इत्यादि

अंग्रेज़ी भाषा के शब्दों के स्पष्ट मान हैं । 'ऐट' और 'आफ्टर' में बहुत अन्तर है । मुझे मालूम है कि आप आयोग नावेंगे, वह बनेगा अवश्य, लेकिन मुझ को आश्चर्य यह लगता है कि आप ने इतना समय क्यों लिया । मुझे ऐसा जान पड़ता है कि आप की प्रक्रिया ठीक नहीं है और आप ने संविधान की अवहेलना की है । मैं तो यह आशा करता था कि जिस दिन २६ जनवरी होगी, उस के दो एक दिन पहले से ही गज़ट में समाचार आयेगा । संविधान के अनुसार २६ जनवरी को इसकी घोषणा होनी चाहिये थी कि कमीशन बन गया । लेकिन प्रेजिडेन्ट ने अर्थात् गवर्नमेंट ने इस की घोषणा नहीं की । इस में मुझ को स्पष्ट संविधान की अवहेलना लगती है । यह अवश्य है कि आप इस काम को करेंगे लेकिन जितनी जल्दी हो सके आपको इस त्रुटि की पूर्ति करनी चाहिये ।

हिन्दी के काम के विषय में मैं शिक्षा विभाग की कुछ रिपोर्ट आदि देख रहा था । मैं ने आशा की थी कि मुझ को शिक्षा विभाग की रिपोर्ट में कुछ अधिक जानकारी मिलेगी । किसी मसखरे ने कहा है कि शब्दों की रचना इसलिये की गई है कि वह विचारों को छिपा ले, यह रिपोर्ट एक उदारहण है इस कथन का । जो रिपोर्ट उन की ओर से निकली है, उस में कोई विशेष पता नहीं मिलत । उस में

एक बात कही है कि हम ने एक लाख और कुछ रुपया काशी नागरी प्रचारिणी सभा को हिन्दी कोष के लिये दिया । पर साल मैंने इस विषय में बहुत ब्यौरे के साथ कहा था कि उन्होंने जो अनुदान अर्थात् ग्रान्ट्स वगैरह दिये हैं वह क्या समझ कर दिये हैं ? आज मैं जानना चाहता हूं कि मेरी बात सही निकली या शिक्षा मंत्री की बात सही निकली। मैं कहता हूं कि शिक्षा मंत्री की बात बिल्कुल ग़लत निकली । उस समय भी उन्होंने ग़लत बयानी की थी और इस का जो प्रमाण है उस को उन्होंने छिपा दिया । प्रमाण यह है कि उन्होंने ६० हजार रुपया हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी को एक कोश के लिये दिया था । मैं आप को स्मरण दिलाता हूं, शायद आप को याद न रहा हो, मैं ने कहा था कि यह हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी इस योग्य नहीं है कि वह कोश बना दे और आप ने अपना रुपया मुफ्त फेंका है । यह काम देना चाहिये था नागरी प्रचारिणी सभा को या हिन्दी साहित्य सम्मेलन को । मैं ने कहा भी था कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन इसी तरह का कोश बना रहा है । आपको याद होगा कि हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी के कुछ शब्दों के उदाहरण भी मैं ने दिये थे । वह शब्द यहां विवाद में भी आये थे और वित्त मंत्री जी की वाणी में भी आये थे । कैबिनेट का अनुवाद खोली किया गया था और सेन्टर का अनुवाद बिचन्दी किया गया था । उस पुस्तिका में से मैं ने बहुत से शब्दों के उदाहरण दिये थे । मैं ने कहा था कि यह संस्था इस योग्य नहीं है कि ठीक कोश बनाये । उस संस्था को रुपये दिये गये, और उस ने कोश का नमूना बना कर दिया । यह मैं अन्दर की बात बता रहा हूं, रिपोर्ट की बात नहीं क्योंकि वह बात तो छिपाई गई । गवर्नमेंट ने इस सोसायटी के कोश का नमूना देखने के लिये एक छोटी सी कमेटी बनाई । उस कमेटी ने वह रिपोर्ट दी है कि जो काम हुआ है वह नितान्त असंतोषजनक [‘एन्टायरली अनसैटिस्फैकटरी’] है । यह बात पब्लिक के सामने नहीं आई है लेकिन मैं जानता हूं कि उस रिपोर्ट में यह बात कही गई ।

श्री अलगू राय शास्त्री (ज़िला आज़मगढ़—पूर्व व ज़िला बलिया—पश्चिम) आज आ गई ।

श्री टंडन : मैं चाहता था कि अगर आज शिक्षा मंत्री यहां होते तो मैं उन से यह बात पूछता । उस कमेटी में अच्छे योग्य आदमी थे । सरकार से बाहर के भी लोग थे । अगर आप की गवर्नमेंट के ही आदमी रहते तो शायद ऐसा कहने की हिम्मत उनको न पड़ती । परन्तु उस में डा० सुनीति कुमार चैटर्जी थे, उन के उस कमेटी की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर हैं । उस पर बनारस युनिवर्सिटी के हिन्दी के जो प्रोफेसर हैं उन के भी हस्ताक्षर हैं । तो इस काम के लिये सोसायटी को तीस हज़ार रुपया दे दिया गया, और भी ३० हज़ार बाद में दिया जाने को था । इस तरह से वह कोश बनाया जा रहा है । हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने बिना आपकी सहायता के एक कोश बनाया । उनके २४ पन्ने इस कमेटी के सामने आये । इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि यह उससे कहीं अच्छा है और मानने के योग्य है और सम्मेलन का प्रयत्न आदरणीय है । लेकिन हिन्दी साहित्य सम्मेलन को कोश बनाने के लिये एक पैसा अभी तक नहीं दिया गया और सोसायटी को बहुत सा पैसा दिया गया । यह एक उदारहण है कि जिस प्रकार से हिन्दी का काम होता है और जिस प्रकार से पैसा व्यय होता है ।

मैं और विषयों पर भी कुछ निवेदन करना चाहता था परन्तु मैं जानता हूं कि और भी लोग बोलने वाले हैं । मैं अधिक समय

[श्री टंडन]

नहीं लूंगा । मेरा निवेदन केवल यही है कि अब हिन्दी के काम में अधिक प्रगति हो । आप बहुत जल्दी एक कमीशन बनायें । और कमीशन बनाने में यह ध्यान रखें कि कौन कौन लोग उसमें रहते हैं । उसमें आप इस प्रकार के लोगों को रखें जो न्याय कर सकें, जो निडर होकर अपना काम कर सकें, जिनको न शिक्षा मंत्री का डर हो और न प्रधान मंत्री का डर हो और न वित्त मंत्री जी का डर हो ,और जिनको हिन्दी का ज्ञान हो । आज तो एक बड़ा तमाशा है । शिक्षा विभाग में ऐसे लोग हिन्दी का काम करते हैं जो स्वयं हिन्दी नहीं जानते । जो इस विभाग के मुख्य सचिव हैं वे तीनों ऐसे हैं जो हिन्दी के ज्ञान से अपरिचित हैं । जो इस प्रकार हिन्दी से अपरिचित हैं वे कैसे हिन्दी का काम कर पायेंगे ? जिनका हिन्दी जगत में सम्मान है, जिनको संसार में लोग जानते हैं कि इन्हें हिन्दी भाषा आती है, इस प्रकार के आदमियों का आप कमीशन बनायें ।

मैं ने सुना है कि हमारे भाई गोविन्द दास जी ने आज कुछ चर्चा की है करोड़ों के देने की । करोड़ तो बहुत दूर है । मैं ने तो निवेदन किया था कुछ लाख खर्च करने का । आप चर्चा हिन्दी के चलाने की करते हैं । मैं तो तब समझता कि आप हिन्दी की प्रगति चाहते हैं यदि आप हिन्दी की कुछ पुस्तकें निकलवा देते जो ऊंचे दर्जों में पढ़ाई जा सकती हैं । एक अच्छे ग्रन्थ पर १४ या १५ हज़ार रुपया खर्च आता है । मैं ने कहा था कि आप ऐसे साल भर में चालीस पचास ग्रन्थ निकलवा दें तो चार पांच साल में आप हिन्दी के साहित्य को ऐसे ग्रन्थों से भर देंगे कि जिनसे ऊंची कक्षाओं में पढ़ाने का काम चल सके । लेकिन इस दिशा में कुछ भी काम नहीं किया । मुझे तो ऐसा लगता है कि मानो यह शिक्षा विभाग इसलिये बनाया गया है कि यह हिन्दी के काम में रोड़ा अटकावे, उस काम को बढ़ावे नहीं बल्कि घटावे । मैं और अधिक नहीं कहना चाहता । मैं आपके कामों की गति देख रहा हूं । हिन्दी इन २५ या ३० साल में किधर गयी है यह मैं अच्छी तरह जानता हूं । इस देश में बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जो मुझ से इस विषय में अधिक जानते हैं । मेरे जीवन का बहुत बड़ा अंश इस काम में गया है । इसलिये यदि मैं कुछ जानता हूं तो इसमें कोई बहादुरी की बात नहीं है । मैं देखता हूं कि जिन लोगों को हिन्दी की जानकारी है उनको शिक्षा विभाग में नहीं रखा गया है । मैं कुछ समझ नहीं पाता । शिक्षा मंत्री जी योग्य आदमी हैं परन्तु उनको हिन्दी का ज्ञान नहीं है । इस कारण होना तो यह चाहिये था कि वे उन लोगों को अपने सचिव मंडल में रखते जो उनकी इस हिन्दी न जानने की त्रुटि को पूरा करते । लेकिन इसके बजाय उन्होंने अपने सचिव ऐसे रखे हैं कि जो उनकी कमी है उसको और बढ़ा रहे हैं बजाय इसके कि उसकी पूर्ति करते और हिन्दी के लिये अच्छा काम करते ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वह ग्रामों की ओर अपने शासन को अधिक बढ़ावें । मेरे सामने यह मुख्य बात है । मैं रात दिन इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात सुनता हूं । मैं उससे हैरान हूं । मुझे वह अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल वाहियात है । देश इंडस्ट्रियलाइजेशन से नहीं बनेगा । देश इण्डिस्ट्रियलाइजेशन से बेईमान होगा । अभी सात आठ रोज़ हुये एक बड़े व्यापारी मेरे पास आये थे । वह आपके एक मंत्री की शिकायत कर रहे थे । मैं ने उन से पूछा कि आपकी राय में व्यापारी कितने प्रतिशत ईमानदार हों हैं, तो उन्होंने कहा कि व्या

पारियों में एक ईमानदार नहीं है। मुझे को यह सुनकर बड़ा धक्का लगा। मैं भी देश को कुछ जानता हूं। मैं जानता हूं कि जो लोग अधिक धन एकत्र करते हैं प्रायः उसका रास्ता अनुचित होता है। आज आवश्यकता यह है कि देश में जो अनैतिकता फैली हुई है उसको बन्द किया जाय। मैं ने पिछले वर्ष, जब आर्थिक स्थिति की चर्चा हो रही थी, अपने भाषण में यह कहा था कि यह उचित है कि हम देश में धन की वृद्धि करें परन्तु धन की वृद्धि में सन्मार्ग का ध्यान रखें, अनुचित रास्ते न अख्तियार करें। उस पर मैं कुछ व्यौरे में गया था। बाद में मैं ने सुना कि हमारे प्रधान मंत्री ने मेरे उस भाषण की चर्चा कांग्रेस पार्टी में की। मैं वहां उपस्थित नहीं था। उनके शब्द मेरे सामने आये थे। मैं ने अपने भाषण में कहा था कि हमको नैतिकता की आवश्यकता अधिक है, भलमंसाहत की आवश्यकता अधिक है केवल पैसे की उतनी आवश्यकता नहीं। हमारे प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि 'टंडन जी ने मारल स्टडर्ड की चर्चा की, यह तो उद्योगों को बढ़ाने का विषय था वह बहक गये'। उन्होंने मेरे कथन को बहकना कहा था। जो व्यापारी लोग हैं और जिनका मुख्य उद्देश्य यैनकेन प्रकारेण लक्ष्मी की वृद्धि करना है वह तो नैतिकता की बात को बहकना कहते ही हैं। परन्तु मेरा निवेदन है कि यदि गांधी जी का नाम (कभी कभी हम गांधी जी का नाम व्यर्थ ही अपनी त्रुटियों को छिपाने के लिये ले लेते हैं) कुछ अर्थ रखता है, और उनके नाम के भी पहले यदि हमारी संस्कृति का कुछ अर्थ है, जिसके कारण हमारे लोगों का आज तक नाम चला आ रहा है, तो वह यह है कि हमारे जीवन का मुख्य आदर्श नैतिकता है। लेकिन आज जितने काम हैं क्या व्यापार, क्या सरकारी नौकरी, क्या इंजीनियरिंग और उनके साथ उनकी ठेकेदारी, क्या वकालत सब जगह आज नैतिकता बढ़ी हुई है। मैं कुछ अपने अनुभव से कह रहा हूं। ये बड़े बड़े महल शुद्ध कौड़ी के ऊपर नहीं बने है। "शुद्ध कौड़ी" की एक बहुत सुन्दर कथा है, लेकिन समय कम होने की वजह से मैं उसे कहूंगा नहीं। हमारे प्रातः स्मरणीय मालवीय जी ने मुझे सुनाई थी। मैं उस कथा को कहूंगा नहीं, केवल यह निवेदन है कि ये महल शुद्ध कौड़ी पर नहीं उठे हैं, न बम्बई के, न कलकत्ते के और न दिल्ली के। मैं उनको देखता हूं तो हृदय रो उठता है। कारण कि जितने ऊंचे महल उठे हैं यह प्रायः बेईमानी से ही उठे हैं। आज बेईमानी का वारापार नहीं है।

वित्त मंत्री जी ने देश की औसत आमदनी बतायी है। उन्होंने अपने भाषण में लगभग यह कहा था कि वह पहले २५५ रुपये वार्षिक थी। अब वह बढ़ कर २७० या २८० तक हो गयी है। यह अंकों की बात है। अभी हाल में पंत जी ने अपने भाषण में कहा था कि वह २५५ है। मैं इसको मान लेता हूं। २५५ की औसत वालों में कितने ऐसे धनी हैं जिनकी आमदनी दो लाख, चार लाख, पांच लाख या दस लाख के ऊपर है। उन्होंने कहा था कि दस लाख के ऊपर वाले बहुत कम हैं। मैं उनके शब्दों का ही हवाला दे रहा हूं। पांच लाख के ऊपर कुछ हैं, और दो लाख के ऊपर तो बहुत लोग हैं। दो लाख को भी छोड़ दीजिये। मैं पूछता हूं कि २५० रुपये औसत आमदनी वाले कितने हैं। आप देखेंगे कि इस औसत से ज्यादा की आमदनी वाले शहरों में रहते हैं, गांवों में बहुत कम। २५० रुपये से ऊपर की आमदनी वाले आपको शहरों में बहुत मिलेंगे। मैं भी उससे ऊपर हूं और यहां जितने और बैठे हैं वे सब ऊपर हैं और शहर के लोग प्रायः सब ऊपर हैं। इससे नीचे कौन हैं, गांव वाले। सरकारी आंकड़ों में बताया गया

[श्री टंडन]

है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति की औसत आमदनी २५५ रुपये वार्षिक है, लेकिन कितने ही धनी व्यक्तियों की आय इस से बहुत अधिक है। आप देखेंगे कि ९० प्रति शत जनता की औसत आमदनी २५० रुपये से कम है और दस प्रतिशत की आमदनी हजारों व लाखों की है। आंकड़ों की बात आप करते हैं। औसत के ऊपर केवल दस प्रतिशत हैं और ९० प्रति शत ऐसे हैं जो इस औसत के नीचे हैं अर्थात् जिनकी आमदनी २५० रुपये से भी कम है और जिनकी आय १०० रुपये ८० रुपय या ९० रुपये ही होती है। अब यह सोचने की बात है कि साल में जिनको केवल ७० या ८० रुपये मिलते हैं, वे अपना गुज़ारा कैसे करते ह । मेरा निवेदन है कि ऐसी हालत में हमारा कर्त्तव्य है कि हम गांवों की ओर देखें न कि बड़े महलों को। हम देहातियों के पास जायें, उन दरिद्र लोगों के पास जायें जिनकी आमदनी इतनी कम है, उनकी हम हैसियत बढ़ायें। इन महल वालों को ऐसा अवसर न दें कि महल पर महल बनाते जाये। ऐसा करने में कोई लाभ नहीं होगा वरन् हर प्रकार की हानि ही होगी।

मैं और अधिक नहीं कहूंगा। मैं चाहूंगा कि मंत्रिमंडल भविष्य के जो स्वप्न देखे उस में यह देखें कि यह बड़े बड़े महल यहां पर नहीं खड़े होंगे, ऐसे इंडस्ट्रियलाइज़ेशन (औद्योगीकरण) का स्वप्न न देखे जिसमें अरबों और करोड़ों रुपये की लागत लगा कर कारखाने बने हों, कारखाने कहीं कहीं आवश्यक हो सकते हैं और अपवाद के रूप में रखे भी जा सकते हैं, परन्तु हम ऐसा स्वप्न देखें कि देहात में हम लोग जायें, देहात हमारे वटिका गृह की तरह हों, उनके बीच से बेकारी दूर हो और उन को कुछ न कुछ काम हम दें। जसे भी हो ग्रामीणों के जीवन में अधिक सुख लायें। हमारा यह ध्येय होना उचित है।

श्री सी० डी० गौतम : सभापति महोदय, मैं किसानों का प्रतिनिधि हूं और इसलिये किसानों की तरफ़ से कुछ कहना चाहता हूं। यह बात ज़रूर है कि पहले से किसानों की हालत कुछ सुधरी हुई है, परन्तु वह पर्याप्त नहीं है। हम देखते हैं कि आज खाद्यान्नों के भाव काफ़ी घट गये हैं, गिर गये हैं जब कि किसानों की ज़रूरत के सामान जैसे कपड़ा, हल और औज़ार वग़ैरह के दाम कम नहीं हुये हैं और उनके लिये किसानों को वही बढ़े हुये दाम देने पड़ते हैं। उसके ग़ल्ले की क़ीमत बाज़ार में बहुत घट गयी है। उसको क़र्ज़ा मिलता नहीं है। सरकार ने कुछ क़ानून ज़रूर बनाये हैं और उन क़ानूनों की सबब से उसको फायदा ज़रूर होता है, परन्तु उन क़ानूनों का फायदा किसान अब नहीं उठा सकता है। न तो वह अपनी ज़मीन रेहन करके दे सकता है, न उसके पास कोई गहना है न ज़ेवर है जो कि गिरवी रखे और क़र्ज़ा ले और नतीजा क्या होता है। उससे साहूकार कहता है कि भाई क़र्ज़ा लेते हो तो एक फ़रुख़्तनामा लिख दो, उस ज़मीन को हम रहन रखेंगे। और साहूकार कहता है कि एक साल में अगर तुम मेरी रक़म और कुछ ब्याज दे दोगे तो मैं तुमको तुम्हारी ज़मीन वापिस कर दूंगा। साल ख़त्म होने के बाद एक दम उस ज़मीन पर या मकान पर साहूकार कब्ज़ा करना चाहता है और कई ऐसे आपको उदारहण मिलेंगे जिसमें उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। मैं सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि मेरे प्रान्त में ही नहीं बल्कि कई दूसरी जगहों पर भी किसान बर्बाद हो रहे हैं। सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है कि उसको कोई क़र्ज़ा मिल सके। लैंड मार्टगेज बैंक्स हैं लेकिन वहां

पर क़र्ज़ के लिये अगर आज हम दरख्वास्त देते हैं तो एक साल के बाद कहीं जा कर बहुत सी इनक्वायरीज़ होने के बाद उसको क़र्ज़ा मिलता है, जब कि क़र्ज़ की ज़रूरत उसको फौरन होती है, जिसका नतीजा यह होता है कि लैंड मार्टगेज बैंक्स में बहुत थोड़े किसान जाते हैं और उसका लाभ उठा पाते हैं। इसलिये सरकार की तरफ़ से एसी कोई योजना हो तो किसान को क़र्ज़ मिलन में सुविधा होगी और वह अपने जायदाद कल भी बचा सकेगा। हम जानते हैं कि किसान फसल आने की पहले से बाट जोहता रहता है और फसल आते ही जो भी भाव लगता है उसी पर बेच देता है। बेचने के अलावा कोई चारा भी उसके पास नहीं रहता है और व्यापारी लोग जब फसल आती है तो उसका फायदा उठाते हैं। गये साल तक कुछ भाव ठीक थे, लेकिन इस साल अनाज के भाव इतने गिरे हैं कि किसान को १२ रुपये और १३ रुपये मन तक अपना चावल बेचना पड़ता है, क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत थी, उसको कपड़ा, बैल और दूसरी चीज़ों को खरीदने के लिये पैसा चाहिये था, उसको लाचार हो कर अपना ग़ल्ला सस्ते सस्ते दाम पर व्यापारियों को देना पड़ता है। सरकार की तरफ़ से कोई भी साधन एसा नहीं है, कोई भी ऐसा तरीक़ा नहीं सोचा गया है कि किसान पूरी क़ीमत पा कर अपना ग़ल्ला बेच सके यह ठीक है कि स्टोर हाउसेज़ तैयार किये गये हैं, परन्तु उनका फायदा किस को मिलने वाला है, उनका फायदा किसान को मिलने वाला नहीं है, इनका फायदा तो उन व्यापारियों को मिलेगा जिन्होंने कि उन गोदामों में ग़ल्ला का संचय कर लिया है और जो सस्ते भाव से खरीदा है और जिसको मनमाना मुनाफ़ा कमा कर बेचने वाले हैं। इसलिये मेरा यह सुझाव है और सरकार से प्रार्थना है कि अगर आप वाक़ई किसानों को बचाना चाहते हैं तो उनके लिये कोई ऐसा समुचित प्रबन्ध किया जाय कि जिससे वह अपना ग़ल्ला वक्त पर और वाजिब क़ीमत पर बेच सकें।

आज हम देखते हैं कि हालांकि कांग्रेस की सरकार है और हमारी अपनी सरकार है लेकिन जो उसके कर्मचारी हैं सरकारी अफ़सरान हैं, जैसे पटवारी आदि, वह आज भी किसानों को काफ़ी तंग करते हैं और उनके होते हुये किसान यह महसूस करने में असमर्थ रहता है कि आज कांग्रेस की सरकार है और नेहरू की सरकार है, इसलिए यह हमारा और केन्द्रीय सरकार का फ़र्ज़ हो जाता है कि हम किसानों की दशा सुधारने की तरफ़ ध्यान दें, अपने सरकारी अहल-कारान को आवश्यक आदेश दें और देखें कि वह उनके अनुसार आचरण करते हैं कि नहीं यह हमारी और केन्द्रीय सरकार की ज़िम्मेदारी हो जाती है।

यह कह कर कि यह राज्य सरकार से सम्बन्धित बातें हैं, काम नहीं चलेगा। तो मैं कह रहा था कि कुछ पटवारियों से लोगों को बहुत तक़लीफ़ होती है। वह कोई न कोई सबब ढूंढ कर किसानों से पैसा खीचना चाहते हैं। दूसरे लोग हैं नहर महकमे के अमीन लोग। यह लोग झूठी कम्प्लेंट्स कर देते हैं कि नहर से पानी ले गय। रेट अगर ३ या ४ रुपये का होता है तो वह १६, १६ रुपये तक लगा देते हैं क्योंकि वह नाजायज तौर पर सिंचाई करते हैं।

दूसरी बात मैं जंगलों के बारे में कहना चाहता हूं। लोगों को जंगल की रोज़ ज़रूरत पड़ती है। हमारी सरकार ने ज़मींदारियां तोड़ दीं, मालगुज़ारियां तोड़ दीं, परन्तु इस के वास्ते कोई भी इन्तज़ाम नहीं किया। आज आप चाहे जिस ज़िले में देख आइय, कटाई होती है परन्तु ऐसी व्यवस्था नहीं है

[श्री सी० डी० गौतम]

कि किसानों को थोड़ा सा अधिकार उस पर मिल सके। इस सबब से उन को बड़ी तक़लीफ़ होती है। अगर आज जो रेट की बातें हैं जिन के कारण किसानों को रोज़ तक़लीफ़ भुगतनी पड़ती है, वह दूर हो जायें तो मैं नहीं समझता कि उनको कोई शिक़ायत रह जायेगी। वह कोई बड़े बड़े महल नहीं चाहते हैं, न कोई बड़े भारी मकान रहने के लिये चाहते हैं। वह तो सिर्फ मामूली सी बातें चाहते हैं। अगर उन को खाने पीने को मिलेगा, उन को ज़मीन खेती के लिये मिलेगी और अगर साधारण किसान है तो उस को थोड़ी लिखने पढ़ने को मिलेगा, तो उस का समाधान हो जायेगा। इन बातों की तरफ़ हमारी सरकार ख्याल करेगी, मैं ऐसा समझता हूं।

इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी तक हर प्रान्त में, हर ज़िले में, हर तहसील में ऐसी ऐसी ज़मीनें पड़ी हुई हैं। आज हम भूदान की बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज हमारी सरकार के पास इतनी ज्यादा ज़मीन पड़ी है कि अगर कोई अफ़सर जा कर उन ज़मीनों की जांच करें तो बहुत सी ज़मीनें ऐसी मिलेंगी कि जिन को ट्रैक्टर द्वारा या किसी दूसरे साधन से ठीक कर के जोत में लिया जा सकता है। ऐसी हज़ारों, लाखों एकड़ भूमि आज तैयार हो सकती है और उन पर लेबरर्स को बसाया जा सकता है और इस तरह से भूमि की समस्या भी हल हो सकती है।

खनिज पदार्थ हमारे यहां पर इतने ज्यादा है कि अगर सरकार अपने जिओलोजिस्ट्स वग़ैरह भेजे तो लाखों करोड़ों रुपये के खनिज पदार्थ मिल सकते हैं। मैंगनीज़ और लोहा इतनी ज्यादा तादाद में है कि उस से करोड़ों रुपये का माल तैयार हो सकता है। आज वहां पर जो प्राइवेट सेक्टर के लोग काम करते हैं वही करते हैं, सरकार की ओर से कोई खास महकमा नहीं है जो इस का काम कर सके। वहां जिओलोजिकल सर्वे की ज़रूरत है वहां पर माईनिंग डिपार्टमेंट की बहुत ज़रूरत है जो कि सर्वे करा कर और इस काम को अपने हाथ में ले कर सरकार की आमदनी बढ़ा सके। कुछ ऐसी कम्पनीज़ हैं, जैसे सी० पी० मैंगनीज़ ओर कम्पनी, जो इस काम को कर रही है। सी० पी० मैंगनीज़ ओर कम्पनी की रोज की आमदनी कम से कम तीन लाख रुपया है। यह एक अंगरेजी कम्पनी है जो कि बहुत सस्ते में अपना काम करती है। उसकी बिक्री का भाव है १२५ रुपये और खर्च पड़ता है २५, ३० रुपये। मुझे पता यह है कि यह सारा रुपया विलायत को जाता है। सरकार को चाहिये कि वह ऐसी कम्पनीज को, जो कि लाखों करोड़ों रुपये कमाती है, अपने हाथ में ले या यह कर दे कि कम्पनियों के लिये कुछ पैसा काम करने के लिये बांध दे और बाक़ी वह स्वयं वसूल करे। परन्तु इस तरफ़ भी उस का ध्यान नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि जितनी हमारे प्रान्त की आमदनी कुछ समय पहले थी, लगभग दस साल पहले, उतनी इस कम्पनी की आमदनी थी। समय कम होने के कारण मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव): जनाब चेअरमैन साहब, मैं आप का आभारी हूं कि आपने मुझे इस मौक़े पर बोलने का मौक़ा दिया।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे आनरेबुल फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने अपनी जो आखिरी तक़रीर राज्य सभा में की है उस के अन्दर जो आंकड़े दिये हैं उन

के बारे में उन्होंने फरमाया कि हम सोशलिस्टिक पैटर्न की तरफ़ चल रहे हैं। उन्होंने जो स्पीच वहां पर दी उस के सफ़ह ७ पर कुछ आंकड़े दिये और यह दिखलाने की कोशिश की कि टैक्स पहले से ज्यादा है और टैक्स के जरिये वह सोशलिस्टिक पैटर्न की तरफ़ चले जा रहे हैं। मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे मंत्री जी यहां नहीं हैं, लेकिन श्री गुहा साहब तशरीफ़ रखते हैं, उन को मालूम होना चाहिये कि जिस सोशलिस्टिक पैटर्न का जिक्र फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने किया है उस की एक सेमी साइड भी है। वह सेमी साइड यह है कि आप जितना एक व्यक्ति पर कर लगाते हैं, अगर वह पांच आदमियों का खानदान है, तो उन पांच आदमियों पर भी आप उतना ही टैक्स लगाते हैं। यानी इस सिद्धान्त को झुठलाते हैं कि "समग्र भाग से बड़ा होता है।" मैं सोशलिस्टिक पैटर्न का एक मतलब समझता हूं कि इक्वैलिटी की तरफ़, बराबरी की तरफ़ हम क़दम उठायें। आप चाहते हैं कि बड़ी आमदनी घट जाय और छोटी आमदनी बढ़ जाये, हमारे मुल्क की डिस्पैरिटी कम हो। लेकिन मैं अदब से कहना चाहता हूं कि आप ने अपने क़ानून में जो सन् १८८६ का बना हुआ है ऐसा सिस्टम डाला है कि आप इक्वेलिटी की तरफ़ क़दम उठा ही नहीं सकते। आज जो टैक्स एक आदमी को देना पड़ेगा वही टैक्स अगर एक आदमी के खानदान में पांच या पांच से ज्यादा आदमी हैं तो उतना उन को भी देना पड़ेगा। इस सवाल पर तक़रीबन २८ वर्षों से इस भवन में झगड़ा चलता रहा है, हर मौक़े पर हर एकफाइनेन्स मिनिस्टर कहता रहा है कि टैक्सेशन एन्क्वायरी कमेटी भी आयेगी तब हम इसे देखेंगे। इस मर्तबा टैक्सेशन एन्क्वायरी कमेटी भी आ गई और उस ने जो कुछ फैसला किया है वह आप को खास तवज्जह के क़ाबिल है। मैं उस का एक थोड़ा सा हिस्सा पढ़ कर सुनाना चाहता हूं जिस से आप को रोशन हो जायेगा कि टैक्सेशन एन्क्वायरी कमेटी ने भी अपना फ़र्ज अदा करने में कोताही की है। सफ़ह ११८ पर इस टैक्सेशन एन्क्वायरी कमेटी ने इस सवाल की चर्चा करते हुये जो बात लिखी है उस के सही माने यह है कि उन्होंने इस सवाल के ऊपर गहराई से देखने की कोशिश नहीं की है। एक मौक़ा था जब मैं ने प्रोजेडेन्ट साहब की खिदमत में दरख्वास्त भेजी थी कि मुझ को इस हाउस में एक बिल लाने की इजाजत दी जाय जिस के अन्दर हिन्दू ज्वायंट फैमिली को कैटेगरी इनकम टैक्स से बिल्कुल निकाल दिया जाय। लेकिन मुझ को इजाजत नहीं मिली। जब से मैं इस हाउस में अव्वल-अव्वल आया था सन् १९२६-२७ में, उसी वक्त से यह झगड़ा चला आता है। उस वक्त के फाइनेन्स मिनिस्टर कहते रहे कि जब टैक्सेशन एन्क्वायरी कमेटी बनेगी तब इस का फ़ैसला होगा, हमारे मौजूदा फाइनेन्स मिनिस्टर भी मेरे ख्याल में इस बात से अच्छी तरह से मुतासिर हैं कि हिन्दू ज्वायंट फैमिली पर बड़ी सख्ती होती है और बड़ी बेइन्साफ़ी होती है, लेकिन ताहम आज तक उन्होंने एक लफ्ज भी दोनों सदनों में से, न इधर ही और न उधर ही, इस बारे में कहा। यही जवाब देते रहे कि टैक्सेशन एन्क्वायरी कमेटी इस का फ़ैसला करेगी। उस कमेटी के सामने मैं बतौर गवाह के पेश हुआ, मैं ने उस की खिदमत में जा कर रिप्रेजेन्टेशन भी दिया, लेकिन आखिर मुझे यह जवाब मिलता है। मुझे अफ़सोस है कि टैक्सेशन एन्क्वायरी कमेटी ने न सिर्फ अपना फ़र्ज ही अदा नहीं किया, बल्कि ऐसी बातें लिख दीं जो फ़िलवाक़या गलत है। कौन सा हिन्दू कोड बिल है? किस जगह हिन्दू कोड बिल

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

है ? उस के बजाय चन्द एक लेजिस्लेशन सदनों के रूबरू आये हैं जैसे सक्सेशन बिल वगैरह । उन के अन्दर हिन्दू ज्वाइंट फैमिली एज सच को मारने या जिन्दा रखने के लिये कोई चीज दर्ज नहीं है । हिन्दू कोड बिल मौजूद नहीं, इस के ऊपर कोई फ़ैसला नहीं होगा तो क्या मैं यह समझूं कि जब तक दूसरी टैक्सेशन एन्क्वायरी कमेटी नहीं बनेगी त. तक इस मामले के ऊपर सरकार फ़ैसला नहीं करेगी ? आइन्दा जब वक्त मिलेगा तब मैं इस के ऊपर तफ़सील से अर्ज करूंगा क्योंकि स्पीकर साह और हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साह का हुक्म है यह कि इस वक्त सिर्फ प्वाइंट्स तलाये जायें, ज्यादा व्याख्या न की जाय । लेकिन एक बात मैं पढ़ कर सुनाता हूं ताकि इस भवन को मालूम हो कि कितनी सख्त बेइन्साफ़ी हिन्दू ज्वायंट फैमिली सिस्टम के साथ हो रही है । अगर २०,००० आमदनी एक ऐसे आदमी की हो या एक ऐसे खानदान की हो जिस के अन्दर पांच मेम्बर हैं या एक ऐसी ज्वाइंट फैमिली की हो जो कि पांच आदमियों की हो और जो हिन्दू हो तो उस पर २,१३२ रुपये टैक्स लगेगा । लेकिन इतनी ही आमदनी अगर एक ऐसे कुन्बे की हो या ऐसे आदमियों की हो जो कि पार्टनरशिप करते हों और उसके अन्दर पांच आदमी हों तो उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि उनके केस में २१,००० तक कोई टैक्स नहीं लगता है और एक की आमदनी ४,२०० के हिसाब से, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता है कम रह जाती है । हिन्दू ज्वायंट फैमिली पर उसी सूरत में २,१३२ रुपये टैक्स लगेगा । इसी तरह से ३०,००० की आमदनी में हिन्दू ज्वायंट फैमिली पर तो ६,३३२ रुपये टैक्स लगेगा अगर उसके पांच अफ़राद हैं लेकिन इस के बरअक्स दूसरी तरफ़ ६५५ रुपये ही टैक्स लगेगा । अगर ६०,००० रुपये की आमदनी हो तो ज्वायंट हिन्दू फ़ैमिली पर तो २४,१८२ रुपये टैक्स लगेगा और दूसरों पर ऐसे मुश्तरका खानदान पर ३,७२० रुपये । अगर एक लाख की आमदनी है और यह एक फ़र्म है और दोनों ही भाई में काम करते हैं तो हिन्दू ज्वायंट फ़ैमिली पर तो ५४,३६९ रुपये टैक्स लगेगा और वही फ़र्म जो कि नान-हिन्दू की है उस पर १०,६६० रुपये ही टैक्स लगेगा । अगर दो लाख की आमदनी है तो ज्वायंट हिन्दू फ़ैमिली को तो १,४१,३२२ रुपये देने पड़ेंगे और नान-हिन्दू फैमिली को सिर्फ ५७,२५५ रुपये । तीन लाख की सूरत में हिन्दू फ़ैमिली को २,२९,९१६ रुपये और नान-हिन्दू फैमिली को १,२०,९१० रुपये । अगर पांच लाख की आमदनी है तो ज्वायंट हिन्दू फ़ैमिली को ४,०७,१०३ रुपये और नान-हिन्दू फ़ैमिली को २,७१,८४५ रुपये । अगर १० लाख है तो ज्वायंट हिन्दू फैमिली को ८,५०,०७२ और नान-हिन्दू फैमिली को ७,०६,६१० रुपये । अगर २० लाख है तो उस सूरत में ज्वायंट हिन्दू फैमिली को १७,३६,००९ और नान-हिन्दू फैमिली को १५,९२,५४५ रुपये । इसका नतीजा यह हुआ कि एक फ़ैमिली जिस के अन्दर पांच मैम्बर हैं और जो ज्वायंट हिन्दू फ़ैमिली है और दूसरी तरफ़ वही फ़ैमिली जिस के अन्दर भी पांच मैम्बर हैं लेकिन वह नान-हिन्दू फ़ैमिली है और दोनों की आमदनी दो लाख है तो एक तरफ तो एक आदमी के हिस्से तो ९७८ रुपये माहवार आयेंगे और दूसरी तरफ़ एक ही आदमी के हिस्से २,३७९ रुपये । इसी तरह से तीन लाख आमदनी वाली एक फ़ैमिली के जिस के पांच आदमी हैं एक तरफ़ १,१६८ और दूसरी तरफ़ २,९८५ रुपये हिस्से आयेंगे । मैं इससे भी ज्यादा आंकड़े दे सकता हूं लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है इसलिये मैं

और ज्यादा आंकड़े नहीं देना चाहता हूं। क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच में इसी तरह के आंकड़े दिये थे इस वास्ते मैं ने भी अपना फ़र्ज़ समझा कि आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करूं। मैं पूछना चाहता हूं कि यह कहां का इन्साफ़ है और कैसी यह सोशलिस्टिक पैटर्न आफ़ सोसायटी आप लाने जा रहे हैं। इन्कम टैक्स के अन्दर आप ने दो छोटी छोटी रियायतें दी हैं। अगर एक खानदान में दो मेम्बर हैं तो आप ८,४०० रुपये तक टैक्स नहीं लेंगे। अगर चार से ज्यादा हैं तो प्राविज़न यह है कि तीन गुना वहां से निकाल दिया जाये। सुपर टैक्स के बारे में यह रियायत भी नहीं है। अगर कहीं इन्साफ है तो मैं पूछना चाहता हूं कि सुपर टैक्स में यह उसूल क्यों नहीं बरते जाते? उसके बारे में भी बिल्कुल उसी उसूल पर चलना चाहिये। चुनावे इन्वेस्टीगेशन ट्रिब्यूनल ने भी सुपर टैक्स के बारे में तजवीज कर के भेजा था लेकिन हमारे टेक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने इसके बारे में एक लफ्ज़ तक नहीं कहा और न ही इसके बारे में कोई वजह ही बयान की और यह लिख दिया कि हमें यह रियायत सुपर टैक्स में नहीं देनी चाहिये। आप ने छोटे खानदानों को जिन की यह रियायत मिली है कि चार से ज्यादा मैम्बर हों तो उस सूरत में दुगनी या तिगुनी एग्जेम्पशन देते हैं लेकिन अगर १३,०००, १४,००० या २०,००० इन्कम है तो चाहे उसके कितने ही मैम्बर हों पांच हों या दस हों आप यूनिट की तरह से टैक्स लेते हैं। मेरे ख्याल में यह सोशलिस्टिक पैटर्न से बिलकुल उलट है। इसके अन्दर इन्साफ़ की बू नहीं है। मेरी हाउस से अपील है और हाउस की तवज्जह इस तरफ़ दिलाना चाहता हूं कि हिन्दू ज्वायंट फैमिली और नान-हिन्दू फैमिली में जो आप ने फ़र्क़ रखा है यह दूर होना चाहिये। मैं यह इसलिये नहीं कह रहा हूं कि इस में मेरा कोई जाती मुफ़ाद है। मैं ज्वायंट हिन्दू फैमिली को क्लेम नहीं करता हूं लेकिन मैं यह दरख्वास्त नहीं कर सकता कि यह बेइन्साफ़ी हो। कान्स्टीट्यूशन में जो दफ़ा १४ है यह उसके बिल्कुल खिलाफ़ जाती है और ऐसा मालूम होता है कि दफ़ा १४ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मैं इसके बारे में किसी और मौक़े पर बोलूंगा लेकिन यहां पर सिर्फ़ इतना ही कहना चाहता हूं कि यह बात सोशलिस्टिक पैटर्न से बिल्कुल उलट है और इसको दुरुस्त किया जाना चाहिये।

अब मैं आपने जो एक्साइज़ ड्यूटीज़ बढ़ाई हैं या जो नई ड्यूटीज़ लगाई गई हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं इसके खिलाफ़ नहीं हूं कि आप अपनी आमदनी को टैक्सेशन के ज़रिये न बढ़ायें। मैं मानता हूं कि आपने बड़ी बड़ी स्कीमें शुरू कर रखी हैं और उन को पूरा करने के लिये आप को रुपया चाहिये। मैं टैक्सों के बढ़ाये जाने के उसूलन बरखिलाफ़ नहीं हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि यह रुपया ठीक खर्च किया जाये जिस से कि देश का भला हो। जहां तक एक्साइज़ ड्यूटीज़ का सवाल है पिछली दफ़ा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इस उसूल को माना था कि जहां तक स्माल इन्डस्ट्रीज़ का सम्बन्ध है काटेज इन्डस्ट्रीज़ का सम्बन्ध है हमें उन पर कोई ऐसे टैक्स नहीं लगाने चाहियें जिससे कि उनको नुक़सान पहुंचे। मुझे खुशी है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने राज्य सभा में इसी बात को फिर दोहराया है और कहा है कि मैं इन इन्डस्ट्रीज़ को ध्यान में रखूंगा और जहां देखूंगा कि इन को इन टैक्सों के लगने से नुक़सान होता है तो उन की तक़लीफों को दूर करूंगा। मैं दो तीन चीज़ों के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं। सब से पहले में क़ागज़ पर जो एक्साइज़ ड्यूटी लगाई गई है उस का

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

ज़िक्र करना चाहता हूं । इस के बारे में पूज्य टंडन जी ने भी ज़िक्र किया है । मैं अपनी कमजोर आवाज़ को उस की ज़बरदस्त आवाज़ में शामिल करना चाहता हूं और बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि इस मुल्क में जहां पर बहुत कम लोग पढ़े हुये हैं और जहां पर अभी लोगों को एजुकेट करने का काम हाथ में लिया जा रहा है अगर क़ागज़ पर टैक्स लगा दिया गया तो इस का ठीक नतीजा नहीं निकलेगा । इस से एजुकेशन के कौज को धक्का पहुंचेगा । ऐसी सूरत में कागज पर टैक्स लगाना एक बहुत भारी गलती है और मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि कागज़ पर यह टैक्स नहीं लगना चाहिये ।

दूसरी चीज़ मैं कपड़े पर लगी ड्यूटी के बारे में कहना चाहता हूं । थोड़ी देर हुई इस के बारे में श्रीमती सुचेता कृपालानी ने बड़े ज़ोरदार लफ्जों में इस की मुखालिफत की है । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि कम से कम ऐसे कपड़े पर जिसे गरीब आदमी इस्तेमाल करते है कोई टैक्स नहीं लगना चाहिये ।

दो एक और बातें मैं खास तौर पर कहना चाहता हूं और उन्हीं के वास्ते मैं बोलने खड़ा हुआ था । पेंट्स और वार्निशेज़ पर-१० परसेंट एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज है । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जहां तक वार्निशेज का सवाल है उसके अन्दर कोई पावर आम तौर पर इस्तेमाल नहीं होती है । सिर्फ़ पेंटस के अन्दर जहां पिगमेंट्स को ग्राइण्ड करने का सवाल आता है वहां पर पावर इस्तेमाल होती है । इस देश के अन्दर कितने ही बड़े बड़े कारखाने हैं, बाहर की फर्में हैं जिन के ब्रांड यहां पर चलते हैं और उन कारखानों में आज भी छोटे छोटे कारखानों के मुकाबले में २० या ३० फी सदी चीज़ों के बनाने में कम खर्च पड़ता है । अव्वल तो जो माल वे खरीदते हैं जैसे रा मैटिरियल वगैरह वह बहुत सस्ता खरीदते हैं जो छोटे छोटे कारखाने वाले नहीं कर सकते क्योंकि वह बड़ी मिक़दार में खरीदते हैं । इसके अलावा उनका जो रा मैटिरियल बचता है वह छोटे कारखाने उन बड़े कारखानों से ले कर इस्तेमाल कर लेते हैं और बड़े कारखाने वालों को १० फ़ी सदी फायदा इस में हो जाता है । इसके इलावा जो ब्रांड है उनके पीछे एक बहुत बड़ी ताक़त है । इसलिये आज भी बड़े कारखानों में छोटे कारखानों के मुक़ाबले में ३० फी सदी का फ़र्क़ पड़ जाता है । अगर आप ने ये टैक्स लगाये तो यह छोटे कारखाने बन्द हो जायेंगे क्योंकि मुनाफ़े के बजाय घाटा पड़ना शुरू हो जायेगा । इस वास्ते मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जिस तरह पिछली बार आप ने मेरी तजवीज़ को मान कर सोप पर जो प्रिंसिपल एप्लाई किया था कि जिन की प्रोडक्शन ५० टन नीचे हो उनको इस कर से छूट दे दी जाय वही प्रिंसिपल यहां पर भी एप्लाई कर दीजिये ; ऐसा करने से काटेज इन्डस्ट्रीज को बढ़ावा मिलेगा . . .

श्री जांगड़े (बिलासपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : इसमें ये विश्वास नहीं करते हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : सोप के बारे में उन्होंने यह बेसिस मंजूर किया था और फुटवीयर्ज़ के बारे में भी यही प्रिंसिपल एप्लाई किया गया था । अगर वे मैरिट्स पर इस तजवीज को भी देखें और इस पर विचार करें ।

इसी तरह से मैं एक लफ्ज़ आपकी खिदमत में वुलेंन गुड्स के बारे में अर्ज़ करना

चाहता हूं । इस देश के अन्दर बहुत सारा ऊनी कपड़ा बाहर से आता है जिसको हमारे जैंटिलमैन पसन्द करते हैं । अभी हमारे यहां ऐसी वुलेन इंडस्ट्री एस्टेबलिश नहीं हुई है । आप देखेंगे कि हमारे यहां बहुत सी वुलेन स्पिनिंग मिल्स ऐसी हैं कि उन में से कुछ को स्माल स्केल इन्डस्ट्री कहा जा सकता है । हैंडलूम को आपने एग्ज़ेम्प्शन दिया हुआ है । जहां पावर इस्तेमाल होती है उसके बारे में आप इतनी रियायत दें कि जहां २४ पावर लूम या कम हों वहां आप टैक्स न लगावें । आपने पिछले साल आर्ट सिल्क के लिये और दूसरी चीजों के लिये २४ लूम की सीमा रखी थी । मैं चाहता हूं कि आप वलेन गुड्स में भी ऐसी ही सीमा रखें कि जहां २४ लूम हों या उससे कम हों वहां पर आप टैक्स न लगावें ।

मैं और ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता । मैं एक छोटी सी बात और कह दूं । अभी मैंने अपने पूज्य टंडन जी की बात गांवों के बारे में सुनी । मैंने भी यही नोट रखा हुआ था । मुझे बड़ा अफ़सोस है कि आप नाम तो लेते हैं ग़रीब आदमी का लेकिन काम करते हैं उसके खिलाफ़ । मैं देखता हूं कि तजवीज़ें बहुत आती हैं, लेकिन दरअस्ल छोटे आदमियों के लिये दुनिया में कोई जगह नहीं है । आप नाम लेते हैं स्लम्स का । आप स्लम्स को दूर करने की बात करते हैं । लेकिन आप ग़रीब आदमी के लिये क्या करते हैं । उसको आप पूरा मुआवज़ा नहीं देते । वह तो आपके स्लम साफ़ करने में तबाह हो जाता है । आप उसके लिये मकान नहीं बनाते हैं ।

आप गांवों के लिये क्या करना चाहते हैं ? हमारे बुज़ुर्ग श्री टंडन जी तो यह चाहते हैं कि गांव नये सिरे से हरे भरे हो जायें । आप कहते हैं कि हम उनको दस एकड़ ज़मीन देना चाहते हैं । कल मेरे पास अलवर और भरतपुर के रिफ्यूजी आये थे वह कहते थे कि उस इलाक़े में दस एकड़ में साल भर में सौ रुपये की आमदनी होती है । इससे ज़्यादा आमदनी नहीं होती । अगर आप सौ एकड़ ज़मीन उन को दें तब भी एक कुनबे का गुजारा नहीं चलेगा । आप जो सीलिंग बना रहे हैं यह हमारे पंडित जी के अल्फाज़ में पावर्टी को बांटना है । अगर आप चाहते हैं कि गांवों के लोगों का काम ठीक से चले, वह थोड़े बहुत धनाढ्य हों उनमें इकानामिक इंडिपेंडेंस हो, तो आप उनके लिये १५ एकड़ का मिनिमम मुक़र्रर कीजिये । मैं ने यह किसी क़ानून में नहीं देखा कि जिसके पास ज़मीन कम है उस को बढ़ा कर दस एकड़ या १५ कर दिया जाय आप मिनिमम रखिये दस पन्द्रह एकड़ का, और आप अगर चाहते हैं कि गांव के लोग सन्तुष्ट रहें तो आप ऐसा करें, नहीं तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आप एक वालकेनो पर बैठे हुये हैं जो कि किसी भी समय इरप्ट हो सकता है और आपको उसका पता भी नहीं लगेगा । आज आप टैक्स के ज़रिये से पांच लाख की आमदनी वाले कपास ९३ हज़ार रखने की इजाज़त दे रहे है, और पंजाब में काश्तकार २५ एकड़ से ज़्यादा नहीं रख सकता है । इतनी ज़मीन से ८० या सौ रुपये महीने से ज़्यादा आमदनी नहीं हो सकती है । जब आप एक एक अफ़सर को तीन तीन हज़ार तनख्वाह दे रहे हैं तो आपको किसी भी क्लर्क को १५० रुपये से कम नहीं देना चाहिये । और अगर आप क्लर्क को १०० रुपया देते हैं तो किसी अफसर या मिनिस्टर को २००० से ज्यादा नहीं मिलना चाहिये । आप ज़मीन को कम करना चाहते हैं । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि कोई भी फार्म जो कि आपके कान्स्टीट्यूशन के मुताबिक़ एडीक्वेट मीन्स आफ लाइवलीहुड हो और जिसके अन्दर माडर्न तरीक़े से एग्री

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

कल्चर किया जा सके वह सौ एकड़ या ७५ एकड़ से कम नहीं हो सकता है । उस फार्म में जो लेबर काम करे उसके लिये भी आप मिनिमम वेजेज़ मुक़र्रर कीजिये ताकि उसका पालन पोषण हो सके । लेकिन मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह जो आप दस या पन्द्रह एकड़ की सीलिंग मुक़र्रर करने जा रहे हैं इसका पोलीटिकल और इकानामिक असर हमारे खिलाफ़ होगा । मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि सारे देश के अन्दर और खुसूसन पंजाब के अन्दर लोगों में, सारे किसानों में, यह बात फैल गयी है कि सरकार देहात से और शहर के लोगों से इम्तियाज़ी सलूक करना चाहती है । बड़े बड़े शहरों में जो लोगों के महल खड़े हुये हैं, बम्बई में मैरीन ड्राइव पर जो बड़े आदमियों के महल खड़े हैं उनको कोई नहीं देखता है । लेकिन आप देखते हैं कि किसान की उस ज़मीन को जिसको कि वह अपने बाप दादों के वक्त से लिये आ रहा है और जो कि आम तौर पर ५० से १०० ज़्यादा से ज़्यादा है वर्ना ८० प्रतिशत इस से कम है । उस पर आपकी निगाह लगी हुई है। यह ठीक नहीं है। आप ईमानदारी के साथ काम कीजिये । यदि आप २४,००० रुपया आमदनी रखते हैं सरकारी नौकर की तो आप ज़मीन रखने वालों को भी उनके मुक़ाबले की आमदनी रखने का हक़ दीजिये । कम से कम उसकी दस हज़ार तक तो आमदनी हो । वर्ना मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी ईक्वालिटी आफ औपार्चुनिटी का क्या मतलब है क्या कभी दुनिया में ऐसा रेजीमेंटेशन हो सकता है कि सब आदमियों की ताकत या आमदनी बिल्कुल बराबर हो—यह स्वप्न कभी पूरा नहीं हो सकेगा ?

मैं और ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं । मैं ने शायद दो तीन मिनट ज़्यादा ले लिए हैं इसके लिये माफ़ी चाहता हूं ।

श्री बी० एस० मूर्ति : सावधानी पूर्ण और अच्छा आयव्ययक प्रस्तुत करने के लिये मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं । यह एक धनाढ्य परिवार का आय-व्ययक है और बड़ी सावधानी के साथ बनाया गया है । इस से धनाढ्य व्यक्ति अधिक धनाढ्य बन जाता है और निर्धन व्यक्ति अधिक निर्धन । मैं नहीं समझता कि वित्त मंत्री ने विद्यमान निम्न मूल्यों का और इस बात का ध्यान रखा है कि उनसे कृषि-मज़दूरों और कृषकों को कितनी कठिनाई हो रही है । मेरा ख्याल है कि इस आय व्ययक में जनता की स्थिति सुधारने का ध्यान नहीं रखा गया है । इस आय व्ययक में प्रथम पंच वर्षीय योजना के उद्देश्य का, अर्थात् जीवन-स्तर में सुधार का कोई ध्यान नहीं रखा गया है, और हो सकता है कि इससे जीवन-स्तर और नीचे जाय । मेरा ख्याल है कि यह आय-व्ययक नगरों को सुधारने के लिये बनाया गया है, गांवों में सुधार करने के लिये नहीं । यद्यपि अनेकों माननीय सदस्यों ने यहां गावों के बारे में अपने मत प्रकट किये हैं, फिर भी सरकार पर उनका कोई प्रभाव पड़ा प्रतीत नहीं होता । मेरा ख्याल है कि आगे से संसद् की बैठक गांवों में हो ताकि वहां की परिस्थितियों से लोग अवगत हों और गांव वालों की कठिनाइयों को समझें । मंत्रियों की कठिनाइयां हैं, यह मैं महसूस करता हूं परन्तु उन्हें चाहिये कि वे कुछ ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत करें जिन से वास्तव में, जनसाधारण, और दल चलाने वाले को कुछ सहायता मिले ।

दूसरी बात परियोजनाओं के बारे में है । विन्ध्याचल पर्वत के दक्षिण में कोई बड़ी परियोजना नहीं चलाई जा रही है, और मैं समझता हूं कि सम्बद्ध मंत्रालय यह जानता है कि दक्षिण भारत में सुविधाओं

के न होने के कारण, वहां के लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में मैं कह सकता हूं कि आन्ध्र सब से अधिक उपेक्षित राज्य है। आन्ध्र दक्षिण का अन्न भण्डार है और इसके अधिकतर जिलों में सर्वश्रेष्ठ प्रकार का चावल पैदा होता है। सरकार को इस ओर ध्यान अवश्य देना चाहिये कि अन्य देशों से करोड़ों रुपये का चावल मोल लेने की बजाय वहां से लिया जाय और इस प्रकार बड़ी बड़ी परियोजनाओं को, जो आन्ध्र राज्य के लिये बनाई गई हैं, चलाने के लिये यह धन वहां भेजा जाय।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े हुये वर्गों के विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिये जो सुविधायें दी गई हैं, वे बहुत थोड़ी हैं। मुझे विदित हुआ है कि इस वर्ष सहस्त्रों प्रार्थनापत्रों पर विचार ही नहीं किया गया है, और अभी तक छात्रवृत्तियां नहीं दी गई हैं। कुछ अच्छे विद्यार्थियों को, जिन्होंने आगे शिक्षा प्राप्त करने के लिये कालिज में प्रवेश कर लिया था, समय पर छात्रवृत्ति न मिलने के कारण अध्ययन छोड़ना पड़ा। अतः मैं सम्बद्ध मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह आगामी वर्ष के लिये अधिक धन प्राप्त होने और जुलाई या अगस्त में छात्रवृत्तियां देने की ओर ध्यान दें, ताकि विद्यार्थियों को यह पता रहे कि उनकी क्या स्थिति है।

श्री जयपाल सिंह: सभापति महोदय मेरी समझ में नहीं आता कि मैं वित्त मंत्री के आयव्ययक भाषण पर अपनी प्रतिक्रियाओं को कैसे प्रकट करूं। जहां तक उनका सम्बन्ध है, गरीब व्यक्ति को कोई सहायता नहीं दी गई है। मैं महसूस करता हूं कि जब तक समाजवादी ढंग को क्रमशः कार्यान्वित करने का प्रयत्न नहीं किया जाता है तो समाजवादी ढंग की बात करने का कोई महत्व नहीं रह जाता। कर का भुगतान न करने वालों के परिणामस्वरूप महान हानि की पूर्ति के लिये वित्त मंत्री को अन्य लोगों पर कर लगाना है। मैं चाहता हूं कि मेरे माननीय मित्र सभा को यह बतायें कि कर न देने वाले कितने धनी लोगों के विरुद्ध कितने ईंधन सम्बन्धी अभियोग चलाये गये हैं। क्या केवल गरीब जनता पर ही अभियोग चलाये जाते हैं? मुझे इस बात का बड़ा दुःख है कि इस आयव्ययक का मध्यम वर्ग के लोगों पर बड़ा कड़ा भार पड़ेगा। मैं यह भी महसूस करता हूं कि यदि हमें प्रगति करनी है और आगे बढ़ना है, तो यह प्रगति कार्य उच्च वर्ग के लोगों को नीचे गिराकर नहीं, अपितु उनको ऊपर उठा कर होना चाहिये। यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम निम्न वर्ग के लोगों के लिये जीवन की उत्तम परिस्थितियां उत्पन्न करें। हमें उन लोगों के बारे में विचार करना चाहिये जिनकी परिस्थितियों को सुधारना है, हमें उनके लिये कार्य करना चाहिये।

मैं महसूस करता हूं कि नमक पर से उत्पाद-कर हटाने में हम अधिक भावनात्मक रहे हैं। गांधी जी के नाम पर नमक से उत्पाद-कर हटा दिया गया, परन्तु क्या इसके परिणामस्वरूप उसके मूल्य में कोई कमी हुई है? गांधी जी चाहते थे कि मूल्य कम हो, क्योंकि नमक गरीब के लिये बड़ी आवश्यक पदार्थ है। मैं कहता हूं कि अपनी अन्तर्देशीय अर्थ-व्यवस्था और अपने अन्तर्देशीय जीवन में हमें पांच सिद्धान्तों का या कम-से-कम उनमें से, जिन्हें हम अपने वैदेशिक सम्बन्धों में अपनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, एक का पालन अवश्य करना चाहिये: भारत एक महान उप-महाद्वीप है, और सब लोग एक से नहीं हैं। कुछ शाकाहारी हैं और कुछ शाकाहारी नहीं। वर्तमान सरकार प्रायः शाकाहारियों को ही विदेश भेजती है आखिर हमारे देशवासियों के बारे में क्या

[श्री जयपाल सिंह]

सोचा जाता होगा—यही कि यहां केवल शाकाहारी रहते हैं। क्या इस से एक गलत धारणा नहीं बनती ? इसी प्रकार एक मद्य निषेध आयोग देश भर में दौरा कर रहा है, और समाचारपत्रों में भी रिपोर्टों से हमें जो साक्ष्य मिलता है उस से यही दिखाई देगा कि सारा देश मद्यनिषेध के पक्ष में है।

गति को बहुत तीव्र कर के आप बहुत खतरनाक काम कर रहे हैं। चाहे समाजवादी ढंग हो अथवा और कोई ढंग हो, आप पुरानी पवित्र परम्पराओं को न उखाड़ें। मैं प्रगति के विरुद्ध नहीं हूं किन्तु हमें इस बात का विश्वास है कि जनता हमारे साथ है। मद्य-निषेध के सम्बन्ध में, जहां तक तीन करोड़ आदिवासियों का प्रश्न है, मैं कह सकता हूं कि वे आपके साथ नहीं हैं। जहां कहीं भी मैं गया, मैं ने यही सुना कि मद्य निषेध असफल रहा है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व होना चाहिये।

नदी घाटी परियोजनाओं के प्रश्न के सम्बन्ध में, उड़ीसा के मेरे माननीय मित्र आपको बतायेंगे कि हमारे प्रधान मंत्री ने बिहार में जल विद्युत् योजनाओं के सम्बन्ध में बहुत बड़े बड़े आश्वासन और वचन दिये थे और कहा था कि लोगों को ज़मीन के बदले जमीन और मकान के बदले मकान दिया जायगा। किन्तु आज जो कुछ हो रहा है वह यह है कि बांध के लिये उनके गांव और जमीनें छीनी जा रही हैं और उसके बदले में उन्हें कुछ नहीं दिया जाता है।

पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में भी मैं देखता हूं कि गरीबों को उससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है। आपने स्वयं पिछड़ी हुई जातियों के लिये छात्रवृत्ति दिये जाने के प्रश्न का निर्देश किया था। इस विषय में मेरा सुझाव है कि छात्रवृत्तियों का दिया जाना स्वगतिक होना चाहिये। शिक्षा मंत्रालय स्तर पर आवेदन पत्रों की जांच और अन्तिम निर्णय किये जाने आदि पर व्यर्थ समय नष्ट नहीं किया जाना चाहिये।

मेरी धारणा है कि जब तक इस देश में प्रशासन की नींव दृढ़ न हो, तब तक कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। मुझे स्मरण है कि जिन दिनों संविधान बनाया जा रहा था, सभी की यह मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया जाना चाहिये। आज गरीब जनता की बहुत कुछ तकलीफ इस कारण भी है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग नहीं हैं। अतः मेरा यह सुझाव है कि एक सभ्य सरकार को सर्वप्रथम न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर देना चाहिये। शीघ्र और सस्ते न्याय की दृष्टि से यह कार्यवाही अत्यन्त महत्वपूर्ण है। संसद् सदस्यों ने प्रति वर्ष यह सुझाव रखा है कि पिछड़े वर्गों की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्या को हल करने के लिये एक अलग मंत्रालय होना चाहिये जो इस प्रश्न पर पूरा पूरा समय दे सके। मैं इस सुझाव का समर्थन करता हूं। जब तक एक अलग मंत्रालय स्थापित न किया जाय तब तक पिछड़े वर्गों के लिये मैं यह आशाजनक भविष्य नहीं देखता हूं। यह एक गम्भीर राष्ट्रीय समस्या है। वह एक ऐसा मंत्रालय होना चाहिये जिसमें सारे देश का विश्वास हो। मैं कहता हूं कि राज्यों को बड़ी बड़ी धन राशियां दी जाती हैं किन्तु उनका व्यर्थ अपव्यय हो रहा है। इसमें सन्देह नहीं कि बहुत सुन्दर सुन्दर प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे गये हैं किन्तु मैं कहता हूं कि मेरे माननीय मित्र इस बात का परीक्षण करें कि उन धन राशियों का किस प्रकार उपयोग किया गया है। प्रधान मंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि यदि आप आदिभजातियों

के लोगों की सहायता करना चाहते हैं तो पहले उन्हें इस योग्य बनाइये कि वे स्वतः अपनी सहायता कर सकें । यह एक सही दृष्टिकोण है । किन्तु सामान्य प्रवृत्ति यह है कि विभिन्न दलों को दिया गया धन दलों के कार्यों के लिये खर्च कर दिया जाता है और जनता के कल्याण के लिये कुछ भी नहीं किया जाता है । उदाहरण के लिये, दक्षिण बिहार में झारखण्ड के आदिवासियों के कल्याण के लिये चार लाख रुपये दिये गये हैं । मैं पूछता हूं कि क्या उस धन की कभी लेखापरीक्षा की गयी है ? वह सार्वजनिक धन है, उसकी लेखापरीक्षा होनी चाहिये । इस प्रकार की गड़बड़ी अवश्य बन्द की जानी चाहिये ।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि वित्त मंत्री का यह विशेष उत्तरदायित्व है कि वह केन्द्र से राज्यों को इस विषय में आदेश जारी करें कि धन किस प्रकार खर्च किया जाये । इस सम्बन्ध में संविधान में भी एक विशेष अनुच्छेद है जिसके द्वारा इस विषय में आदेश जारी करने का उन्हें अधिकार प्राप्त है । अतः यही उचित समय है कि वित्त मंत्री यह निर्देश करें कि धन का किस प्रकार उपयोग किया जाना चाहिये ।

राज्य सभा से सन्देश

सचिव: श्रीमान् मुझे राज्य-सभा के सचिव से प्राप्त इस संदेश को प्रतिवेदित करना है:

"मुझे लोक-सभा को यह सूचना देनी है कि राज्य सभा ने शनिवार, १९ मार्च, १९५५ की अपनी बैठक में लोकसभा की इस सिफारिश से सहमत होते हुये कि राज्य सभा भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधित करने के लिये सदनों की इस विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में भाग लेने को सहमत है, संलग्न प्रस्ताव को पारित किया है । उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिये राज्य सभा द्वारा नामनिर्देशित सदस्यों के नाम प्रस्ताव में उल्लिखित हैं ।"

प्रस्ताव

"कि यह सभा लोकसभा की इस सिफारिश से, कि राज्य सभा भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने के लिये सदनों की एक विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति बनाई जाये, सहमत है, और यह निर्णय करती है कि उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिये राज्य सभा के इन सदस्यों को नामनिर्देशित किया जाय :

१. दीवान चमन लाल
२. श्री श्रीनारायण महता
३. श्री जसोंद सिंह बिश्त
४. काजी करीमुद्दीन
५. श्रीमती वायलेट आल्वा
६. श्री के० माधव मेनन
७. श्री एन० आर० मलकानी
८. श्री एन० गोविन्द रेड्डी
९. श्री एस० चट्टानाथ करयलार
१०. श्री जी० रंगा
११. डा० बी० आर० अम्बेडकर
१२. श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी
१३. श्री सुरेन्द्र महन्ती
१४. श्री एस० एन० मजूमदार
१५. श्री गोविन्द वल्लभ पन्त ।"

इसके पश्चात लोक-सभा सोमवार, २१ मार्च, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

GIPD—HS—722 LSD—19-10-55—240